[2019] 7 एस सी आर 12

ऑब्स्टेट्रिक्स और गाइनेकोलोजिकल का संघ

भारत के समाज (एफ. ओ. जी. एस. आई.)

वी.

भारत और अन्य का संघ

(2017 की लिखित याचिका (सिविल) संख्या 129)

03 मई, 2019

[अरुण मिश्रा और वाइन सरन, जे. जे.]

गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन का निषेध) अधिनियम, 1994-एस. एस. 23 (1) और 23 (2) याचिकाकर्ता-सोसायटी की संवैधानिक वैधता ने तर्क दिया कि एस। 23 (2) अधिनियम का प्रावधान संविधान के अधिकार क्षेत्र से बाहर है क्योंकि यह कथित अभियुक्त को सक्षम व्यक्ति द्वारा दोषी ठहराए जाने से पहले ही दोषी मानता है।

न्यायालय और इसलिए संविधान के यू/Art.21 की गारंटी वाले मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है-आयोजितः धारा 23 एकल धारा नहीं है-इसका उपयोग अधिनियम के अन्य प्रावधानों के प्रवर्तन और धाराओं के उल्लंघन में किया जाता है। 23 अक्सर प्रावधानों के उल्लंघन के साथ होते हैं

एस. एस. 4 , 5 , 6 और अधिनियम की धारा 18-इसमें किसी के लिए भी दंड का प्रावधान है।

चिकित्सा आनुवांशिकीविद्, स्त्री रोग विशेषज्ञ, पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी या एक व्यक्ति जो आनुवंशिक परामर्श केंद्र, आनुवंशिक क्लिनिक या आनुवंशिक प्रयोगशाला का मालिक है, और अपनी पेशेवर या तकनीकी सेवाएं उक्त स्थान पर प्रदान करता है, चाहे वह मानदेय के आधार पर हो या

अन्यथा और अधिनियम या उसके तहत नियमों के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है-इसलिए, अधिनियम के प्रावधान को कमजोर करने से केवल कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए अधिनियम के उद्देश्य को विफल कर दिया जाएगा और संविधान के तहत बालिका के जीवन के अधिकार को केवल औपचारिकता तक सीमित कर दिया जाएगा-इस प्रकार, एस. एस. के प्रावधानों को निरस्त करने के लिए कोई मामला नहीं बनाया गया है। 23 (1) और 23 (2)।

गर्भधारण-पूर्व और प्रसव-पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन का निषेध) अधिनियम, 1994-गर्भधारण-पूर्व और प्रसव-पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन का निषेध) नियम, 1996-भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956-भारतीय चिकित्सा परिषद (व्यावसायिक आचरण, शिष्टाचार और नैतिकता) विनियम, 2002-याचिकाकर्ता-समाज ने अधूरे 'एफ' प्रपत्रों/लिपिकीय गलतियों/अभिलेखों के संबंध में कागजी कार्रवाई में विसंगतियों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने के लिए प्रमाणपत्र/आदेश की प्रकृति में निर्देश देने की मांग की।

कला का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम के प्रावधान। 14 , 19 (1) (छ) और संविधान का 21- आयोजितः हालांकि प्रपत्र 'एफ' एक लिपिकीय आवश्यकता है, लेकिन यदि प्रपत्र में किसी भी जानकारी से बचा जाता है, तो यह होगा

इसके परिणामस्वरूप एस के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन होता है। 4 अधिनियम का, 1994 और एक परिणाम की ओर ले जा सकता है जो यू/एस निषिद्ध है। 6 अधिनियम का,

1994 – इसे लिपिकीय त्रुटि का मामला नहीं कहा जा सकता जैसा कि डॉक्टर ने कहा है।

प्रक्रिया शुरू करने के लिए पूर्व-आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यदि प्रसव पूर्व नैदानिक परीक्षण करने के लिए पूर्ववर्ती शर्तों का विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, तो यह एस में निहित प्रावधानों का उल्लंघन होगा। 4- यदि संकेत और जानकारी फॉर्म 'एफ' में दिए गए अनुसार प्रस्तुत नहीं की जाती है, तो यह राशि होगी - परीक्षण/प्रक्रिया शुरू करने के लिए पूर्ववर्ती स्थिति अनुपस्थित है-नैदानिक परीक्षण/प्रक्रिया क्यों की गई थी, यह पता लगाने के लिए फॉर्म 'एफ' के अलावा कोई अन्य बैरोमीटर नहीं है-फॉर्म 'एफ' संकेत देता है

गर्भावस्था के दौरान अल्ट्रा-सोनोग्राफी आयोजित करने के लिए सूची-इसके अलावा, फॉर्म 'एफ' प्रकृति में तकनीकी होने के कारण अल्ट्रा-सोनोग्राफी आयोजित करने के कारणों की अंतर्दृष्टि देता है और अपूर्ण फॉर्म 'एफ' चिकित्सा व्यवसायी के खिलाफ संदेह की धारणा को बढ़ाता है-जहां तक रिकॉर्ड बनाए रखने का संबंध है, उन्हें केवल तभी बनाए रखना होता है जब प्रक्रिया या परीक्षण गर्भवती महिला पर किए जाते हैं या जब रोगी को बच्चे को गर्भ धारण करने के लिए गर्भधारण से पहले के नैदानिक उपकरणों का उपयोग करने की सलाह दी जाती है-अधिनियम की योजना यह स्पष्ट करती है कि रिकॉर्ड रखना लिंग चयन और लिंग निर्धारण की क्षमता वाली तकनीक के उपयोग को ट्रैक/मॉनिटर और विनियमित करने के लिए है-क्योंकि प्रविष्टियां अनिवार्य हैं और एक परीक्षण/प्रक्रिया शुरू करने के लिए अनिवार्य नहीं हैं, यह दावा करते हुए कि उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है।

गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीकें

(लिंग चयन निषेध) अधिनियम, 1994-एस. 4 (3) -

-

याचिकाकर्ता-समाज ने तर्क दिया कि एस। 4 (3) पढ़ा जाना चाहिए-आयोजितः एस के परंतुक के आधार पर। 4 (3) , संचालन करने वाला व्यक्ति

गर्भवती महिला पर अल्ट्रासोनोग्राफी, निर्धारित तरीके से और किसी भी कमी या कमी का पूरा रिकॉर्ड रखने के लिए आवश्यक है।

समान रूप से अशुद्धि एस के उल्लंघन के बराबर है। 5 या एस। 6 अधिनियम के, जब तक कि इसके विपरीत उक्त अल्ट्रासोनोग्राफी का संचालन करने वाले व्यक्ति द्वारा साबित नहीं किया जाता है-एस के लिए

उपरोक्त परंतुक। 4 (3) ऐसे मामलों में अभिलेखों के महत्व को दर्शाता है, क्योंकि वे अक्सर केवल [2019] 7 एस. सी. आर. होते हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

यह सुनिश्चित करने के लिए स्रोत कि एक प्रतिष्ठान लिंग निर्धारण में संलग्न नहीं है, इस प्रकार, इस विवाद में कोई सार नहीं है कि एस का प्रावधान है। 4 (3) नीचे पढ़ें।

गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन का निषेध) अधिनियम, 1994। 30 - गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन का निषेध) नियम, 1996-आरआर। 11 और 12-भारतीय चिकित्सा परिषद (पेशेवर) आचरण, शिष्टाचार और नैतिकता) विनियम, 2002-याचिकाकर्ता-सोसायटी ने तर्क दिया कि अल्ट्रा-सोनोग्राफी मशीन की जब्ती और सक्षम प्राधिकारी द्वारा परिसर को सील करने की कार्रवाई को उचित नहीं कहा जा सकता है-आयोजितः एस। 30 अधिनियम की शक्ति की गणना की गई है

खोज और जब्ती और आरआर। 11 & 12 नियमों में उपकरणों को सील करने, परिसरों का निरीक्षण करने और तलाशी और जब्ती करने के लिए उपयुक्त प्राधिकरण की शक्ति प्रदान की गई है-यह तय किया गया प्रस्ताव है कि जब अपराध किया गया पाया जाता है, तो मुकदमे के दौरान परिसरों और उपकरणों को जब्त और सील किया जा सकता है क्योंकि अपराध करते रहने के लिए कोई लाइसेंस नहीं दिया जा सकता है-जब्ती/सीलिंग के ऐसे प्रावधान, लंबित परीक्षण विभिन्न दंडात्मक कानूनों में हमेशा पाए जाते हैं-अधिनियम में निहित आक्षेपित प्रावधान किसी भी पेशे को चलाने के लिए उचित प्रतिबंधों का गठन करते हैं जिसे यू/आर्ट में निहित समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता है। 14 या कला के तहत किसी भी पेशे का अभ्यास करने का अधिकार। 19 (1) (छ)-कला के तहत मौलिक कर्तव्यों पर विचार करना। 51 ए (ई) और यह देखते हुए कि कन्या भ्रूण हत्या सबसे अमानवीय कार्य है और इसके परिणामस्वरूप लिंग अनुपात में कमी आती है, ऐसे प्रावधानों को किसी भी तरह से अवैध और मनमाना नहीं कहा जा सकता है, इसके अलावा मनमाने कार्यों को रोकने के लिए अधिनियम में विभिन्न सुरक्षा उपाय प्रदान किए गए हैं।

अस्वीकृत-भारत का संविधान-कला। 19 (1) (छ), 14,51 ए (ई)।

रिट याचिका खारिज करते हुए अदालत ने

आनुवंशिक प्रयोगशाला और इसकी पंजीकरण संख्या का उल्लेख प्रपत्र में किया जाना आवश्यक है क्योंकि पंजीकरण होना आवश्यक है। अधिनियम की धारा 18 के तहत।

इसे भारत के ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजिकल सोसाइटीज का लिपिक संघ नहीं कहा जा सकता है। भारत का संघ

आवश्यकताएँ। रोगी का नाम और क्रम संख्या 3 पर उसकी उम्र भी बिल्कुल आवश्यक है ताकि उस व्यक्ति की पहचान की जा सके जो परीक्षण से गुजर रहा है और 35 वर्ष की आयु से पहले, इसे धारा 4 (3) (i) के तहत प्रदान किए गए अनुसार आयोजित नहीं किया जा सकता है। यही धारा 4 की अनिवार्य आवश्यकता के अनुसार है। पति/पिता का नाम भी है

के उद्देश्य के लिए वैधानिक अधिदेश के अनुसार आवश्यक

रोगी की पहचान। पूरा पता भी अनिवार्य है ताकि उस पहचान का पता लगाया जा सके जो इस तरह के परीक्षण से गुजर रहा है। यदि इन सूचनाओं को अस्पष्ट रखा जाता है, तो अधिनियम का उल्लंघन स्पष्ट और अनियंत्रित होगा और अपराध का कभी पता नहीं लगाया जा सकता है। प्रपत्र 'एफ' की क्रम संख्या 8 की जानकारी में गर्भावस्था की अंतिम मासिक अवधि/सप्ताह का उल्लेख किया जाना आवश्यक है, इसका उल्लेख करना भी आवश्यक है क्योंकि इसका अधिनियम की जांच और प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के साथ सह-संबंध है। क्रम संख्या 9 पर प्रपत्र के कॉलम में परिवार में आनुवंशिक/चिकित्सा रोग के इतिहास को निर्दिष्ट करने की आवश्यकता होती है जो है -

अधिनियम की धारा 4 (3) (iv) के अधिदेश के अनुसार। अनुक्रमिक No.10 पर प्रपत्र 'F' में प्रसव पूर्व निदान के लिए संकेत की आवश्यकता होती है जो है

अल्ट्रासाउंड के दौरान संकेतों की प्रतिनिधि सूची गर्भधारण किया जा सकता है। इस प्रकार, हालांकि निवेदन है कि

प्रपत्र 'एफ' याचिकाकर्ता द्वारा आग्रह की गई लिपिकीय आवश्यकता है-समाज पहली बार में परीक्षा के योग्य प्रतीत होता है, लेकिन बारीकी से जांच करने पर यह पाया जाता है कि यदि प्रपत्र में किसी भी जानकारी से बचा जाता है, तो इसके परिणामस्वरूप धारा 4 के प्रावधानों का घोर उल्लंघन होगा और परिणाम हो सकता है जो धारा 6 के तहत निषिद्ध है। इसे लिपिकीय त्रुटि का मामला नहीं कहा जा सकता है क्योंकि प्रसव पूर्व नैदानिक परीक्षण करने के लिए पूर्व शर्तों का विशेष रूप से उल्लेख नहीं होने की स्थिति में डॉक्टर को प्रक्रिया शुरू करने के लिए पूर्व-आवश्यकताओं को पूरा करना पड़ता है, यह धारा 4 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन होगा। फॉर्म 'एफ' तैयार करना होगा और [2019] 7 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

स्त्री रोग विशेषज्ञ/चिकित्सा आनुवंशिकीविद्/रेडियोलॉजिस्ट/बाल रोग विशेषज्ञ/क्लिनिक/केंद्र/प्रयोगशाला के निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित। मामले में

फॉर्म 'एफ' में दिए गए संकेतों और सूचनाओं को प्रस्तुत नहीं किया गया है, यह इस बात के बराबर होगा कि परीक्षण/प्रक्रिया शुरू करने के लिए पूर्ववर्ती शर्त अनुपस्थित है। नैदानिक परीक्षण/प्रक्रिया क्यों की गई, यह पता लगाने के लिए फॉर्म 'एफ' के अलावा कोई अन्य बैरोमीटर नहीं है। ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी के मामले में

अन्य के अलावा फॉर्म से अस्पष्ट या गायब रखा जाता है, यह अधिनियम के उद्देश्य और उसके तहत प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों को विफल कर देगा और इसके उल्लंघन की जांच करना असंभव हो जाएगा अधिनियम के प्रावधान। प्रपत्र भरना लिपिकीय कार्य नहीं है, यह परीक्षण/प्रक्रिया शुरू करने के लिए पूर्ववर्ती शर्त है। याचिकाकर्ता की ओर से अग्रिम प्रस्तुतिकरण के सभी उचित सम्मान के साथ

समाज कि यह एक लिपिकीय नौकरी है, पूरी तरह से सारहीन है, लेकिन यह उस व्यक्ति का एक जिम्मेदार काम है जो इस तरह का परीक्षण कर रहा है, यानी स्त्री रोग विशेषज्ञ/चिकित्सा आनुवंशिकीविद्/रेडियोलॉजिस्ट /

बाल रोग विशेषज्ञ/क्लिनिक/केंद्र/प्रयोगशाला के निदेशक को भरने के लिए

आवश्यक जानकारी। यदि वह इसे अस्पष्ट रखता है, तो वह पूरी तरह से जानता है कि वह अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन कर रहा है और पूर्ववर्ती शर्तों के अस्तित्व के बिना परीक्षण कर रहा है जो मौजूद होने के लिए अनिवार्य हैं, वह प्रपत्र में ऐसी जानकारी भरे बिना परीक्षण/प्रक्रिया नहीं कर सकता है। यह सुनिश्चित करने का कोई अन्य तरीका नहीं है कि निर्धारित शर्तों को पूरा करने पर परीक्षण किया जाए। रिकॉर्ड के अलावा और कुछ नहीं है जिसे बनाए रखने की आवश्यकता है और जिसके आधार पर काउंटर-चेक किया जा सकता है। अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन का पता लगाने के लिए कोई अन्य बैरोमीटर या मानदंड नहीं है। नियम 9 (4) में यह भी कहा गया है कि प्रत्येक आनुवंशिक क्लिनिक को फॉर्म 'एफ' भरना होगा जिसमें रोगी के विवरण, संकेत के साथ रेफरल नोट्स और रोगी के केस पेपर के संबंध में जानकारी भरी जानी चाहिए और

संरक्षित किया गया। फॉर्म 'एफ' गर्भावस्था के दौरान अल्ट्रासोनोग्राफी करने के लिए सूचक सूची देता है। फॉर्म 'एफ' तकनीकी रूप से प्रकृति अल्ट्रासोनोग्राफी के संचालन के कारणों में अंतर्दृष्टि देती है और अपूर्ण फॉर्म 'एफ' चिकित्सा व्यवसायी के खिलाफ संदेह की धारणा को बढ़ाता है। प्रपत्र 'एफ' के अभाव में, उपयुक्त अधिकारियों के पास अल्ट्रासाउंड मशीन के उपयोग की निगरानी के लिए कोई उपकरण नहीं होगा और वे उस तकनीक के उपयोग को विनियमित करने में सक्षम नहीं होंगे जो अधिनियम का उद्देश्य है।

[पैरा 59] [63-ए-एच; 64-ए-एच] भारत के ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजिकल सोसाइटीज का संघ v. भारत का संघ

2. उत्तरदाताओं की ओर से यह उचित रूप से तर्क दिया गया है कि अधिनियम के तहत निर्धारित रिकॉर्ड रखने के लिए अलग-अलग फॉर्म हैं।

और नियम जो वे महत्वपूर्ण और आपस में जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। इन अभिलेखों को केवल तभी बनाए रखना होता है जब गर्भवती महिला पर प्रक्रिया या परीक्षण किए जाते हैं या जब रोगी को पहले का उपयोग करने की सलाह दी गई हो।

व्यक्ति के निदान और प्रासंगिक चिकित्सा विवरण के विवरण के साथ फॉर्म 'डी' के बिंदु 15 पर संदर्भित। तदनुसार, उपरोक्त संदर्भित प्रक्रिया का संचालन करने वाले आनुवंशिक क्लिनिक/इमेजिंग सेंटर/अल्ट्रासाउंड क्लिनिक को उस व्यक्ति के प्रासंगिक चिकित्सा रिकॉर्ड के साथ रेफरल पर्ची के साथ आनुवंशिक परामर्श केंद्र का नाम और पता दर्ज करना होगा, जिस पर प्रक्रिया/प्रक्रिया की जाती है। परीक्षण/तकनीक आयोजित की जाती है। आनुवंशिक प्रयोगशालाएँ भी उपरोक्त अभिलेख रखने की प्रक्रिया का पालन करेंगी। अधिनियम की योजना यह स्पष्ट करती है कि अभिलेख रखना तकनीक के उपयोग को ट्रैक/मॉनिटर और विनियमित करने के लिए है जिसमें लिंग चयन और लिंग निर्धारण की क्षमता है। धारा 23 एकल धारा नहीं है। बल्कि इसका उपयोग अधिनियम के अन्य प्रावधानों के प्रवर्तन में किया जाता है और धारा 23 का उल्लंघन अक्सर अधिनियम की धारा 4,5,6 और 18 के प्रावधानों के उल्लंघन के साथ होता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि लिंग निर्धारण के संदर्भ में अभिलेख का गैर-रखरखाव केवल एक तकनीकी या तकनीकी कार्य नहीं है।

प्रक्रियात्मक चूक। यह सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण है

अपराध और अभियुक्त की पहचान करना। गलत काम करने वालों की पहचान करने के लिए अभिलेखों का निरीक्षण महत्वपूर्ण है क्योंकि लिंग निर्धारण का अपराध रोगियों और डॉक्टरों के बीच सांठगांठ को देखते हुए एक सांठगांठ वाला अपराध है। तदनुसार, अभिलेखों को बनाए न रखने के लिए धारा 23 में दंड का प्रावधान किया गया है। [पैरा 60] [65-ए-एफ]

3. आर. साई भारती बनाम। जे. जयललीता ने यह देखा है कि अपराध सामाजिक व्यवस्था, अनैतिक और हानिकारक कृत्यों के खिलाफ है। इस न्यायालय द्वारा यह भी कहा गया है कि विधायिका के पास एक व्यक्ति द्वारा दूसरे के खिलाफ किए गए कार्य या चूक को अपराध के रूप में गठित करने के लिए एक कानून हो सकता है। उन बुराइयों को ध्यान में रखते हुए जिन्हें दूर करने की मांग की गई थी [2019] 7 एस. सी. आर.

यह नहीं कहा जा सकता है कि विचाराधीन अधिनियम में अधिरोपण असमान है। प्रतिबंधों और सजा के प्रावधानों का उस उद्देश्य के साथ घनिष्ठ संबंध है जिसे प्राप्त करने की कोशिश की गई थी। कार्रवाई को केवल लिपिकीय कहना संभव नहीं है क्योंकि यह परीक्षण/प्रक्रिया के लिए पूर्व-आवश्यक है और अधिनियम का यही उद्देश्य है, यदि इसे लिपिकीय त्रुटि की आड़ में मंजूरी दी जाती है, तो अधिनियम को वैकल्पिक माना जाएगा। प्रतिबंधों को अत्यधिक नहीं कहा जा सकता है और जनहित में जो आवश्यक है उससे परे, वे समाज की महसूस की गई आवश्यकता और लोगों के सामने आने वाले जटिल मुद्दों को पूरा करते हैं जिन्हें विधायिका हल करने का इरादा रखती है। [पैरा 77] [84-डी-एफ]

क्या निषिद्ध है और उन्हें क्या चूक नहीं करनी चाहिए। श्रेया सिंघल मामले में जिन सिद्धांतों पर विचार-विमर्श किया गया, वे अधिनियम और बनाए गए नियमों की संवैधानिकता का समर्थन करते हैं इसके नीचे। बाध्यकारी सामान्य जनहित और लैंगिक न्याय और घटते लिंग अनुपात को ध्यान में रखते हुए, अधिनियम की धारा 23 (1) के प्रावधानों की वैधता को बनाए रखने में कोई संकोच नहीं है। [पारस 78 और 79] [86-सी-एफ; 88-एफ]

5. यह अधिनियम एक सामाजिक कल्याण कानून है, जो था

भारत के विषम लिंग-अनुपात के आलोक में और उसके परिणामों से बचने के लिए कल्पना की गई। एक विषम लिंग-अनुपात की संभावना है

महिलाओं के खिलाफ हिंसा की अधिक घटनाओं को बढ़ावा देता है और भारत के ऑबस्टेट्रिक्स और स्त्री-पारिस्थितिक समाजों के संघ को बढ़ाता है।

तस्करी, 'दुल्हन-खरीद' आदि की प्रथाओं में। अधिनियम का कठोर कार्यान्वयन एक इमारत है जिस पर बालिका को बचाने का कार्य है। [पैरा 85] [90-ई-एफ] 6. इस न्यायालय की राय में, धाराओं द्वारा अनिवार्य रिकॉर्ड को बनाए रखने में उस कमी को मानने के लिए कोई मामला नहीं बनाया गया है।

5 , 6 और धारा 4 (3) के परंतुक को कमजोर नहीं किया जा सकता है क्योंकि उपरोक्त प्रावधानों को प्रपत्र 'एफ' के विभिन्न स्तंभों में शामिल किया गया है और जैसा कि पहले से ही अभिनिर्धारित किया गया है कि यह एक मामला लिपिकीय गलती नहीं होगी, बल्कि नैदानिक परीक्षण/प्रक्रिया शुरू करने के लिए अनिवार्य नहीं होगी। इसे लिपिक का मामला नहीं कहा जा सकता है।

या तकनीकी चूक। धारा 23 (1) में अपराध के वर्गीकरण के लिए प्रावधान करने की आवश्यकता नहीं है जब अपराध रिकॉर्ड के गैर-रखरखाव का होता है, जिसका रखरखाव स्वयं कन्या भ्रूण हत्या को रोकने का इरादा रखता है। इसमें अपराध को वर्गीकृत करने की आवश्यकता नहीं है और कोई भी अंतर इतना धुंधला है कि अपराध को रोकना संभव नहीं होगा। लिंग के वास्तविक निर्धारण और अभिलेख के गैर-रखरखाव के आधार पर अपराध का कोई वर्गीकरण करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि पूर्व-आवश्यकताओं के बिना परीक्षण करना अधिनियम के तहत पूरी तरह से निषिद्ध है। अभिलेख का गैर-रखरखाव अपराध का बहुत बड़ा आधार है। पहले और दूसरे अपराधों के लिए श्रेणीकरण किया गया है जो काफी उचित है। [पैरा 86] [90-जी-एच; 91-ए-बी]

7. यह भी तर्क दिया गया कि जब्ती की कार्रवाई

अल्ट्रासोनोग्राफी मशीन और परिसर को सील करना उचित नहीं कहा जा सकता है। प्रस्तुतिकरण बहुत कमजोर है और अस्वीकार किए जाने योग्य है। अधिनियम की धारा 30 में तलाशी और जब्ती की शक्ति की गणना की गई है और नियमों के नियम 11 और 12 में उपकरण को सील करने, परिसर का निरीक्षण करने और तलाशी और जब्ती करने के लिए उपयुक्त प्राधिकरण की शक्ति प्रदान की गई है। उत्तरदाताओं द्वारा यह बताया गया कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा तलाशी और जब्ती की प्रक्रिया का विवरण देते हुए एक "मानक संचालन प्रक्रिया" विकसित की गई है। इसके अलावा, राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर उपयुक्त अधिकारियों का नियमित प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सभी राज्यों को अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए ऑनलाइन एम. आई. एस. विकसित करने का भी निर्देश दिया गया है। यह तय किया गया प्रस्ताव है कि जब अपराध किया गया पाया जाता है, तो मुकदमे के दौरान परिसर और उपकरणों को जब्त और सील किया जा सकता है क्योंकि 7 एस. सी. आर. पर जाने के लिए कोई लाइसेंस नहीं दिया जा सकता है।

किसी भी पेशे को जारी रखने के लिए उचित प्रतिबंधों का गठन करता है जो इसे अनुच्छेद 14 के तहत प्रदत्त समानता के अधिकार या अनुच्छेद के तहत किसी भी पेशे का अभ्यास करने के अधिकार का उल्लंघन करने वाला नहीं कहा जा सकता है।

19 (1) (जी)। अनुच्छेद के तहत मौलिक कर्तव्यों पर विचार करना

51 ए (ई) और यह देखते हुए कि कन्या भ्रूण हत्या सबसे अमानवीय कार्य है और इसके परिणामस्वरूप लिंग अनुपात में कमी आती है, ऐसे प्रावधानों को किसी भी तरह से अवैध और मनमाना नहीं कहा जा सकता है, इसके अलावा मनमाने कार्यों को रोकने के लिए अधिनियम में विभिन्न सुरक्षा उपाय प्रदान किए गए हैं। [पैरा 90] [92-ए-ई]

8. अभिलेख का रखरखाव न करना भ्रूण हत्या के अपराध के लिए स्प्रिंग बोर्ड है, न कि केवल एक लिपिकीय त्रुटि के लिए। इसके लिए

अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए नियमों द्वारा विस्तृत प्रपत्र प्रदान किए गए हैं जिनमें अभिलेखों को बनाए रखा जाना है। ये नियम अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक हैं और इस तरह के अभिलेख का अनुचित रखरखाव अधिनियम की धारा 4 (3) के प्रावधान के आधार पर अधिनियम की धारा 5 और 6 के प्रावधानों का उल्लंघन है। इसके अलावा, अधिनियम या इसके नियमों के प्रावधानों का कोई भी उल्लंघन आकर्षित करेगा।

अधिनियम की धारा 20 के तहत उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा आनुवंशिक परामर्श केंद्र, आनुवंशिक प्रयोगशाला या आनुवंशिक चिकित्सालय के पंजीकरण को रद्द या निलंबित करना। [पैरा 92] [92-एच; 93-ए-बी]

9. प्रस्तुतिकरण में कोई सार नहीं है कि धारा 4 (3) के प्रावधान को पढ़ा जाए। धारा 4 (3) के प्रावधान के आधार पर, गर्भवती महिला पर अल्ट्रासोनोग्राफी करने वाले व्यक्ति से निर्धारित तरीके से इसका पूरा रिकॉर्ड रखने की आवश्यकता होती है और इसमें कोई भी कमी या अशुद्धि अधिनियम की धारा 5 या धारा 6 के उल्लंघन के बराबर होती है, जब तक कि उक्त प्रक्रिया का संचालन करने वाले व्यक्ति द्वारा इसके विपरीत साबित नहीं किया जाता है।

अल्ट्रासोनोग्राफी। धारा 4 (3) का उपरोक्त प्रावधान ऐसे मामलों में अभिलेखों के महत्व को दर्शाता है, क्योंकि वे अक्सर यह सुनिश्चित करने के लिए एकमात्र स्रोत होते हैं कि कोई प्रतिष्ठान लिंग निर्धारण में संलग्न नहीं है। [पैरा 93] [93-सी-डी] 10. उन अपराधों की प्रकृति के आलोक में, जिनके लिए अधिनियम के अधिनियमन की आवश्यकता थी और गंभीर परिणाम जो भारत के उद्देश्यों और स्त्री-सांस्कृतिक समाजों का संघीकरण करेंगे।

अन्यथा, अधिनियम की धारा 23 (2) के तहत पंजीकरण का निलंबन एक निवारक के रूप में कार्य करता है। अधिनियम की धारा 23, जो अपराधों के दंड का प्रावधान करती है, अधिनियम की अन्य धाराओं की सहायता में कार्य करती है, काफी उचित है। यह किसी भी चिकित्सा आनुवंशिकीविद्, स्त्री रोग विशेषज्ञ, पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी या आनुवंशिक परामर्श केंद्र, आनुवंशिक चिकित्सालय या आनुवंशिक प्रयोगशाला के मालिक व्यक्ति के लिए सजा का प्रावधान करता है और उक्त स्थान पर या वहां अपनी पेशेवर या तकनीकी सेवाएं प्रदान करता है, चाहे वह मानदेय के आधार पर हो या अन्यथा और अधिनियम या इसके तहत नियमों के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है। [पारस 91 और 94] [92-एफ; 93-ई] 11. इसलिए, अधिनियम या नियमों के प्रावधानों को कमजोर करने से केवल कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के अधिनियम के उद्देश्य को विफल कर दिया जाएगा, और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत बालिकाओं के जीवन के अधिकार को केवल औपचारिकता तक सीमित कर दिया जाएगा। [पैरा 95] [93-एफ]

भारत संघ, (2001) 5 एस. सी. सी. 577 [2001] 3 एस. सी. आर. 534; स्वैच्छिक स्वास्थ्य संगठन पंजाब बनाम। भारत संघ, (2013) 4 एस. सी. सी. 1: [2013] 5 एससीआर 111; नमित शर्मा बनाम। भारत संघ (2013) 1 एससीसी 745: [2013] 13 एस. सी. आर. 1; हमरद दवाखाना बनाम। भारत संघ ए. आई. आर. 1960 एस. सी. 554: [1960] एस. सी. आर. 671; सुब्रमण्यम स्वामी बनाम। भारत संघ, (2016) 7 एस. सी. सी. 221: [2016] 3 एस. सी. आर. 865 पर भरोसा किया।

सुओ मोटू बनाम। गुजरात राज्य, (2009) 1 गुजरात लॉ रिपोर्टर 64; राज बोकारिया बनाम। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया

(डब्ल्यू. पी. (ग) दिल्ली उच्च न्यायालय में 2010 का No.795)

स्वीकृत किया गया।

अरुण भंडारी बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य (2013) 2 एस. सी. सी. 801:

[2013] 3 एस. सी. आर. 961; स्वास्थ्य और उससे संबंधित मामलों की जांच

विषय (सी. ई. एच. ए. टी.) v. भारत संघ, (2003) 8 एस. सी. सी. 398 [2003] 3 पूरक। एस. सी. आर. 593; उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम। अयोध्या प्रसाद मिश्रा (2008) 10 एससीसी 139: [2008] 13 एस. सी. आर. 373; स्वैच्छिक स्वास्थ्य संगठन पंजाब बनाम। भारत संघ (2016) 10 एससीसी

265 [2016] 8 एससीआर 192; डॉ. सुभाष काशीनाथ [2019]

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

महाजन बनाम। महाराष्ट्र राज्य (2018) 6 एससीसी 4

[2018] 4 एससीआर 877; ज्ञान कौर बनाम। पंजाब राज्य (1)

2 एससीसी 648: [1996] 3 एस. सी. आर. 697; निकेश ताराच

शाह बनाम। भारत संघ, (2018) 11 एस. सी. सी. 1: [2017

एस. सी. आर. 358; पी. रथिनम बनाम भारत संघ (1994) 3 एस

394 ; उत्तर प्रदेश राज्य बनाम। वसीफ हैदर (201)

एस. सी. सी. 303-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[2013] 3 एससीआर 961

संदर्भित किया गया है

पा.

[2003] 3 पूरक। एससीआर 593

संदर्भित किया गया है

पा.

[2008] 13 एससीआर 373

संदर्भित किया गया है

पा.

[2016] 8 एससीआर 192

पा.

संदर्भित किया गया है

[2001] 3 एससीआर 534

उस पर भरोसा करें

पा.

[2013] 5 एससीआर 111

उस पर भरोसा करें

पा.

[2013] 13 एससीआर 1

उस पर भरोसा करें

पा.

[1960] एससीआर 671

उस पर भरोसा करें

पा.

[2018] 4 एससीआर 877

संदर्भित किया गया है

पा.

[1996] 3 एससीआर 697

संदर्भित किया गया है

पा.

[2016] 3 एससीआर 865

उस पर भरोसा करें

पा.

[2003] 6 पूरक। एससीआर 85

उस पर भरोसा करें

पा.

[2015] 5 एससीआर 963

उस पर भरोसा करें

पा.

[2017] 12 एससीआर 358

संदर्भित किया गया है

पा.

(1994) 3 एस. सी. सी. 394

संदर्भित किया गया है

पा.

(2019) 2 एससीसी 303

संदर्भित किया गया है

पा.

नागरिक मूल न्यायनिर्णयः लेखन याचिका

129 2017 से।

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत)

सोली जे. सोराबजी, श्याम दीवान, वरिष्ठ अधिवक्ता। , अमित कारख

जोशी, सुश्री सलोनी सुलाखे, विनायक भंडारी, सुश्री पलवी एस. एम./एस. सी. एन. सी.), एड. याचिकाकर्ता के लिए।

भारत के ऑब्स्टेट्रिक्स और स्त्री-पारिस्थितिक समाजों का संघ v. भारत संघ [अरुण मिश्रा, जे.]

सुश्री पिंकी आनंद, ए. एस. जी., विश्वजीत भट्टाचार्य, वरिष्ठ अधिवक्ता। , सुश्री विमला सिन्हा, सुश्री स्निधा मेहरा, सुश्री सौदामिनी शर्मा, गुरमीत सिंह

मक्कर, सुश्री रश्मि नंदकुमार, गौरव शर्मा, धवल मोहन, अभिषेक, प्रतीक भाटिया, प्रसाना मोहन, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

अरुण मिश्रा, जे।

1. फेडरेशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजिकल सोसाइटीज ऑफ इंडिया (एफओजीएसआई) द्वारा तत्काल रिट याचिका दायर की गई है।

'समाज' के रूप में संदर्भित) गर्भधारण-पूर्व और प्रसव-पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन का निषेध) अधिनियम, 1994 (इसके बाद अधिनियम के रूप में संदर्भित) के तहत देश भर में प्रसूति और स्त्री रोग विशेषज्ञों के अभ्यास को प्रभावित करने वाले मुद्दों और समस्याओं पर प्रकाश डालते हुए और अधिनियम की धारा 23 (1) और 23 (2) की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए और प्रमाणपत्र/अनिवार्य की प्रकृति में निर्देश की मांग करते हुए।

2. याचिकाकर्ता-सोसायटी की ओर से स्थापित मामला यह है कि अधिनियम को प्रसव पूर्व निदान को प्रतिबंधित करने के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया था भ्रूण के लिंग निर्धारण के लिए तकनीकें जो कन्या भ्रूण हत्या की ओर ले जाती हैं। लेकिन दुर्भाग्य से, इसका कार्यान्वयन अक्षर में अधिक और भावना में कम है। लिंग निर्धारण और लिंग चयन की समस्या एक गंभीर मुद्दा है और यह हमारी सबसे बड़ी सामाजिक समस्याओं में से एक है।

समाज। अधिनियम के अधिनियमन और बाद के संशोधनों के बावजूद, बाल लिंग अनुपात में महत्वपूर्ण सुधार नहीं हुआ है, इसलिए,

अधिनियम के उचित कार्यान्वयन पर पर्याप्त चिंता और प्रश्न। यह तर्क दिया जाता है कि लिंग निर्धारण के वास्तविक अपराध के साथ समान आधार पर लिपिकीय त्रुटियों की तुलना करना अधिनियम की भाषा में अंतर्निहित कमजोरी को दर्शाता है।

3. यह आगे तर्क दिया जाता है कि उपयुक्त प्राधिकरण ने नियुक्त किया

अधिनियम के तहत विभिन्न जिलों और शहरों में निरीक्षण और छापे मारे जाते हैं और भले ही कागजी कार्रवाई में केवल विसंगतियां हों, यह सोनोग्राफी मशीन को सील कर देता है और अधिनियम के तहत एक आपराधिक मामला दर्ज करता है। नतीजतन, जो डॉक्टर लिंग निर्धारण और लिंग चयन नहीं करते हैं, उन्हें उपरोक्त विसंगतियों के आधार पर निशाना बनाया जा रहा है। अंतर्निहित दुर्बलता [2019] 7 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अधिनियम में जैसा कि यह वर्तमान में अपने वर्तमान रूप में है

बराबर के रूप में असमान। यह अधिनियम आपराधिक अपराधों और कागजी कार्रवाई में विसंगतियों के बीच अंतर करने में विफल रहा है जैसे कि अपूर्ण 'एफ'-प्रपत्र, लिपिकीय गलतियाँ जैसे कि एन. ए. या अपूर्ण पता लिखना, कोई उल्लेख नहीं।

तारीख की, सोनोग्राफी कक्ष में राधा कृष्ण की आपत्तिजनक तस्वीरें, फॉर्म 'एफ' को अधूरा भरना, सोनोग्राफी के लिए संकेत नहीं लिखा गया, नोटिस बोर्ड को फीका कर दिया गया और सुपाठ्य नहीं किया गया, फॉर्म 'एफ' आदि में विवरण दर्ज किया गया, जिससे याचिकाकर्ता-सोसाइटी के सदस्यों पर कन्या भ्रूण हत्या और लिंग निर्धारण के जघन्य अपराध के लिए आरोप लगाया गया और वह भी केवल रिकॉर्ड रखने में अनजाने में हुई गलतियों के लिए। अधिनियम समान प्रावधान करता है

अधिनियम के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन के लिए दंड, इस प्रकार कागजी कार्रवाई में विसंगतियों और एक ही आधार पर लिंग निर्धारण और लिंग चयन के अपराध की बराबरी करना। मशीनों की सीलिंग सीधे उस क्षेत्र में एक महिला को एक महत्वपूर्ण चिकित्सा सहायता से वंचित करती है और इस तरह महिलाओं के जीवन को खतरे में डालती है। सोनोग्राफी मशीन की अनुचित सीलिंग न केवल महिलाओं के कल्याण को प्रभावित करती है, बल्कि यह याचिकाकर्ता-सोसायटी के सदस्यों के अनुचित उत्पीड़न और मानसिक यातना के बराबर भी है।

मुकदमे के लंबित रहने के दौरान आवश्यक कार्रवाई के लिए उपयुक्त प्राधिकरण। याचिकाकर्ता-सोसायटी ने प्रस्तुत किया कि अधिनियम की धारा 23 (2) संविधान के अधिकार से बाहर है क्योंकि यह एक सक्षम अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने से पहले कथित आरोपी के अपराध को मानती है और इसलिए संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती है। 7. यह तर्क दिया जाता है कि निर्दोषता का अनुमान कानून के शासन का एक प्रमुख सिद्धांत है जिसके लिए याचिकाकर्ता-समाज ने नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय वाचा, 1966 के अनुच्छेद 14 (2) पर निर्भरता रखी है, जिसमें कहा गया है कि आपराधिक अपराध के लिए आरोपित प्रत्येक व्यक्ति को भारत के उद्देश्यों और स्त्री-सांस्कृतिक समाजों का संघीकरण करना होगा।

भारत संघ [अरुण मिश्रा, जे.]

कानून के अनुसार दोषी साबित होने तक निर्दोष माने जाने का अधिकार है। नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय वाचा, 1966 का अनुच्छेद 14 (2) इस प्रकार हैः

" अनुच्छेद 14

1. ***

2. आपराधिक अपराध के लिए आरोपित प्रत्येक व्यक्ति को कानून के अनुसार दोषी साबित होने तक निर्दोष माने जाने का अधिकार होगा। ”

8. यह तर्क दिया जाता है कि अधिनियम आयोग के दौरान पुरुषों की उपस्थिति और अनुपस्थिति के मामलों के बीच अंतर करने में विफल रहता है

मामूली लिपिकीय गलतियाँ। संज्ञान लेते समय पुरुष अधिकार की धारणा नहीं की जाती है और इसे अरुण भंडारी बनाम में इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार स्थापित किया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश राज्य (2013) 2 एस. सी. सी. 801।

9. याचिकाकर्ता-सोसायटी ने दंडात्मक मूर्तियों के मामलों में इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों पर और अधिक भरोसा किया है ताकि उचित निर्णय दिया जा सके।

संबंधित अधिनियम की योजना को प्रभावी बनाना और संबंधित दंडात्मक प्रावधानों को कम करके/पढ़कर/कम करके शामिल विभिन्न हितों को संतुलित करना।

10. यह आगे तर्क दिया जाता है कि आरोप तय करने के चरण में चिकित्सा लाइसेंस का निलंबन अत्यधिक अनुचित और कठोर है, जो इसके परिणामस्वरूप न केवल सोसायटी के सदस्यों, बल्कि उनके परिवार के साथ-साथ उन आश्रितों की भी आजीविका का नुकसान होता है, जो वित्तीय सुरक्षा और कल्याण से वंचित हैं। धारा 23 (1) के अस्पष्ट और अस्पष्ट शब्द धारा 25 को पूरी तरह से निरर्थक बनाते हैं।

11. यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि फॉर्म-एफ जैसा कि आज है, उस उद्देश्य को पूरा नहीं करता है जिसके लिए इसे बनाया गया था और इसमें कोई सार नहीं है।

साक्ष्य जो यह साबित करता है कि प्रपत्र-एफ में त्रुटियों का लिंग चयन और निर्धारण के अपराध के साथ कोई सीधा संबंध है।

12. उत्तरदाता सं। 1 4 ने याचिकाकर्ता सोसायटी के दावों का पूरी तरह से खंडन किया है। यह तर्क दिया जाता है कि यह अधिनियम एक सामाजिक कल्याण है

जन्म से पहले लड़कियों के उन्मूलन को रोकने के सामाजिक उद्देश्य के साथ कानून और यह चिकित्सा का अभ्यास करने का कोई सामान्य अधिकार प्रदान करने वाला सामान्य कानून नहीं है। विधायिका के विशिष्ट चयन को मनमाना नहीं कहा जा सकता है और यह किसी भी तरह से अधिकार के बाहर या संविधान का उल्लंघन नहीं है। यह अधिनियम एक केंद्रीय कानून है; हालाँकि, इसका कार्यान्वयन मुख्य रूप से राज्यों के पास है, जिन्हें अधिनियम के तहत गठित राज्य में वैधानिक निकायों के माध्यम से कानून को लागू करने की आवश्यकता होती है। यह अधिनियम केंद्रीय [2019] 7 एस. सी. आर. को सशक्त बनाता है।

प्रसव पूर्व नैदानिक तकनीकों के उपयोग को विनियमित करने के लिए सरकार। प्रौद्योगिकी के प्रसार के परिणामस्वरूप कन्या भ्रूण हत्या के रूप में एक आपदा हो रही है जिससे जन्म के समय बाल लिंग अनुपात और लिंग अनुपात में गंभीर असंतुलन हो रहा है। समाज, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के कल्याण को बनाए रखने के लिए केंद्र इस तरह के मामले में हस्तक्षेप करने के लिए बाध्य है। इस अधिनियम को गर्भधारण से पहले या बाद में लिंग चयन तकनीकों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के उद्देश्य से लागू किया गया था; लिंग चयन गर्भपात के लिए प्रसव पूर्व नैदानिक तकनीकों के दुरुपयोग को रोकने और ऐसी तकनीकों को विनियमित करने के लिए। अधिनियम के तहत अल्ट्रासाउंड मशीनों के उपयोग के संबंध में उचित रिकॉर्ड बनाए रखना अनिवार्य है। अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य, जिला और उप-जिला स्तर पर उपयुक्त प्राधिकरण का एक पदानुक्रम बनाया गया है।

13. यह तर्क दिया जाता है कि गर्भवती महिला पर अल्ट्रासोनोग्राफी परीक्षण को प्रसव पूर्व नैदानिक परीक्षण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है और

इस तरह के परीक्षण का संचालन करने वाले व्यक्ति को इसका पूरा रिकॉर्ड रखना होगा।

नियमों में निर्धारित तरीके से और ऐसे अभिलेखों को बनाए रखने में कमी या अशुद्धता अपराध होगी। अधिनियम के अध्याय VII में अपराधों और दंड का प्रावधान है और अधिनियम के तहत अपराधों का कोई वर्गीकरण नहीं है क्योंकि यह अपराधों को वर्गीकृत नहीं करता है। की बराबरी करते हुए

लिंग निर्धारण के वास्तविक अपराध के साथ समान आधार पर लिपिकीय त्रुटियाँ अधिनियम और उसके तहत नियमों के प्रावधानों के अनुपालन में हैं। यह अधिनियम डॉक्टरों द्वारा किए गए उल्लंघनों में अंतर नहीं करता है और अधिनियम के तहत सभी उल्लंघनों के लिए सजा का प्रावधान करता है। अधिनियम अपने उद्देश्य और उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए सजा निर्धारित करता है जो महिला भ्रूण का पता लगाने से रोकने के लिए है जो व्यापक सार्वजनिक हित में है, इसलिए अधिनियम की धारा 23 अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन नहीं करती है। यह भी कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (जी) के तहत किसी पेशे का अभ्यास करने का अधिकार पूर्ण अधिकार नहीं है।

14. यह तर्क दिया जाता है कि याचिकाकर्ता-समाज सामाजिक कार्य की आड़ में इस न्यायालय को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है और एक आपराधिक कार्य को अनुच्छेद 19 के तहत संरक्षित नहीं किया जा सकता है। अधिनियम के तहत अपराध हैं -

प्रति आपराधिक और आपराधिक उल्लंघनों के लिए कोई छूट नहीं मांगी जा सकती है

जनहित या स्वतंत्रता के अधिकार की आड़ में। 15. यह तर्क दिया जाता है कि उपयुक्त प्राधिकरण स्वास्थ्य और संबद्ध विषयों की जांच केंद्र (सी. ई. एच. ए. टी.) v. में इस न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार निरीक्षण करता है। भारत संघ, (2003) 8 एस. सी. सी. 398, जिसमें निरीक्षण करने के लिए राष्ट्रीय निरीक्षण और निगरानी समिति का गठन करने का निर्देश दिया गया था।

ओब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलोजिकल के संघ के रूप में भारत के समाज बनाम। भारत संघ [अरुण मिश्रा, जे.]

16. प्रत्यर्थियों का तर्क है कि अधिनियम के उचित कार्यान्वयन के लिए अभिलेख रखना महत्वपूर्ण है और अभिलेखों के रखरखाव और गैर-अनुपालन के लिए सजा के संबंध में कड़े प्रावधान नहीं हो सकते हैं। अधिनियम की दुर्बलता के रूप में माना या माना जाए। यदि इसे अनिवार्य आवश्यकता से छूट दी गई है, तो संभवतः लिंग निर्धारण में भागीदारी

और नैदानिक तकनीकों के उपयोग की आड़ में लिंग चयन बेरोकटोक जारी रहेगा।

डायग्नोस्टिक क्लिनिक भ्रूण के लिंग के संचार के निषेध के संबंध में रोगी/गर्भवती महिला की सहमति के संबंध में सेवाओं और पुष्टि का लाभ उठाएगा ताकि प्रौद्योगिकी के दुरुपयोग से बचा जा सके। अधिनियम की धारा 4 (3) में प्रत्येक आनुवंशिक परामर्श केंद्र/आनुवंशिक चिकित्सालय को फॉर्म 'एफ' भरने की आवश्यकता है। प्रपत्र 'एफ' भरना अधिनियम के उद्देश्यों के अनुरूप है जो प्रौद्योगिकी को विनियमित करने और लिंग निर्धारण के उद्देश्य से प्रौद्योगिकी के दुरुपयोग से बचने के लिए है। यह अल्ट्रासोनोग्राफी के संचालन के कारणों की अंतर्दृष्टि देता है और अपूर्ण फॉर्म 'एफ' चिकित्सा व्यवसायी के खिलाफ संदेह का अनुमान लगाता है और फॉर्म 'एफ' के अभाव में, उपयुक्त प्राधिकरण के पास अल्ट्रासोनोग्राफी मशीन के उपयोग की निगरानी करने का कोई साधन नहीं होगा और तकनीक के उपयोग को विनियमित करने में सक्षम नहीं होगा। अभिलेखों का गैर-रखरखाव लिंग निर्धारण के संदर्भ में केवल एक तकनीकी या प्रक्रियात्मक चूक नहीं है, यह अभियुक्त की पहचान करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य है। यह भी तर्क दिया जाता है कि प्रपत्र 'एफ' में लिपिकीय त्रुटियां अधिनियम की धारा 4 के तहत आती हैं और इसमें पाई जाने वाली कोई भी कमी या अशुद्धि अधिनियम की धारा 5 या 6 के प्रावधानों का उल्लंघन होगी जब तक कि ऐसा करने वाले व्यक्ति द्वारा इसके विपरीत साबित नहीं किया जाता है। अल्ट्रासोनोग्राफी।

19] 7 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

18. यह तर्क दिया जाता है कि प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति, जो किसी भी प्रक्रियात्मक अनियमितता से पीड़ित है, अधिनियम की धारा 21 और नियमों के नियम 19 के तहत प्रदान किए गए कानूनी उपचार का लाभ उठा सकता है।

19. प्रत्यर्थियों ने सुओ मोटू बनाम में गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय पर भरोसा किया है। गुजरात राज्य, (2009) 1 जी. एल. आर. 64, जो अभिलेखों के उचित रखरखाव के मुद्दे और एस. के. गुप्ता बनाम राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय से संबंधित है। भारत संघ, जिसमें यह देखा गया था कि महिला शिशुओं को भी जीने का अधिकार है। गर्भावस्था के दौरान अभी भी पैदा हुए बच्चे की उचित देखभाल करने का अधिकार है। एक बार जब कोई बच्चा पैदा हो जाता है, तो उसके साथ गरिमा के साथ व्यवहार किया जाना चाहिए। इस तरह के अधिकार से इनकार नहीं किया जा सकता है और कन्या भ्रूण हत्या/शिशु हत्या की प्रथा बड़े पैमाने पर प्रचलित है जो अवैध और असंवैधानिक है।

शिष्टाचार और नैतिकता) विनियम, 2002; फार्मेसी अभ्यास विनियम, 2015 का विनियम 6.2 और मानव अंगों और ऊतकों का प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994, जिसमें निम्नलिखित के संबंध में प्रावधान शामिल हैं - उचित अभिलेखों का रखरखाव।

21. यह प्रस्तुत किया जाता है कि धारा 23 और धारा 25 एक दूसरे के पूरक हैं, जैसा कि याचिकाकर्ता-सोसायटी द्वारा तर्क दिया गया है, विरोधाभासी नहीं हैं। अंत में यह तर्क दिया जाता है कि धारा 4 (3) के प्रावधान को निरस्त करने का कोई मामला नहीं बनाया गया है।

22. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सोली जे. सोराबजी और श्री श्याम दीवान ने आग्रह किया कि वर्तमान असमान लोगों के साथ समान व्यवहार का उत्कृष्ट उदाहरण है। अधिनियम में अंतर्निहित दुर्बलता के कारण, जिसके तहत सदस्य

याचिकाकर्ता-समाज के साथ असमान व्यवहार किया जाता है क्योंकि केवल लिपिकीय त्रुटियों के परिणामस्वरूप व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन हुआ है। यह अधिनियम वास्तविक लिंग निर्धारण के अपराध को अभिलेख के रखरखाव में लिपिकीय त्रुटि के रूप में वर्गीकृत करने में विफल रहता है। अपराध का कोई वर्गीकरण नहीं है। 23. बेगुनाही के अनुमान को अधिनियम के तहत समाप्त नहीं किया जाना चाहिए। यही मानवाधिकारों का हिस्सा है। का अनुमान

निर्दोषता दोषसिद्धि तक जारी रहती है। धारा 23 (2) के तहत निलंबन के प्रावधान कठोर हैं। अभिलेखों के रखरखाव में किसी भी कमी या अशुद्धि को धारा 5 या धारा 6 के तहत उल्लंघन नहीं माना जाना चाहिए और तदनुसार धारा 4 (3) के परंतुक को कम किया जाना चाहिए। यह स्पष्ट किया जा सकता है कि धारा 4 (3), धारा 29 और नियम 9 के परंतुक का उल्लंघन या मामूली दंड को आकर्षित करने वाली तकनीकी खामियों को भारत के उद्देश्यों और स्त्री-सांस्कृतिक समाजों के संघ को आकर्षित नहीं करना चाहिए।

भारत संघ [अरुण मिश्रा, जे.]

अधिनियम की धारा 27। धारा 23 (2) के प्रावधान को पढ़ा जाना चाहिए ताकि लिपिकीय गलतियों या अनजाने में तकनीकी त्रुटियों/खामियों के मामले में निलंबन धारा 23 (2) के तहत नहीं आना चाहिए। धारा 20 के तहत नोटिस जारी करना अनिवार्य बनाया जाए। फॉर्म 'एफ' दाखिल करते समय तकनीकी आधार पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी जैसे कि लघु फॉर्म लिखना, 'लागू नहीं' के बजाय 'एन. ए.' लिखना, डॉक्टरों के प्रारंभिक अक्षर लिखना आदि। सक्षम प्राधिकारी को प्रत्येक मामले पर गुण-दोष के आधार पर विचार करना चाहिए

कानूनी सलाहकार की सहायता। आपराधिक मुकदमे के लंबित होने के आधार पर एक चालू इकाई के केंद्र के पंजीकरण के नवीनीकरण से इनकार करना अवैध और कठोर है। किसी भी उपकरण आदि को जब्त नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि मानव उपयोग के लिए अल्ट्रासाउंड मशीन आवश्यक है। ऐसे उपयोगी उपकरणों को बंद रखना उचित नहीं है।

24. सुश्री पिंकी आनंद, उत्तरदाताओं की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, की ओर से उठाए गए निवेदन का विरोध करते हुए याचिकाकर्ता-समाज ने तर्क दिया कि भारत में बाल लिंग अनुपात में खतरनाक गिरावट आई है और कई जिलों में यह बदतर है क्योंकि प्रति हजार अनुपात 800 से कम है। उन्होंने उद्देश्य और विधायी पर भी भरोसा किया है।

अधिनियम के अधिनियमन का इतिहास जिसमें उसके तहत किए गए संशोधन और नियम शामिल हैं। उचित अभिलेख रखना अनिवार्य कर दिया गया है। अल्ट्रासाउंड मशीनों के उपयोग के संबंध में। इस अधिनियम में लिंग चयन/निर्धारण के निषेध के साथ-साथ प्रसव पूर्व निदान के विनियमन का प्रावधान है।

तकनीकें। इस अधिनियम के अस्तित्व में आने के 24 वर्षों के बावजूद, यह दर्ज किए गए 4202 मामलों में से केवल 586 है, जिसके परिणामस्वरूप 138 चिकित्सा लाइसेंसों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इस न्यायालय द्वारा अभिलेखों के उचित रखरखाव पर कई निर्णयों में जोर दिया गया है। अधिनियम की योजना में धारा 23 केंद्रीय प्रावधान है। प्रपत्र 'एफ' बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह विवरण और संचालन के कारण देता है।

अल्ट्रासोनोग्राफी और अपूर्ण फॉर्म 'एफ' चिकित्सा व्यवसायी के खिलाफ संदेह की धारणा को बढ़ाता है। धारा 23 और प्रपत्र 'एफ' आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए प्रावधानों को कम नहीं किया जा सकता है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि

अपराध की मिली-जुली प्रकृति को साक्ष्य में दर्शाया गया है। याचिकाकर्ता-सोसायटी द्वारा उद्धृत उदाहरणों के लिए प्रभावी और प्रभावी उपचार मौजूद हैं। उन्होंने पानीपत में प्रभाकर अस्पताल के कार्यान्वयन उपकरण के रूप में रिकॉर्ड रखने पर एक केस स्टडी पर भी भरोसा किया। अधिनियम को संवैधानिकता का अनुमान प्राप्त है और याचिकाकर्ता-सोसायटी द्वारा मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का कोई मामला नहीं बनाया गया है। अधिनियम विनियामक है और इसके लिए है यही उद्देश्य चिकित्सा बिरादरी पर लागू अन्य प्रावधानों के इरादे को आगे बढ़ाता है, जिसके लिए [2019] 7 एस. सी. आर. के कठोर रखरखाव की आवश्यकता होती है।

अभिलेख। विभिन्न रूपों में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हिंसा की व्यापक व्यापकता को ध्यान में रखते हुए, विधानमंडल ने लैंगिक न्याय सुनिश्चित करने और महिला भ्रूण के रोने का ध्यान रखने के लिए कई अधिनियम बनाए हैं। याचिकाकर्ता-सोसायटी द्वारा किसी भी दिशानिर्देश को हटाने, कमजोर करने या जारी करने का कोई मामला नहीं बनाया गया है।

25. हस्तक्षेपकर्ता की ओर से यह आग्रह किया गया था कि अधिनियम की धारा 28 यह स्पष्ट करती है कि कोई भी अदालत किसी अपराध का संज्ञान तब तक नहीं लेगी जब तक कि

उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा की गई शिकायत पर। उपयुक्त प्राधिकरण की संरचना धारा 17 (3) (ए) के तहत प्रदान की गई है, जो एक उच्च शक्ति प्राप्त निकाय है। पर्यवेक्षी बोर्ड गतिविधियों की समीक्षा करेगा। धारा 16 ए (1) (ii) के तहत प्रदान किए गए उपयुक्त प्राधिकरणों के लिए। पर्यवेक्षी समिति में एक बड़ा निकाय होता है। इस प्रकार, अधिनियम के भीतर नियंत्रण और संतुलन बनाए रखने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय हैं।

26. विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करने से पहले हम इन पर ध्यान देते हैं -

अधिनियम के प्रावधान। इस अधिनियम को संसद द्वारा निम्नलिखित उद्देश्यों और कारणों के विवरण के साथ पेश किया गया थाः

" उद्देश्यों और कारणों का विवरण

भ्रूण के लिंग निर्धारण के लिए प्रसव पूर्व नैदानिक तकनीकों को प्रतिबंधित करने का प्रस्ताव है जिससे कन्या भ्रूण हत्या हो सकती है। तकनीकों का इस तरह का दुरुपयोग महिला लिंग के खिलाफ भेदभावपूर्ण है और महिलाओं की गरिमा और स्थिति को प्रभावित करता है। एक कानून है

ऐसी तकनीकों के उपयोग को विनियमित करने और प्रदान करने के लिए आवश्यक

इस तरह के अमानवीय कृत्य को रोकने के लिए निवारक सजा।

विधेयक में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैंः

(i) भ्रूण के लिंग निर्धारण के लिए प्रसव पूर्व नैदानिक तकनीकों के दुरुपयोग पर प्रतिबंध,

कन्या भ्रूण हत्या के लिए;

((ग) विशिष्ट आनुवंशिक असामान्यताओं या विकारों का पता लगाने के उद्देश्य से प्रसव पूर्व नैदानिक तकनीकों के उपयोग की अनुमति और विनियमन;
((iv) पंजीकृत संस्थानों द्वारा केवल कुछ शर्तों के तहत ऐसी तकनीकों के उपयोग की अनुमति देना; और भारत के ऑबस्टेट्रिक्स और स्त्री-सांस्कृतिक समाजों का संघ।

(v) के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए सजा

प्रस्तावित कानून।

2. विधेयकों का उद्देश्य उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करना है।

विधानमंडल की चिंता यह थी कि अधिकांश भारतीय परिवारों में कन्या का खुले हाथों से स्वागत नहीं किया जाता है और कन्या भ्रूण हत्या करने के लिए नैदानिक तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। 27. कन्या भ्रूण हत्या न केवल भारत की बल्कि विभिन्न देशों की चिंता का विषय है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपनाया था

लिंग चयन, कन्या शिशु हत्या और स्त्री जननांग विकृति। उक्त प्रस्ताव में सभी राज्यों से संरक्षण कानून बनाने और लागू करने का भी आग्रह किया गया कन्या भ्रूण हत्या और प्रसवपूर्व लिंग चयन सहित सभी प्रकार की हिंसा से पीड़ित लड़कियां। सितंबर, 1995 में महिलाओं पर संयुक्त राष्ट्र के चौथे विश्व सम्मेलन ने बीजिंग घोषणा और कार्य के लिए मंच को अपनाया। बीजिंग घोषणा और प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन ने "महिलाओं के खिलाफ हिंसा" की पहचान की जिसमें "जबरन नसबंदी और जबरन गर्भपात शामिल है,

गर्भ निरोधकों का जबरदस्ती उपयोग, कन्या भ्रूण हत्या और प्रसव पूर्व लिंग चयन "। इसने सरकारों से "महिलाओं के खिलाफ प्रथाओं और हिंसा के कृत्यों के अपराधियों के खिलाफ कानून बनाने और लागू करने का आग्रह किया, जैसे कि महिला जननांग विकृति, महिला शिशु हत्या, प्रसवपूर्व लिंग चयन और दहेज संबंधी हिंसा"। इसके अलावा सरकारों से "बालिकाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव और पुत्र वरीयता के मूल कारणों को समाप्त करने का आग्रह किया, जिसके परिणामस्वरूप प्रसव पूर्व लिंग चयन और कन्या भ्रूण हत्या जैसी हानिकारक और अनैतिक प्रथाएं होती हैं; यह अक्सर भ्रूण लिंग निर्धारित करने के लिए प्रौद्योगिकियों के बढ़ते उपयोग से जटिल हो जाता है, जिसके परिणामस्वरूप कन्या भ्रूण का गर्भपात होता है"।

28. महिलाओं पर चौथे विश्व सम्मेलन की 16 वीं पूर्ण बैठक में बीजिंग घोषणा और कार्य मंच को अपनाया गया

बीजिंग में 15.9.1995 पर आयोजित। महिलाओं के खिलाफ हिंसा और की जाने वाली कार्रवाइयों से संबंधित प्रासंगिक उद्धरण नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

" 115. महिलाओं के खिलाफ हिंसा के कृत्यों में जबरन नसबंदी और जबरन गर्भपात, गर्भ निरोधकों का जबरन उपयोग, कन्या भ्रूण हत्या और प्रसवपूर्व लिंग चयन भी शामिल हैं।

सामरिक उद्देश्य एल. 2। नकारात्मक सांस्कृतिक दृष्टिकोण को समाप्त करें और

276. सरकारों द्वाराः
(क) गैर-सरकारी संगठनों और समुदाय आधारित संगठनों को उनके प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण और प्रथाओं में परिवर्तन को बढ़ावा देने के प्रयासों में प्रोत्साहित और समर्थन करना।

लड़कियाँ;

(ख) * *

(ग) * *

(घ) ऐसे कदम उठाएँ ताकि परंपरा और धर्म और उनकी अभिव्यक्तियाँ लड़कियों के खिलाफ भेदभाव का आधार न बनें।
277. सरकारों और, उपयुक्त रूप से, अंतर्राष्ट्रीय और गैर-सरकारी संगठनों द्वाराः

(अ) * *

(ग) बालिकाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव और पुत्र वरीयता के मूल कारणों को समाप्त करना, जिसके परिणामस्वरूप हानिकारक और अनैतिक प्रथाएं जैसे कि प्रसवपूर्व लिंग चयन और कन्या भ्रूण हत्या होती हैं; यह अक्सर भ्रूण लिंग निर्धारित करने के लिए प्रौद्योगिकियों के बढ़ते उपयोग से जटिल हो जाता है, जिसके परिणामस्वरूप महिला का गर्भपात होता है। भ्रूण "

29. 1994 का अंतर्राष्ट्रीय कार्य कार्यक्रम

विकास ने अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई कार्यक्रम को अपनाया जनसंख्या और विकास पर सम्मेलन और 13.9.1994 पर आयोजित 14 वीं पूर्ण बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया। उपरोक्त संकल्प का प्रासंगिक भाग नीचे निकाला गया हैः

ऑब्स्टेट्रिक्स और गाइनेकोलोजिकल का संघ भारत के समाज बनाम। भारत संघ [अरुण मिश्रा, जे.]

" 4.15 . चूँकि सभी समाजों में लिंग के आधार पर भेदभाव अक्सर जीवन के शुरुआती चरणों में शुरू होता है, इसलिए बालिकाओं के लिए अधिक समानता यह सुनिश्चित करने के लिए एक आवश्यक पहला कदम है कि महिलाओं को अपने लिंग का एहसास हो।

पूर्ण क्षमता और विकास में समान भागीदार बनें। ए में

भ्रूण लिंग निर्धारित करने के लिए प्रौद्योगिकियों का उपयोग बढ़ाना, जिसके परिणामस्वरूप महिला भ्रूण का गर्भपात होता है। बाल्यावस्था से किशोरावस्था तक बालिकाओं के स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा में किया गया निवेश महत्वपूर्ण है।
उद्देश्य

4.16 . उद्देश्य इस प्रकार हैं:
(क) बालिकाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव और पुत्र वरीयता के मूल कारणों को समाप्त करना, जिसके परिणामस्वरूप कन्या भ्रूण हत्या और प्रसवपूर्व लिंग चयन के संबंध में हानिकारक और अनैतिक प्रथाएं होती हैं;

(ग) बालिकाओं के कल्याण में सुधार करना, विशेष रूप से स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा के संबंध में। 4.23 . सरकारों से आग्रह
किया जाता है कि वे शिशु हत्या, प्रसवपूर्व लिंग चयन, बालिकाओं की तस्करी को रोकने के लिए आवश्यक उपाय करें

और वेश्यावृत्ति और पोर्नोग्राफी में लड़कियों का उपयोग।

30. संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 26.2.2002 पर अपनाए गए प्रस्ताव 56/139 ने संयुक्त राष्ट्र के खिलाफ भेदभाव के बारे में गहरी चिंता व्यक्त की कन्या शिशु, जिसमें कन्या भ्रूण हत्या, अनाचार, शीघ्र विवाह, प्रसवपूर्व लिंग चयन आदि शामिल हैं। प्रस्ताव में राज्यों से कन्या भ्रूण हत्या और प्रसवपूर्व लिंग चयन, महिला जननांग विकृति, बलात्कार, घरेलू हिंसा, अनाचार, यौन शोषण, यौन शोषण, बाल वेश्यावृत्ति और बाल पोर्नोग्राफी सहित सभी प्रकार की हिंसा से लड़कियों की रक्षा के लिए कानून बनाने और लागू करने का भी आग्रह किया गया है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

हिंसा का शिकार होने वाली लड़कियों की सहायता के लिए मनोवैज्ञानिक सहायता सेवाएं। संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने निम्नलिखित प्रस्ताव सं. 56 / 139 26.2.2002 परः

" बालिकाओं के खिलाफ भेदभाव और बालिकाओं के अधिकारों के उल्लंघन के बारे में गहराई से चिंतित, जिसके परिणामस्वरूप अक्सर लड़कियों की शिक्षा, पोषण और शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य देखभाल तक कम पहुंच होती है और लड़कियों को लड़कों की तुलना में बचपन और किशोरावस्था के कम अधिकार, अवसर और लाभ मिलते हैं और अक्सर सांस्कृतिक, सामाजिक, यौन और आर्थिक शोषण के विभिन्न रूपों और हिंसा और हानिकारक प्रथाओं, जैसे कि कन्या भ्रूण हत्या, अनाचार, शीघ्र विवाह, प्रसवपूर्व लिंग चयन और महिला जननांग विकृति के अधीन किया जाता है।
10. सभी राज्यों से कन्या भ्रूण हत्या और प्रसवपूर्व लिंग चयन, महिला जननांग विकृति, बलात्कार, घरेलू हिंसा, अनाचार, यौन शोषण, यौन शोषण, बाल वेश्यावृत्ति और बाल पोर्नोग्राफी सहित सभी प्रकार की हिंसा से लड़कियों की रक्षा के लिए कानून बनाने और लागू करने का भी आग्रह किया जाता है और हिंसा का शिकार होने वाली लड़कियों की सहायता के लिए आयु-उपयुक्त सुरक्षित और गोपनीय कार्यक्रम और चिकित्सा, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक सहायता सेवाएं विकसित करने का आग्रह किया जाता है।

कन्या भ्रूण हत्या और प्रसवपूर्व लिंग चयन सहित सभी स्थितियों में शोषण और हानिकारक प्रथाएं "।
32. संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने 80 वीं पूर्ण बैठक में प्रस्ताव सं. 70 / 138 बालिका के संबंध में दिनांकित 17.12.2015, उक्त प्रस्ताव का प्रासंगिक भाग इस प्रकार हैः

" ..... बालिकाओं के खिलाफ भेदभाव और विकलांग लड़कियों सहित बालिकाओं के अधिकारों के उल्लंघन के बारे में भी गहरी चिंता है, जिसके परिणामस्वरूप अक्सर लड़कियों के लिए कम पहुँच होती है

लड़कों की तुलना में बचपन और किशोरावस्था के कम अधिकारों, अवसरों और लाभों का आनंद ले रही लड़कियों में शिक्षा, और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, पोषण, जिसमें भोजन का आवंटन, और शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं शामिल हैं, और उन्हें असुरक्षित और समय से पहले यौन संबंधों के परिणामों के लिए लड़कों की तुलना में अधिक असुरक्षित छोड़ देना और अक्सर भारत के ऑब्स्टेट्रिक्स और स्त्री रोगों के विभिन्न रूपों के अधीन होना।

सांस्कृतिक, सामाजिक, यौन और आर्थिक शोषण और हिंसा, दुर्व्यवहार, बलात्कार, अनाचार, सम्मान संबंधी अपराध और हानिकारक प्रथाएं, जैसे कन्या भ्रूण हत्या, बच्चे, जल्दी और जबरन विवाह,

प्रसवपूर्व लिंग चयन और महिला जननांग विकृति। 20.सभी राज्यों से कन्या भ्रूण हत्या और प्रसवपूर्व लिंग चयन, स्त्री जननांग विकृति, बलात्कार, घरेलू हिंसा, अनाचार, यौन शोषण, यौन शोषण, बाल वेश्यावृत्ति और बाल पोर्नोग्राफी, तस्करी और जबरन पलायन, जबरन पलायन सहित सभी व्यवस्थाओं में लड़कियों को सभी प्रकार की हिंसा, भेदभाव, शोषण और हानिकारक प्रथाओं से बचाने के लिए कानून बनाने और लागू करने का आग्रह किया।

कार्यक्रम और चिकित्सा, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक सहायता सेवाएँ हिंसा और भेदभाव का शिकार होने वाली लड़कियों की सहायता करना।

29.मानवाधिकार शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मीडिया और गैर-सरकारी संगठनों सहित सरकारों, नागरिक समाज का आह्वान

और अनुवाद, निर्माण और अन्य बातों के साथ-साथ बालिकाओं के मानवाधिकारों का पूरा सम्मान और आनंद लेना। समाज के सभी क्षेत्रों, विशेष रूप से उन अधिकारों पर आयु-उपयुक्त और लिंग-संवेदनशील सूचना सामग्री का प्रसार

बच्चे। 30.संयुक्त राष्ट्र के अध्यक्ष के रूप में महासचिव से अनुरोध करता है

समन्वय के लिए प्रणाली मुख्य कार्यकारी बोर्ड, यह सुनिश्चित करने के लिए कि संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के सभी संगठन और निकाय, व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से, विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, विश्व खाद्य कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, लैंगिक समानता और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र इकाई (संयुक्त राष्ट्र-महिला), विश्व स्वास्थ्य संगठन, एचआईवी/एड्स पर संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त का कार्यालय

और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, देश में बालिकाओं के अधिकारों और विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हैं

राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुसार सहयोग के कार्यक्रम,

संयुक्त राष्ट्र विकास सहायता ढांचे के माध्यम से "। सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एस सी आर।

33. संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने निम्नलिखित को अपनाया

ओलूशन नं. 52 / 106 भेदभाव को ध्यान में रखते हुए 12.12.1997 पर

बालिका और उसके अधिकारों का उल्लंघनः

" बालिकाओं के खिलाफ भेदभाव के बारे में गहरी चिंता और

बालिकाओं के अधिकारों का उल्लंघन, जिसका परिणाम अक्सर कम होता है

लड़कियों की शिक्षा, पोषण, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य तक पहुंच देखभाल और लड़कियों में कम अधिकारों, अवसरों का आनंद लेना और

लड़कों की तुलना में बचपन और किशोरावस्था के लाभ और अक्सर

सांस्कृतिक, सामाजिक, यौन और आर्थिक के विभिन्न रूपों के अधीन

शोषण और हिंसा और अनाचार जैसी हानिकारक प्रथाओं के लिए, प्रारंभिक विवाह, कन्या भ्रूण हत्या, प्रसवपूर्व लिंग चयन और

महिला जननांग विकृति। 3. सभी राज्यों से संरक्षण कानून बनाने और लागू करने का भी आग्रह किया

कन्या भ्रूण हत्या सहित सभी प्रकार की हिंसा से पीड़ित लड़कियां और

प्रसवपूर्व लिंग चयन, स्त्री जननांग विकृति, अनाचार, यौन संबंध

लड़कियाँ जो हिंसा का शिकार होती हैं "। 34. कन्या भ्रूण हत्या और शिशु हत्या को लेकर दुनिया भर में चिंता

उपरोक्त संकल्प से बड़ा। यह उद्धृत करने लायक है

सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ वर्ल्ड फैक्टबुक, 2016 संयुक्त राज्य अमेरिका में कन्या भ्रूण हत्या/शिशु हत्या पर

ld, जो निम्नलिखित प्रभाव के लिए हैः

रैंक देश का नाम

जन्म के समय लिंगानुपात

लिकटेंस्टीन

1 .

126 पुरुष/100 महिलाएँ

115 पुरुष/100 महिलाएँ

चीन

2 .

113 पुरुष/100 महिलाएँ

3 .

आर्मेनिया

दिन में

112 पुरुष/100 महिलाएँ

4 .

5 .

अज़रबैजान

111 पुरुष/100 महिलाएँ

111 पुरुष/100 महिलाएँ

वियतनाम

5 .

110 पुरुष/100 महिलाएँ

6 .

अल्बानिया

7. जॉर्जिया

108 पुरुष/100 महिलाएँ

8 .

दक्षिण कोरिया

107 पुरुष/100 महिलाएँ

8 .

ट्यूनीशिया

107 पुरुष/100 महिलाएँ

106 पुरुष/100 महिलाएँ

9. नाइजीरिया

पाकिस्तान

10 .

105 पुरुष/100 महिलाएँ

11 .

नेपाल

104 ओब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलोजिकल का पुरुष/100 महिला संघ भारत के समाज बनाम। भारत संघ [अरुण मिश्रा, जे.]

35. भारत में लिंगानुपात में तेज गिरावट आई है। वर्ष में

1901 जिसमें 1000 पुरुषों की तुलना में 972 महिलाएं दर्ज की गईं। 1961 में यह 941 दर्ज किया गया था; 1971 में यह 930 था; 1981 में यह 934 था; 1991 में यह 927 था; 2001 में यह 933 था और 2011 में यह 943 था। प्रत्यर्थी की ओर से-भारत संघ ने निम्नलिखित राज्यवार आंकड़े प्रस्तुत किए हैं:

" जन्म के समय लिंगानुपात (प्रति 1000 पुरुष पर महिला), भारत और

बड़े राज्य, एसआरएस 2012-14 से 2014-16

2013- परिवर्तन 2013-2014-परिवर्तन

एस. एन.

भारत और

2012

भारत

-2

-6

आंध्र प्रदेश

-5

1 .

-1

प्रदेश

2 .

असम

-18

-4

3 .

बिहार

9

-8

4 . छत्तीसगढ़ 973

-12

961

2

5 .

दिल्ली

- 12

-7

6 .

-53

-6

गुजरात

7 .

1

-35

हरियाणा

हिमाचल

8 .

-7

0

9 .

जम्मू और

7

कश्मीर

10 . झारखंड

16

-8

कर्नाटक

11 .

-4

केरल

-7

12 .

-8

13 .

3

मध्य प्रदेश

-8

प्रदेश

-2

14 . महाराष्ट्र

उड़ीसा

15 .

-3

-2

16 .

पंजाब

4

राजस्थान

-32

17 .

-4

-10

18. तमिलनाडु

4

19 .

तेलंगाना

90

1

एन. ए

एन. ए

एन. ए

एन. ए

एन. ए

20 .

3

उत्तर

प्रदेश

6

21 . उत्तराखंड 871

844

-27

22. पश्चिम बंगाल 952

951

-14

-1

उपरोक्त तालिका 18 राज्यों और अधिकतम में गिरावट का संकेत देती है।

गुजरात में 53 अंकों की गिरावट दर्ज की गई, इसके बाद हरियाणा में 35 अंकों और राजस्थान में 32 अंकों की गिरावट दर्ज की गई। 2014-2016 में राज्यों का लिंगानुपात 13 राज्यों में गिरावट का संकेत देता है। पश्चिम बंगाल में अधिकतम 14 अंकों की गिरावट दर्ज की गई, इसके बाद दिल्ली में 12 अंकों की गिरावट दर्ज की गई। संयुक्त राष्ट्र (यू. एन. एफ. पी. ए.) के एक प्रकाशन में, यह प्रकाशित किया गया था कि लिंग-चयनात्मक गर्भपात के परिणामस्वरूप 2001-2012 अवधि के दौरान सालाना औसतन 40 लाख 60 हजार लड़कियां जन्म के समय लापता थीं। लिंग अनुपात में गिरावट का न केवल राष्ट्र की जनसांख्यिकी पर प्रभाव पड़ता है, बल्कि यह महिलाओं की तस्करी और दुल्हन की खरीद जैसी हिंसक प्रथाओं को भी जन्म देता है। इस अधिनियम की कल्पना लिंग चयन प्रथाओं के निषेध और लिंग का पता लगाने/निर्धारण के लिए प्रसव पूर्व नैदानिक तकनीकों के विज्ञापन के निषेध की तात्कालिकता के कारण की गई थी।

सेक्स। यह वर्ष 1996 में लागू हुआ था। इसे 2003 [2019] 7 एस. सी. आर. में संशोधित किया गया था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

लिंग चयन में सक्षम प्रौद्योगिकी के विनियमन में सुधार के लिए 2000 में दायर एक जनहित याचिका के बाद। अधिनियम में संशोधन के माध्यम से, अधिनियम का नाम बदलकर गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन का निषेध) अधिनियम, 1994 कर दिया गया है। अधिनियम का मुख्य उद्देश्य लिंग चयन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाना है और लिंग चयन गर्भपात के लिए प्रसव पूर्व नैदानिक तकनीक का दुरुपयोग और ऐसी तकनीकों को विनियमित करना। इन संशोधनों ने गर्भधारण से पहले लिंग चयन की तकनीकों को अधिनियम के दायरे में लाया है और अल्ट्रासाउंड मशीनों के उपयोग को भी इसके दायरे में लाया है। इसने केंद्रीय और राज्य स्तरीय पर्यवेक्षी बोर्ड के गठन का भी प्रावधान किया है। अधिक कठोर दंड का प्रावधान किया गया है। उपयुक्त अधिकारियों को तलाशी, जब्ती और सीलिंग के लिए दीवानी अदालत की शक्तियां दी गई हैं। अल्ट्रासाउंड मशीनों के उपयोग के संबंध में अभिलेख का रखरखाव अनिवार्य कर दिया गया है। इसने केवल पंजीकृत निकायों को अल्ट्रासाउंड मशीनों की बिक्री को भी विनियमित किया है। इस अधिनियम में लिंग चयन/निर्धारण पर प्रतिबंध लगाने और प्रसव पूर्व नैदानिक प्रौद्योगिकी को विनियमित करने का प्रावधान है। नियमों में कई महत्वपूर्ण संशोधनों को अधिसूचित किया गया था। 2011 में नियम 11 (2) में अपंजीकृत मशीनों को जब्त करने का प्रावधान करने के लिए संशोधन किया गया था और धारा 23 (1) में अपंजीकृत चिकित्सालय/सुविधाओं के खिलाफ तीन साल तक के कारावास और दस हजार रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है और किसी भी बाद की सजा पर कारावास पांच साल तक बढ़ सकता है और जुर्माने के साथ जो पचास हजार रुपये तक हो सकता है और धारा 23 (3) में पहले अपराध के लिए अपंजीकृत चिकित्सालय/सुविधाओं के खिलाफ तीन साल तक के कारावास और पचास हजार रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है और बाद के किसी भी अपराध के लिए कारावास पांच साल तक बढ़ सकता है और

जुर्माने के साथ जो एक लाख रुपये तक हो सकता है। चिकित्साकर्मियों के पंजीकरण को प्रतिबंधित करने के लिए 2012 में नियम 3 ए (3) जोड़ा गया है।

केवल एक जिले के भीतर अधिकतम दो अल्ट्रासाउंड सुविधाओं में अल्ट्रासोनोग्राफी आयोजित करने के लिए अधिनियम के तहत योग्य। प्रत्येक चिकित्सालय में पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी के उपस्थित रहने के घंटों की संख्या उपयुक्त प्राधिकरण को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट की जाएगी। 2012 में नियम 13 में किए गए संशोधन के तहत प्रत्येक आनुवंशिक परामर्श केंद्र, आनुवंशिक प्रयोगशाला, आनुवंशिक चिकित्सालय, अल्ट्रासाउंड चिकित्सालय और इमेजिंग केंद्र को इस तरह के परिवर्तन की अपेक्षित तिथि से 30 दिन पहले उपयुक्त प्राधिकरण को कर्मचारी, स्थान, पता और स्थापित उपकरणों के प्रत्येक परिवर्तन के बारे में सूचित करने की आवश्यकता है।

विधिवत शामिल परिवर्तनों के साथ प्रमाण पत्र। एम. बी. बी. एस. डॉक्टरों के लिए अल्ट्रासाउंड में छह महीने के प्रशिक्षण के नियमों को जी. एस. आर. 14 (ई) दिनांक 10.1.2014 के माध्यम से अधिसूचित किया गया है। इन नियमों में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, उन संस्थानों की मान्यता के लिए मानदंड शामिल हैं जो भारत के ऑबस्टेट्रिक्स और स्त्री-जैविक समाजों का प्रशिक्षण और एकीकरण प्रदान करेंगे।

ऐसे प्रशिक्षित चिकित्सा व्यवसायियों के लिए योग्यता आधारित मूल्यांकन परीक्षण की प्रक्रिया। संशोधित प्रपत्र 'एफ' को जीएसआर 77 (ई) तिथि 4.2.2014 के माध्यम से अधिसूचित किया गया है। संशोधित प्रारूप को अधिक सरल बनाया गया है क्योंकि आक्रामक और गैर-आक्रामक नैदानिक प्रक्रियाओं के विवरण को अलग किया गया है और अधिक सरल बनाया गया है।

36. दर्ज 4202 मामलों में से केवल 586 मामलों में दोषसिद्धि हुई है।

अस्तित्व के 24 साल बाद भी। यह इस सामाजिक कानून को लागू करने में उपयुक्त प्राधिकरण के सामने आने वाली चुनौतियों को दर्शाता है। सितंबर 2018 तक अधिनियम के कार्यान्वयन की राज्यवार स्थिति दिखाने वाला चार्ट नीचे दिया गया है जो उत्तरदाताओं की ओर से प्रस्तुत किया गया है:

पी. सी. और पी. एन. डी. टी. अधिनियम के कार्यान्वयन की राज्यवार स्थिति

सितंबर, 2018

एस. नं. राज्य/केंद्र शासित प्रदेश

चिकित्

सकीय

संख्या

की संख्या

की संख्या

की संख्या

दोषसिद्धि *

पंजीकृत चल रही मशीनें

लाइसें

स

मामलों की

तय किया /

जब्त /

रद्द /

शवों

अदालत /

निलंबित

बंद

पुलिस

सील कर दिया।

मामले

आंध्र प्रदेश

3119

20

0

0

8 00

1 .

18

प्रदेश

97

2 .

अरुणाचल

0

0

0

आई.

1

प्रदेश

0

| 0 | 0 | 0 |

1

4

3 .

असम

930

4

11

32

6

38

132

2761

बिहार

4 .

छत्तीसगढ़

14

7

5 .

0

700

0

0

6 .

गोवा

174

1

1

5994

गुजरात

7 .

235

18

7

99

2

157

2144

313

85

2

1

8 .

हरियाणा

562

9 .

हिमाचल

464

1

3

0

4

0

प्रदेश

493

10 . जम्मू और

3

13

1

0

कश्मीर

0

003

11 . झारखंड

761

0

2

32

41

कर्नाटक

4711

49

58

12 .

38

0

केरल

1737

13 .

0

14 . पागल हैं।

1723

50

17

9

4

प्रदेश

358

587

15 . महाराष्ट्र

462

99

7

9

8672

0

16 . मणिपुर

0

0

130

17 . मेघालय

0

50

0

0

18 . मिज़ो रा एम

61

0

0

0

19 . नगालैंड

0

0

0

49

0

20 . ओडिशा

66

5

1001

0

4

93

21 . पंजाब

1603

147

38

31

1

368

3039

22 . राजस्थान

701

506

149

2

1

23 . सिक्किम

0

0

-

-

27 . उत्तराखंड

647

47

12

4

16

0

28 . उत्तर

603 1

139

39

1

10

20

प्रदेश

29. पश्चिम बंगाल

ओलोलो 0 0

0

| 0 | 0 | 0 | 0 1

3238

24

29

30 . ए एंड एन द्वीप

17

0

31 . चंडीगढ़

183

1

0

2

32 . डी एंड एन हवेली

16

0

0

0

33 . दमन और

10

0

0

0

आई.

दीव।

34 . दिल्ली

1584

104

170

10

3

57

35 . लक्षद्वीप

0

0

9

0

36 . पुडुचेरी

109

0

0

1

कुल

62596

2825

586

1377

2081

13

8

ध्यान दें: * जून 2018 [2019] 7 एस. सी. आर. तक दोषसिद्धि और चिकित्सा लाइसेंस डेटा।

अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत कागजी कार्य में लिपिकीय त्रुटियों/गलतियों के कारण। भरने में लिपिकीय त्रुटियों के कारण रूपों में, सजा देना उचित नहीं होगा। लिंग निर्धारण के वास्तविक अपराध के मामले में, अधिनियम के प्रावधान

मैदान को नियंत्रित करें। चूंकि प्रस्तुत करना आकर्षक प्रतीत होता है और इसकी गहन जांच की आवश्यकता होती है कि क्या यह प्रपत्रों को भरने में लिपिकीय त्रुटि है या अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के पर्याप्त उल्लंघन का आधार है। यह आग्रह किया गया कि अधिनियम की धारा 23 असमान लोगों को समान मानती है और अधिनियम में दुर्बलता है क्योंकि फॉर्म 'एफ' को भरने में लिपिकीय त्रुटि को लिंग निर्धारण के वास्तविक अपराध के बराबर नहीं माना जा सकता है। अधिनियम के तहत अपराध का कोई वर्गीकरण नहीं है। विद्वान वरिष्ठ वकील ने उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड पर निर्भरता रखी है। अयोध्या प्रसाद मिश्रा (2008) 10 एस. सी. सी. 139, जिसमें इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि असमान लोगों के साथ समान व्यवहार नहीं किया जा सकता है। असमान लोगों के साथ समान व्यवहार करना संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 में निहित समानता के सिद्धांत को भी आहत करेगा। उसी को यहाँ नीचे निकाला गया है:

" 40. यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि बराबर लोगों के साथ असमान व्यवहार नहीं किया जा सकता है। लेकिन यह समान रूप से अच्छी तरह से तय है कि असमान लोगों के साथ समान व्यवहार नहीं किया जा सकता है। असमान लोगों के साथ समान व्यवहार करना संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 में निहित समानता के सिद्धांत को भी आहत करेगा। इसलिए, उच्च न्यायालय का यह निर्णय लेना सही था कि श्रेणी I में रखे गए कार्यकारी अभियंताओं को श्रेणी II में पाए जाने वाले कार्यकारी अभियंताओं की तुलना में अधीक्षक अभियंता के पद पर पदोन्नति के लिए प्राथमिकता और वरीयता मिलनी चाहिए।

38. यह तर्क दिया जाता है कि केवल लिपिकीय त्रुटि की बराबरी नहीं की जा सकती है

अधिनियम की धारा 5 और 6 में उल्लिखित अपराधों के साथ। अधिनियम का मुख्य उद्देश्य और उद्देश्य दुरुपयोग किया जा रहा है और अधिनियम के तहत दर्ज 60 प्रतिशत से अधिक मामले अभिलेख के गैर-रखरखाव से संबंधित हैं।

39. यह समझने के लिए कि क्या यह लिपिकीय चूक है या

अन्यथा, हमें अधिनियम के प्रावधानों पर गहराई से विचार करना होगा कि इसके तहत क्या अनिवार्य है। धारा 3 आनुवंशिक परामर्श के विनियमन का प्रावधान करती है।

केंद्र, आनुवंशिक प्रयोगशालाएं और आनुवंशिक क्लीनिक, धारा 3 ए लिंग-चयन के निषेध से संबंधित है और धारा 3 बी भारत के प्रसूति और स्त्री रोग संबंधी रोगों के निषेध से संबंधित है।

भारत संघ [अरुण मिश्रा, जे.]अधिनियम के तहत पंजीकृत व्यक्तियों, प्रयोगशालाओं, क्लीनिकों आदि को अल्ट्रासाउंड मशीन आदि की अनुमति। उन्हीं को यहाँ नीचे निकाला गया हैः

प्रयोगशालाएँ और आनुवंशिक चिकित्सालय। में और से इस अधिनियम का प्रारंभ,

(1) कोई आनुवंशिक परामर्श केंद्र, आनुवंशिक प्रयोगशाला या आनुवंशिक नहीं क्लिनिक जब तक इस अधिनियम के तहत पंजीकृत नहीं है, संचालन या सहयोगी होगा

प्रसव-पूर्व निदान संबंधी गतिविधियों के संचालन में सहायता या सहायता करना।

तकनीकें;

(2) कोई आनुवंशिक परामर्श केंद्र या आनुवंशिक प्रयोगशाला या आनुवंशिक नहीं

क्लिनिक नियुक्त करेगा या नियोजित करेगा या सेवाएं लेगा कोई भी व्यक्ति चाहे वह मानद आधार पर हो या भुगतान पर जो ऐसा करता है

जिनके पास निर्धारित योग्यताएँ नहीं हैं;

(3) कोई चिकित्सा आनुवंशिकीविद्, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, पंजीकृत नहीं चिकित्सा व्यवसायी या कोई अन्य व्यक्ति आचरण करेगा या कारण बनाएगा

स्वयं या किसी अन्य के माध्यम से संचालन या संचालन में सहायता की जाए

व्यक्ति, इसके अलावा किसी अन्य स्थान पर कोई भी प्रसव पूर्व नैदानिक तकनीक

3 ए. लिंग-चयन का निषेध। कोई व्यक्ति नहीं, जिसमें एक बांझपन के क्षेत्र में विशेषज्ञ या विशेषज्ञों की एक टीम,

संचालन या संचालन का कारण बनना या स्वयं संचालन में सहायता करना

या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, किसी महिला या पुरुष पर या उस पर लिंग चयन

दोनों या किसी भी ऊतक, भ्रूण, गर्भाधान, द्रव या युग्मक पर व्युत्पन्न दोनों में से कोई एक।

3 बी. अल्ट्रासाउंड मशीन आदि की बिक्री पर प्रतिबंध

व्यक्ति, प्रयोगशालाएं, क्लीनिक आदि, जो इसके तहत पंजीकृत नहीं हैं

अधिनियम-कोई भी व्यक्ति कोई अल्ट्रासाउंड मशीन या इमेजिंग नहीं बेचेगा। मशीन या स्कैनर या कोई अन्य उपकरण जो पता लगाने में सक्षम हो

किसी भी आनुवंशिक परामर्श केंद्र में भ्रूण का लिंग, आनुवंशिक

प्रयोगशाला, आनुवंशिक चिकित्सालय या कोई अन्य व्यक्ति जो इसके तहत पंजीकृत नहीं है।

अधिनियम "।

(जोर दिया गया)

40. धारा 4 प्रसव पूर्व निदान के विनियमन से संबंधित है।

इक्स, जो यहाँ नीचे निकाला गया हैः

" 4. प्रसव पूर्व नैदानिक तकनीकों का विनियमन। और पर

इस अधिनियम के प्रारंभ से, [2019] 7 एस. सी. आर.

(1) खंड (2) में निर्दिष्ट उद्देश्यों को छोड़कर और खंड (3) में निर्दिष्ट किसी भी शर्त को पूरा करने के बाद, किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रसव पूर्व निदान तकनीकों के संचालन के लिए पंजीकृत आनुवंशिक परामर्श केंद्र या आनुवंशिक प्रयोगशाला या आनुवंशिक क्लिनिक सहित किसी भी स्थान का उपयोग या उपयोग नहीं किया जाएगा।

(2) निम्नलिखित में से किसी भी असामान्यता का पता लगाने के उद्देश्यों के अलावा कोई प्रसव पूर्व नैदानिक तकनीक संचालित नहीं की जाएगी।

अर्थात्:

((i) गुणसूत्र संबंधी असामान्यताएँ;

((ii) आनुवंशिक चयापचय रोग;

(iii) हीमोग्लोबिनोपैथी; ((iv) लिंग-संबंधित आनुवंशिक रोग;

(v) जन्मजात विसंगतियाँ; ((vi) केंद्रीय पर्यवेक्षी बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट कोई अन्य असामान्यताएँ या बीमारियाँ;

(3) प्रसव पूर्व निदान तकनीकों का उपयोग या संचालन तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसा करने के लिए योग्य व्यक्ति लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से संतुष्ट न हो कि निम्नलिखित में से कोई भी शर्त पूरी हो गई है।

अर्थात्:

((i) गर्भवती महिला की आयु पैंतीस वर्ष से अधिक है।

((ii) गर्भवती महिला को दो या दो से अधिक बच्चे हुए हैं।

सहज गर्भपात या भ्रूण की हानि;

((iv) गर्भवती महिला या उसके जीवनसाथी का मानसिक मंदता या शारीरिक विकृतियों जैसे स्पास्टिसिटी या किसी अन्य आनुवंशिक बीमारी का पारिवारिक इतिहास है;
((v) बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट कोई अन्य शर्त;

बशर्ते कि गर्भवती महिला पर अल्ट्रासोनोग्राफी करने वाला व्यक्ति क्लिनिक में उसका पूरा रिकॉर्ड रखेगा।

ऐसी रीति, जो विहित की जाए, और उसमें पाई जाने वाली कोई कमी या अशुद्धि भारत के प्रसूति और स्त्री-जैविक समाज संघ का उल्लंघन होगी।

धारा 5 या धारा 6 के प्रावधान जब तक कि इसके विपरीत साबित न हो इस तरह की अल्ट्रासोनोग्राफी का संचालन करने वाला व्यक्ति;

(4) गर्भवती महिला के रिश्तेदार या पति सहित कोई व्यक्ति नहीं प्रसव पूर्व किसी भी निदान के संचालन की मांग या प्रोत्साहन देगा।

खंड (2) में निर्दिष्ट उद्देश्यों को छोड़कर उस पर तकनीकें।

(5) किसी महिला के रिश्तेदार या पति सहित कोई भी व्यक्ति

किसी भी लिंग-चयन तकनीक के संचालन की तलाश करें या उसे प्रोत्साहित करें

उसे या उसे या दोनों को।

(जोर दिया गया)

धारा 4 (1) के तहत किसी भी पंजीकृत का उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाया गया है।

प्रसव पूर्व नैदानिक तकनीकों के संचालन के लिए आनुवंशिक परामर्श केंद्र या आनुवंशिक प्रयोगशाला या आनुवंशिक चिकित्सालय, सिवाय उद्देश्यों के

धारा 4 की उप-धारा (2) में विनिर्दिष्ट। अधिनियम में खंड (2) के रूप में गलत अभिव्यक्ति का उपयोग किया गया है, जहां यह उप-धारा (2) होनी चाहिए। जो भी हो सकता है। धारा 4 (2) असामान्यताओं का पता लगाने के उद्देश्य से प्रसव पूर्व नैदानिक तकनीकों के संचालन का प्रावधान करती है।

धारा 4 (3) में प्रावधान है कि कोई भी प्रसव पूर्व नैदानिक तकनीक नहीं होगी।

उपयोग किया जा सकता है जब तक कि ऐसा करने के लिए योग्य व्यक्ति लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से संतुष्ट न हो कि निर्धारित शर्तें पूरी की जाती हैं जैसे कि गर्भवती महिला की आयु पैंतीस वर्ष से अधिक है; गर्भवती महिला का दो या अधिक स्वतः गर्भपात या भ्रूण का नुकसान हुआ है; वह संभावित टेराटोजेनिक एजेंटों जैसे दवाओं, विकिरण, संक्रमण या रसायनों के संपर्क में आया हो; गर्भवती महिला या उसके पति या पत्नी का मानसिक मंदता या शारीरिक विकृतियों का पारिवारिक इतिहास है जैसा कि उसमें निर्धारित किया गया है; या कोई अन्य स्थिति जो बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट की जा सकती है।

उपरोक्त शर्तों की पूर्ति के अभाव में

धारा 4 (3) में उपबंधित और धारा 4 (2) में उपबंधित असामान्यता के अभाव में, ऐसा कोई परीक्षण नहीं किया जा सकता है। धारा 4 (3) के प्रावधान में यह अनिवार्य कर दिया गया है कि गर्भवती महिला पर अल्ट्रासोनोग्राफी करने वाला व्यक्ति

महिला पूरा रिकॉर्ड रखेगी जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है और उसमें पाई जाने वाली कोई भी कमी या अशुद्धि धारा 5 या धारा 6 के प्रावधानों का उल्लंघन होगी जब तक कि ऐसी अल्ट्रासोनोग्राफी करने वाले व्यक्ति द्वारा इसके विपरीत साबित नहीं किया जाता है। धारा 5 गर्भवती महिला की लिखित सहमति और

भ्रूण के लिंग के संचार पर प्रतिबंध का प्रावधान करती है, जबकि धारा 6 में प्रावधान है कि लिंग निर्धारण निषिद्ध है। धारा 5 और 6 नीचे उद्धृत किए गए हैं:

" 5. गर्भवती महिला की लिखित सहमति और निषेध

(1) धारा 3 के खंड (2) में निर्दिष्ट कोई भी व्यक्ति आचरण नहीं करेगा। प्रसव-पूर्व नैदानिक प्रक्रियाएँ जब तक कि

(क) उसने इसके सभी ज्ञात पक्ष और बाद के प्रभावों को समझाया है। संबंधित गर्भवती महिला के लिए प्रक्रियाएँ;

(ख) उसने निर्धारित प्रपत्र में अपनी लिखित सहमति प्राप्त कर ली है।

उस भाषा में ऐसी प्रक्रियाओं से गुजरना जो वह

समझते हैं; और

(ग) खंड (ख) के तहत प्राप्त उसकी लिखित सहमति की एक प्रति है - गर्भवती महिला को दिया।

(2) प्रसव पूर्व निदान करने वाले व्यक्ति सहित कोई व्यक्ति नहीं प्रक्रियाएँ संबंधित गर्भवती महिला को सूचित करेंगी।

या उसके रिश्तेदार या कोई अन्य व्यक्ति शब्दों द्वारा भ्रूण का लिंग,

संकेत, या किसी अन्य तरीके से।

6. लिंग निर्धारण निषिद्ध है। में और से

अल्ट्रासोनोग्राफी, भ्रूण के लिंग का निर्धारण करने के उद्देश्य से; (ख) कोई भी व्यक्ति किसी भी पूर्व कार्य का संचालन या संचालन नहीं करेगा।

अल्ट्रासोनोग्राफी सहित जन्म निदान तकनीकें

भ्रूण के लिंग का निर्धारण करने का उद्देश्य।

(ग) कोई भी व्यक्ति, किसी भी तरह से, कारण या अनुमति नहीं देगा गर्भधारण से पहले या बाद में लिंग का चयन हुआ।

(जोर दिया गया)

41. स्वतंत्र रूप से, विशिष्ट प्रावधान किए गए हैं

एफ प्रौद्योगिकी अर्थात, निर्धारण के लिए प्रसव पूर्व नैदानिक तकनीकें

अधिनियम की धारा 6 के तहत भ्रूण का x। तकनीक का उपयोग कर सकते हैं

धारा 4 (2) में दिए गए प्रयोजनों के लिए और धारा 4 (3) में दिए गए पूर्व निर्देशों के साथ।

42. संबंधित द्वारा शक्तियों के मनमाने उपयोग के लिए एक सुरक्षा के रूप में

भारत के राज्य पर्यवेक्षी बोर्ड और केंद्र शासित प्रदेशों के उद्देश्यों और स्त्री-पारिस्थितिकीय संस्थाओं का गठन।

भारत संघ [अरुण मिश्रा, जे.]रिज़री बोर्ड धारा 16 ए में प्रदान किया गया है, जो विभिन्न प्रतिनिधियों का एक बड़ा शरीर स्टिंग है। इसे उपयुक्त प्राधिकरणों की गतिविधियों के बारे में जन जागरूकता पैदा करनी होगी और अधिनियम के प्रावधानों की निगरानी करनी होगी और आवधिक सूचना भेजनी होगी।

टी. अधिनियम की धारा 16 ए का प्रासंगिक भाग इस प्रकार हैः

" 16 ए. राज्य पर्यवेक्षी बोर्ड और संघ का गठन

क्षेत्र पर्यवेक्षी बोर्ड। (1) विधानमंडल वाला प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश एक बोर्ड का गठन करेगा जिसे राज्य पर्यवेक्षी बोर्ड या केंद्र शासित प्रदेश पर्यवेक्षी बोर्ड के रूप में जाना जाएगा, जिसके निम्नलिखित कार्य होंगेः

(i) पूर्व अभ्यास के खिलाफ जन जागरूकता पैदा करना। गर्भधारण लिंग चयन और भ्रूण के लिंग का प्रसवपूर्व निर्धारण जिससे राज्य में कन्या भ्रूण हत्या होती है।

((ख) राज्य में कार्य कर रहे उपयुक्त प्राधिकरणों की गतिविधियों की समीक्षा करना और उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की सिफारिश करना।

((ग) अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के कार्यान्वयन की निगरानी करना और बोर्ड को इससे संबंधित उपयुक्त सिफारिशें करना।

((iv) अधिनियम के तहत राज्य में की गई विभिन्न गतिविधियों के संबंध में ऐसी समेकित रिपोर्ट बोर्ड और केंद्र सरकार को भेजना; और

(v) कोई अन्य कार्य जो अधिनियम के तहत निर्धारित किए जा सकते हैं।

(2) राज्य बोर्ड में शामिल होंगे -

(ए) में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के प्रभारी मंत्री

राज्य, जो पदेन अध्यक्ष होगा; (ख) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के प्रभारी सचिव जो पदेन उपाध्यक्ष होंगे।

(ग) महिला और बाल विकास, समाज कल्याण, कानून और भारतीय चिकित्सा प्रणाली और होम्योपैथी विभागों के प्रभारी सचिव या आयुक्त, पदेन, या उनके प्रतिनिधि; [2019] 7 एस. सी. आर

(घ) राज्य सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण निदेशक या भारतीय चिकित्सा प्रणाली और होम्योपैथी निदेशक,

पदेन;

(ङ) विधान सभा या विधान परिषद की तीन महिला सदस्य;

(च) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले दस सदस्य जिनमें से दो-दो निम्नलिखित श्रेणियों से होंगेः

((ii) गैर-सरकारी संगठनों या अन्य संस्थाओं की प्रतिष्ठित महिला कार्यकर्ताएँ। (iii) प्रख्यात स्त्री रोग विशेषज्ञ और प्रसूति रोग विशेषज्ञ या विशेषज्ञ

स्त्री-रोग या प्रशुति-तंत्र;

((iv) प्रख्यात बाल रोग विशेषज्ञ या चिकित्सा आनुवांशिकीविद्;

(v) प्रख्यात रेडियोलॉजिस्ट या सोनोलॉजिस्ट;

(छ) परिवार कल्याण के प्रभारी संयुक्त निदेशक के पद से कम का अधिकारी, जो सदस्य सचिव होगा, पदेन।

(3) राज्य बोर्ड की बैठक चार महीने में कम से कम एक बार होगी।

43. उपयुक्त प्राधिकरण और सलाहकार का गठन

समिति का प्रावधान धारा 17 में किया गया है। इसमें अध्यक्ष के रूप में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के संयुक्त निदेशक या उससे ऊपर के पद का एक अधिकारी, महिला संगठन का प्रतिनिधित्व करने वाली एक प्रतिष्ठित महिला और सदस्य के रूप में राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के कानून विभाग का एक अधिकारी शामिल होता है। उपयुक्त प्राधिकारी के कार्य धारा 17 (4) में निर्धारित किए गए हैं। यह उपयुक्त प्राधिकरण को पंजीकरण देने, निलंबित करने या रद्द करने, मानकों को लागू करने, शिकायतों की जांच करने और उसमें दिए गए अन्य कार्यों को करने का अधिकार देता है। का संविधान

धारा 17 (6) के तहत उपयुक्त प्राधिकरण की सहायता और सलाह के लिए सलाहकार समिति भी प्रदान की गई है, जिसमें स्त्री रोग विशेषज्ञ, प्रसूति विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ और चिकित्सा विशेषज्ञों में से तीन चिकित्सा विशेषज्ञ शामिल हैं। आनुवंशिकीविद्, एक कानूनी विशेषज्ञ, इसके तहत प्रदान किए गए एक अधिकारी और तीन प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्ता। कोई भी व्यक्ति जो प्रसव पूर्व नैदानिक तकनीकों के उपयोग या प्रचार से जुड़ा हुआ है

लिंग या लिंग चयन सलाहकार समिति के सदस्य हो सकते हैं। धारा 17 यहाँ नीचे निकाली गई हैः

(1) केंद्र सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक या अधिक उपयुक्त प्राधिकरणों की नियुक्ति करेगी। (2) राज्य सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए राज्य के पूरे या हिस्से के लिए एक या अधिक उपयुक्त प्राधिकरणों की नियुक्ति करेगी, जो प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण की समस्या की तीव्रता को ध्यान में रखते हुए कन्या भ्रूण हत्या की ओर ले जाती है।

(3) उप-धारा (1) या उप-धारा (2) के तहत उपयुक्त प्राधिकरणों के रूप में नियुक्त अधिकारी होंगे -

(क) जब पूरे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए नियुक्त किया जाता है, जिसमें निम्नलिखित तीन सदस्य होते हैं:

((i) संयुक्त निदेशक के पद या उससे ऊपर का अधिकारी।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण-अध्यक्ष;

((ii) महिला संगठन का प्रतिनिधित्व करने वाली एक प्रतिष्ठित महिला;

और ((ग) राज्य या संघ के विधि विभाग का अधिकारी।

संबंधित क्षेत्रः

बशर्ते कि प्रसव पूर्व निदान तकनीक (विनियमन और दुरुपयोग की रोकथाम) संशोधन अधिनियम, 2002 के लागू होने के तीन महीने के भीतर बहु-सदस्य राज्य या केंद्र शासित प्रदेश स्तर के उपयुक्त प्राधिकरण का गठन करना संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का कर्तव्य होगाः

बशर्ते कि उसमें होने वाली कोई भी रिक्ति घटना के तीन महीने के भीतर भरी जाएगी।

(ख) जब राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के किसी भाग के लिए नियुक्त किया जाता है, तो राज्य सरकार या केंद्र सरकार, जैसा भी मामला हो, उचित समझे।

(4) उपयुक्त प्राधिकारी के निम्नलिखित कार्य होंगे -

अर्थात्:

(क) किसी आनुवंशिक व्यक्ति का पंजीकरण प्रदान करना, निलंबित करना या रद्द करना।

परामर्श केंद्र, आनुवंशिक प्रयोगशाला या आनुवंशिक चिकित्सालय; [2019] 7 एस. सी. आर.

(ख) आनुवंशिक परामर्श के लिए निर्धारित मानकों को लागू करना।

केंद्र, आनुवंशिक प्रयोगशाला और आनुवंशिक चिकित्सालय;

(ग) इस अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के उल्लंघन की शिकायतों की जांच करना और तत्काल कार्रवाई करना;

(घ) उप-धारा (5) के तहत गठित सलाहकार समिति से पंजीकरण के लिए आवेदन और पंजीकरण के निलंबन या रद्द करने की शिकायतों पर सलाह लेना और उस पर विचार करना।

(ई) किसी भी स्थान पर किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी लिंग चयन तकनीक के उपयोग के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करना, स्वतः संज्ञान लेना या उसके संज्ञान में लाना और स्वतंत्र रूप से शुरू करना।

इस तरह के मामले में जांच;

(च) यौन अभ्यास के खिलाफ जन जागरूकता पैदा करना।

लिंग का चयन या प्रसवपूर्व निर्धारण; (छ) के प्रावधानों के कार्यान्वयन की निगरानी करना

अधिनियम और नियम;

(ज) प्रौद्योगिकी में परिवर्तन के अनुसार नियमों में आवश्यक संशोधनों की बोर्ड और राज्य बोर्ड को सिफारिश करना।

या सामाजिक स्थितियाँ;

(i) निलंबन या पंजीकरण रद्द करने की शिकायत की जांच के बाद की गई सलाहकार समिति की सिफारिशों पर कार्रवाई करना।

) केंद्र सरकार या राज्य सरकार, जो भी हो, प्रत्येक के लिए एक सलाहकार समिति का गठन करेगी।

उपयुक्त प्राधिकरण को अपने कार्यों के निर्वहन में सहायता और सलाह देने के लिए उपयुक्त प्राधिकरण, और सलाहकार समिति के अंगरक्षकों में से एक को इसका अध्यक्ष नियुक्त करेगा।

-) सलाहकार समिति में शामिल होंगे -

(क) स्त्री रोग विशेषज्ञ में से तीन चिकित्सा विशेषज्ञ,

ओब्स्टेरिशियन, बाल रोग विशेषज्ञ और चिकित्सा आनुवांशिकीविद्;

(ख) एक कानूनी विशेषज्ञ;

(ग) राज्य सरकार या संघ की सूचना और प्रचार से संबंधित विभाग का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक अधिकारी।

क्षेत्र, जैसा भी मामला हो; प्रसूति और स्त्री-पारिस्थितिक संघ भारत के समाज बनाम। भारत संघ
[अरुण मिश्रा, जे.]

((घ) तीन प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता जिनमें से एक से कम नहीं

महिलाओं के प्रतिनिधियों में से होगी
संगठन।

समिति। (8)
सलाहकार समिति जब भी उचित समझे या उपयुक्त प्राधिकरण के अनुरोध पर विचार के लिए बैठक कर सकती है।

पंजीकरण के लिए किसी भी आवेदन या पंजीकरण के निलंबन या रद्द करने के लिए किसी भी शिकायत और उस पर सलाह देनाः

बशर्ते कि किसी भी दो बैठकों के बीच की अवधि

निर्धारित अवधि से अधिक नहीं होगी।

(9) नियम और शर्तें जिनके अधीन कोई व्यक्ति हो सकता है

सलाहकार समिति में नियुक्त और अपने कार्यों के निर्वहन में ऐसी समिति द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया

जैसा कि निर्धारित किया जाए "।

44. धारा 17 ए उपयुक्त प्राधिकरण को किसी भी व्यक्ति को बुलाने का अधिकार देती है जिसके पास उल्लंघन से संबंधित कोई भी जानकारी है।

अधिनियम के प्रावधान और दस्तावेजों का उत्पादन, तलाशी वारंट जारी करना आदि। यह अनिवार्य है कि ऐसे आनुवंशिक परामर्श केंद्र, प्रयोगशालाएं या क्लीनिक अधिनियम की धारा 18 के तहत पंजीकृत होने चाहिए।

45. धारा 20 पंजीकरण को रद्द करने या निलंबित करने से संबंधित है।

सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद धारा 20 (2) के तहत दी गई कार्रवाई की जा सकती है। यदि अधिनियम या नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन होता है, और यह ऐसे केंद्रों, प्रयोगशाला या क्लिनिक के खिलाफ की जाने वाली किसी भी आपराधिक कार्रवाई के प्रति पूर्वाग्रह के बिना है, तो उचित प्राधिकरण जनहित में लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए, धारा 20 की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट कोई भी सूचना जारी किए बिना अधिनियम की धारा 20 (3) के तहत किसी भी आनुवंशिक परामर्श केंद्र, प्रयोगशाला या क्लिनिक का पंजीकरण निलंबित कर सकता है। निलंबन के आदेश के विरुद्ध अपील के प्रावधान या उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा पारित पंजीकरण को रद्द करने का प्रावधान धारा 21 में किया गया है। धारा 20 और 21 को नीचे निकाला गया हैः

" 20. पंजीकरण रद्द या निलंबित करना। (1) . उपयुक्त प्राधिकरण स्वतः संज्ञान ले सकता है, या शिकायत पर, [2019] 7 एस. सी. आर. जारी कर सकता है।

आनुवंशिक परामर्श केंद्र, आनुवंशिक प्रयोगशाला या

जेनेटिक क्लिनिक कारण बताएगा कि इसका पंजीकरण क्यों नहीं होना चाहिए

नोटिस में उल्लिखित कारणों से निलंबित या रद्द कर दिया गया। (2) यदि, सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद

आनुवंशिक परामर्श केंद्र, आनुवंशिक प्रयोगशाला या आनुवंशिक चिकित्सालय

और सलाहकार समिति की सलाह को ध्यान में रखते हुए,

उपयुक्त प्राधिकरण संतुष्ट है कि इसका उल्लंघन हुआ है इस अधिनियम या नियमों के प्रावधानों के प्रतिकूल प्रभाव के बिना,

कोई आपराधिक कार्रवाई जो वह ऐसे केंद्र के खिलाफ कर सकता है, प्रयोगशाला या क्लिनिक, इसके पंजीकरण को इस अवधि के लिए निलंबित कर दें कि

जैसा भी मामला हो, इसके पंजीकरण को उचित समझ सकते हैं या रद्द कर सकते हैं।

(3) उप-धारा (1) में किसी बात के होते हुए भी और

(2) , यदि उपयुक्त प्राधिकारी की राय है कि यह आवश्यक है

या लोक हित में ऐसा करना समीचीन है, वह कारणों से

लिखित रूप में दर्ज किया जाए, किसी भी आनुवंशिक के पंजीकरण को निलंबित कर दिया जाए

धारा 20 के तहत उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा पारित, एक ऐसे आदेश के खिलाफ अपील करने के लिए

(i) केंद्र सरकार, जहां अपील के खिलाफ है केंद्रीय उपयुक्त प्राधिकरण का आदेश; और

((ii) राज्य सरकार, जहाँ आदेश के विरुद्ध अपील की जाती है।

राज्य उपयुक्त प्राधिकरण का,

निर्धारित तरीके से "।

(जोर दिया गया)

46. धारा 22 विज्ञापन के निषेध से संबंधित है -

लिंग की शुरुआत और जन्म से पहले का निर्धारण और गर्भपात के लिए सजा।

47. धारा 23 अपराधों और दंड से संबंधित है। धारा 23 (1)
अधिनियम या बनाए गए नियमों के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन के लिए
के तहत, एक अवधि के लिए कारावास के साथ सजा जो बढ़ सकती है
ई. ई. वर्ष और जुर्माने के साथ जो दस हजार रुपये तक बढ़ सकता है।

धारा 23 (2) में उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा संबंधित राज्य चिकित्सा परिषद को उचित आदेश पारित करने के लिए पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी के नाम की सूचना देने के संबंध में प्रावधान है, जिसमें शामिल हैंः यदि न्यायालय द्वारा आरोप तय किए जाते हैं और मामले का निपटारा होने तक और दोषी ठहराए जाने पर पहले अपराध के लिए पाँच साल की अवधि के लिए और बाद के अपराध के लिए स्थायी रूप से परिषद के रजिस्टर से उसका नाम हटाने के लिए पंजीकरण का निलंबन। कोई भी व्यक्ति जो लिंग चयन के लिए किसी भी आनुवंशिक परामर्श केंद्र, प्रयोगशाला, क्लिनिक या अल्ट्रासाउंड क्लिनिक या इमेजिंग क्लिनिक आदि की सहायता लेता है, वह कारावास से दंडनीय होगा जो तीन साल तक बढ़ सकता है और जुर्माने से जो पहले अपराध के लिए पचास हजार रुपये तक बढ़ सकता है और किसी भी बाद के अपराध के लिए कारावास से जो पांच साल तक बढ़ सकता है और जुर्माने से जो एक लाख रुपये तक बढ़ सकता है। यदि किसी महिला को उसके पति या किसी अन्य रिश्तेदार द्वारा धारा 4 (2) के उद्देश्य से प्रसव पूर्व नैदानिक तकनीक से गुजरने के लिए मजबूर किया जाता है, तो ऐसा व्यक्ति धारा 23 (3) के तहत अपराध के लिए उकसाने के लिए उत्तरदायी होगा। धारा 23 और 24 को नीचे निकाला गया हैः

यदि न्यायालय द्वारा आरोप तय किए जाते हैं और जब तक मामले का निपटारा नहीं हो जाता है और दोषी ठहराए जाने पर पहले अपराध के लिए पाँच साल की अवधि के लिए और बाद के अपराध के लिए स्थायी रूप से परिषद के रजिस्टर से उसका नाम हटाने के लिए पंजीकरण। (3) कोई भी व्यक्ति जो किसी भी आनुवंशिक परामर्श केंद्र, आनुवंशिक प्रयोगशाला, आनुवंशिक क्लिनिक या अल्ट्रासाउंड क्लिनिक या [2019] 7 एस. सी. आर. से सहायता चाहता है।

इमेजिंग क्लिनिक या चिकित्सा आनुवांशिकीविद्, स्त्री रोग विशेषज्ञ, सोनोलॉजिस्ट

या इमेजिंग विशेषज्ञ या पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी या कोई अन्य

लिंग चयन के लिए या प्रसव पूर्व निदान करने के लिए व्यक्ति इसके अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किसी भी गर्भवती महिला पर तकनीकें

पहला अपराध और कारावास के साथ किसी भी बाद के अपराध के लिए जो पांच साल तक बढ़ सकता है और जुर्माने के साथ जो बढ़ सकता है

एक लाख रुपये तक।

(4) शंकाओं को दूर करने के लिए, एतद्वारा यह प्रावधान किया गया है कि

उप-धारा (3) के प्रावधान उस महिला पर लागू नहीं होंगे जो ऐसी नैदानिक तकनीकों या ऐसी तकनीकों से गुजरने के लिए मजबूर किया गया था

चयन करें।

24. प्रसव पूर्व के आचरण के मामले में अनुमान

नैदानिक तकनीकें। कुछ भी निहित होने के बावजूद

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1), न्यायालय यह मान लेगा कि

जब तक कि इसके विपरीत यह साबित न हो जाए कि गर्भवती महिला थी उसके पति या किसी अन्य रिश्तेदार द्वारा मजबूर किया गया, जैसा कि

मई

उद्देश्यों के लिए प्रसव पूर्व नैदानिक तकनीक से गुजरना

धारा 4 की उप-धारा (2) में विनिर्दिष्ट लोगों के अलावा और ऐसे

व्यक्ति उप-धारा के तहत अपराध के लिए उकसाने के लिए उत्तरदायी होगा।

(3) धारा 23 और निर्दिष्ट अपराध के लिए दंडनीय होगा।

उस धारा के तहत "।

(जोर दिया गया)

48. अधिनियम की धारा 25 उल्लंघन के लिए दंड से संबंधित है।

अधिनियम या नियमों के प्रावधान जिनके लिए कोई विशिष्ट सजा नहीं है

डीड। इस धारा के तहत कोई भी उल्लंघन दंडनीय होगा -

तीन महीने तक की अवधि के लिए राशि या जुर्माना

एच एक हजार रुपये या दोनों तक बढ़ सकता है और एक अतिरिक्त जुर्माने के साथ उल्लंघन के मामले में जो तक बढ़ सकता है

हर दिन के लिए सौ रुपये।

49. धारा 27 अपराध को संज्ञेय, गैर-जमानती और

कम्पाउंडेबल। धारा 27 यहाँ नीचे निकाली गई हैः

" 27. अपराध संज्ञेय, गैर-जमानती और गैर-जमानती होना चाहिए

कम्पाउंडेबल। - इस अधिनियम के तहत प्रत्येक अपराध संज्ञेय होगा,

50. उपयुक्त प्राधिकारी या किसी अन्य द्वारा की गई शिकायत पर धारा 28 में अपराध का संज्ञान लेने का तरीका प्रदान किया गया है। इस संबंध में प्राधिकृत अधिकारी; या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसने कथित व्यक्ति के उपयुक्त प्राधिकारी को कम से कम पंद्रह दिनों का नोटिस दिया हो।

अपराध और अदालत में शिकायत करने का उसका इरादा। महानगर मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट इस अधिनियम के तहत दंडनीय किसी भी अपराध का मुकदमा चलाने के लिए सक्षम है। अभिलेखों का रखरखाव धारा 29 में प्रदान किया गया है और इसे दो साल के लिए संरक्षित किया जाना है। किसी भी मामले में

किसी भी आनुवंशिक व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक या अन्य कार्यवाही शुरू की जाती है।

अभिलेखों आदि को खोजने और जब्त करने के लिए उपयुक्त प्राधिकरण। धारा 31 सद्भावना से की गई कार्रवाई के संरक्षण का प्रावधान करती है। 51. धारा 32 केंद्र सरकार को अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए नियम बनाने का अधिकार देती है। धारा 33 बोर्ड को केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी के साथ विनियम बनाने की शक्ति देती है। धारा 34 में दिए गए नियमों और विनियमों को संसद के समक्ष रखा जाना आवश्यक है।

52. नियमों के नियम 9 में अभिलेखों के रखरखाव और संरक्षण का प्रावधान है। उसी को यहाँ नीचे निकाला गया हैः

9. अभिलेखों का रखरखाव और संरक्षण। —

(1) प्रत्येक आनुवंशिक परामर्श केंद्र, आनुवंशिक प्रयोगशाला और आनुवंशिक क्लिनिक, जिसमें एक मोबाइल आनुवंशिक क्लिनिक, अल्ट्रासाउंड क्लिनिक और इमेजिंग सेंटर शामिल हैं, एक रजिस्टर बनाए रखेंगे, जिसमें क्रमिक क्रम में, आनुवंशिक परामर्श दिए गए पुरुषों या महिलाओं के नाम और पते, प्रसव पूर्व नैदानिक प्रक्रियाओं या प्रसव पूर्व नैदानिक परीक्षणों के अधीन, उनके जीवनसाथी या पिता के नाम और उस तारीख को दिखाया जाएगा जिस पर उन्होंने पहली बार इस तरह की परामर्श, प्रक्रिया के लिए रिपोर्ट किया था।

या परीक्षण करें।

(2) परामर्श प्राप्त प्रत्येक महिला के संबंध में प्रत्येक आनुवंशिक परामर्श केंद्र द्वारा बनाए रखा जाने वाला रिकॉर्ड निर्दिष्ट होगा।

फॉर्म डी में।

(3) प्रत्येक आनुवंशिक प्रयोगशाला द्वारा किसी भी प्रसव पूर्व के अधीन प्रत्येक पुरुष या महिला के संबंध में रखा जाने वाला अभिलेख नैदानिक प्रक्रिया/तकनीक/परीक्षण, प्रपत्र में निर्दिष्ट के अनुसार होगा।

ई.

(4) किसी भी प्रसव पूर्व नैदानिक प्रक्रिया/तकनीक/परीक्षण के अधीन प्रत्येक पुरुष या महिला के संबंध में एक गतिशील आनुवंशिक क्लिनिक सहित प्रत्येक आनुवंशिक क्लिनिक द्वारा बनाए रखा जाने वाला रिकॉर्ड इस प्रकार होगा -

फॉर्म एफ में निर्दिष्ट।

(5) उपयुक्त प्राधिकरण फॉर्म एच में निर्दिष्ट पंजीकरण प्रमाण पत्र के अनुदान या नवीनीकरण के लिए आवेदनों का एक स्थायी रिकॉर्ड बनाए रखेगा। कर्मचारी, स्थान, पता और स्थापित उपकरण के प्रत्येक परिवर्तन की सूचना के पत्र भी

स्थायी अभिलेख के रूप में संरक्षित।

(6) सभी मामले से संबंधित-रिकॉर्ड, सहमति के रूप, प्रयोगशाला के परिणाम, सूक्ष्म चित्र, सोनोग्राफिक प्लेट या स्लाइड,

अनुशंसाओं और पत्रों को आनुवंशिक परामर्श केंद्र, आनुवंशिक प्रयोगशाला या आनुवंशिक चिकित्सालय द्वारा संरक्षित किया जाएगा।

अल्ट्रासाउंड क्लिनिक या इमेजिंग सेंटर परामर्श पूरा होने की तारीख से दो साल की अवधि के लिए, प्रसव पूर्व निदान प्रक्रिया या प्रसव पूर्व नैदानिक परीक्षण, जैसा भी मामला हो। किसी भी कानूनी कार्यवाही की स्थिति में, अभिलेखों को कानूनी कार्यवाही के अंतिम निपटारे तक, या दो साल की उक्त अवधि की समाप्ति तक, जो भी बाद में हो, संरक्षित किया जाएगा।

(7) यदि आनुवंशिक परामर्श केंद्र या आनुवंशिक प्रयोगशाला या आनुवंशिक क्लिनिक या अल्ट्रासाउंड क्लिनिक या इमेजिंग सेंटर कंप्यूटर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर रिकॉर्ड रखता है, तो रिकॉर्ड की एक मुद्रित प्रति ली जाएगी और उनके द्वारा प्रमाणीकरण के बाद संरक्षित की जाएगी।

ऐसे अभिलेख के लिए जिम्मेदार व्यक्ति।

(8) प्रत्येक आनुवंशिक परामर्श केंद्र, आनुवंशिक प्रयोगशाला, आनुवंशिक क्लिनिक, अल्ट्रासाउंड क्लिनिक और इमेजिंग सेंटर गर्भधारण से पहले या गर्भावस्था से संबंधित सभी प्रक्रियाओं/तकनीकों/परीक्षणों के संबंध में एक पूरी रिपोर्ट भेजेंगे।

संबंधित को अगले महीने के 5 वें दिन तक

उपयुक्त प्राधिकरण "।

नियम 9 एक रजिस्टर को बनाए रखना अनिवार्य बनाता है जिसमें आनुवंशिक बिक्री किए गए पुरुषों या महिलाओं के नाम और पते, प्रसव पूर्व नैदानिक प्रक्रियाओं या प्रसव पूर्व ऑस्टिक परीक्षणों के अधीन, उनके जीवनसाथी या पिता का नाम और उस तारीख को क्रम में दिखाया गया है जब वे पहली बार इस तरह की

परामर्श के लिए रिपोर्ट करते हैं। नियम 9 (2) में कहा गया है कि डी को समान रूप से बनाए रखा जाना चाहिए।

नियम 9 (4) में यह प्रावधान किया गया है कि अभिलेख को ऑबस्टेट्रिक्स और गाइनेकोलॉजिकल का संगठन माना जाए। भारत के समाज बनाम। भारत संघ [अरुण मिश्रा, जे.]

प्रत्येक पुरुष या महिला के संबंध में प्रत्येक आनुवंशिक चिकित्सालय द्वारा अनुरक्षित

किसी भी प्रसव पूर्व नैदानिक प्रक्रिया/तकनीक/परीक्षण के अधीन, फॉर्म 'एफ' में निर्दिष्ट किया जाएगा। नियम 10 प्रसव पूर्व नैदानिक प्रक्रियाओं के संचालन के लिए स्थितियों से संबंधित है। नियम 10 (1ए) में प्रावधान है कि अल्ट्रासोनोग्राफी करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह घोषणा करना अनिवार्य है कि उसने न तो गर्भवती महिला के भ्रूण के लिंग का पता लगाया है और न ही किसी को बताया है। गर्भवती महिला परीक्षण से पहले घोषणा करेगी कि वह अपने भ्रूण का लिंग नहीं जानना चाहती है। नियम 19 उपयुक्त प्राधिकारी के निर्णय के खिलाफ अपील का प्रावधान करता है। प्रपत्र 'एफ', जो पक्षकारों के लिए विद्वान वकील के विवाद का आधार है, यहाँ नीचे निकाला गया हैः

" फॉर्म एफ

सम्मान में रिकॉर्ड को बनाए रखने के लिए फॉर्म

जेनेटिक क्लिनिक/द्वारा गर्भवती महिला का

अल्ट्रासाउंड क्लिनिक/इमेजिंग सेंटर

1. आनुवंशिक चिकित्सालय/अल्ट्रासाउंड चिकित्सालय/का नाम और पता

इमेजिंग सेंटर।

2 . पंजीकरण सं।

3 . रोगी का नाम और उसकी उम्र

4. प्रत्येक बच्चे के लिंग वाले बच्चों की संख्या

5. पति/पिता का नाम

6. पूरा पता टेल के साथ। नहीं, अगर कोई हो।

7. (डॉक्टर का पूरा नाम और पता)/आनुवंशिक परामर्श केंद्र द्वारा संदर्भित (रेफरल नोट को सावधानीपूर्वक संरक्षित किया जाना चाहिए)

केस पेपर्स के साथ)/सेल्फ रेफरल

8 . गर्भावस्था की अंतिम मासिक धर्म अवधि/सप्ताह

9 . परिवार में आनुवंशिक/चिकित्सा रोग का इतिहास (निर्दिष्ट करें)

निदान का आधार

(ए) नैदानिक

((c) साइटोजेनेटिक

(घ) अन्य (जैसे रेडियोलॉजिकल, अल्ट्रासोनोग्राफी आदि निर्दिष्ट करें)

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

प्रसव पूर्व निदान के लिए संकेत

ए. पिछला बच्चा/बच्चे जिनके साथः (i) क्रोमोसोमल विकार

((ii) चयापचय संबंधी विकार (iii) जन्मजात विसंगति

((iv) मानसिक मंदता

(v) हीमोग्लोबिनोपैथी

(vi) लिंग संबंधी विकार (vii) एकल जीन विकार

सी. माँ/पिता/भाई-बहन को आनुवंशिक बीमारी है (निर्दिष्ट करें) D. अन्य (निर्दिष्ट करें)

प्रक्रियाएँ (स्त्री रोग विशेषज्ञ/रेडियोलॉजिस्ट/पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी के नाम और पंजीकरण संख्या के साथ) जिन्होंने इसे किया।

गैर-आक्रामक

(i) अल्ट्रासाउंड (निर्दिष्ट उद्देश्य जिसके लिए अल्ट्रासाउंड करना है)

गर्भावस्था के दौरान किया जाता है) [गर्भवती महिलाओं की अल्ट्रासोनोग्राफी के लिए संकेतों की सूची

नीचे दिए गए नोट में दिए गए हैं]

आक्रामक।

((ii) अम्नीओसेंटेसिस

(iii) कोरियोनिक विली आकांक्षा

(iv) भ्रूण बायोप्सी

(v) कॉर्डोसेन्टेसिस

(vi) कोई अन्य (निर्दिष्ट)

प्रक्रिया की कोई भी जटिलता-कृपया भारत की ऑबस्टेट्रिक्स और स्त्री रोग संबंधी समस्याओं के उद्भव को निर्दिष्ट करें। भारत संघ [अरुण मिश्रा, जे.]

13. प्रयोगशाला परीक्षणों की सिफारिश की गई

(i) गुणसूत्र अध्ययन

((ii) जैव रासायनिक अध्ययन

(iii) आणविक अध्ययन (iv) पूर्व प्रत्यारोपण आनुवंशिक निदान

14. का परिणाम

(क) प्रसव पूर्व नैदानिक प्रक्रिया (विवरण दें) (ख) अल्ट्रासोनोग्राफी सामान्य/असामान्य (असामान्यता निर्दिष्ट करें)

पता चला, यदि कोई हो)।

15. तारीख (ओं) जिस पर प्रक्रियाएं की गईं।

16. जिस तारीख को सहमति प्राप्त हुई। (आक्रामक होने के मामले में) 17. प्रसव पूर्व नैदानिक प्रक्रिया के परिणाम बताए गए थे

से. पर।

18. 18. क्या एम. टी. पी. की सलाह/संचालन किया गया था? 19. जिस तारीख को एम. टी. पी. किया गया था

नाम, हस्ताक्षर और पंजीकरण संख्या

तिथि. स्थान।

स्त्री रोग विशेषज्ञ/रेडियोलॉजिस्ट/निदेशक

क्लीनिक

गर्भवती महिला की घोषणा

..... (गर्भवती महिला का नाम) घोषित करें

I, सुश्री. अल्ट्रासोनोग्राफी/इमेज स्कैनिंग आदि से गुजरना। मैं अपने भ्रूण का लिंग नहीं जानना चाहता।

गर्भवती महिला के हस्ताक्षर/थम्प का निशान

डॉक्टर/व्यक्ति की नियुक्ति की घोषणा

अल्ट्रासोनोग्राफी/इमेजिंग स्कैनिंग

(संचालन करने वाले व्यक्ति का नाम

I. अल्ट्रासोनोग्राफी/इमेज स्कैनिंग) यह घोषणा करती है कि सुश्री पर अल्ट्रासोनोग्राफी/इमेज स्कैनिंग करते समय।

....

.. (नाम

गर्भवती महिला), मैंने न तो किसी भी तरह से उसके भ्रूण के लिंग का पता लगाया है और न ही किसी भी शरीर को बताया है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

संचालन करने वाले व्यक्ति का नाम और हस्ताक्षर

अल्ट्रासोनोग्राफी/इमेज स्कैनिंग/निदेशक या आनुवंशिक क्लिनिक/अल्ट्रासाउंड क्लिनिक/इमेजिंग केंद्र के मालिक।

महत्वपूर्ण टिप्पणियाँः

(i) डचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, हीमोफिलिया ए एंड बी आदि जैसे लिंग संबंधी रोगों के निदान को छोड़कर भ्रूण के लिंग का निर्धारण करने के लिए अल्ट्रासाउंड का संकेत/सलाह/प्रदर्शन नहीं किया जाता है।

(1) अंतर्गर्भाशयी और/या अस्थानिक गर्भावस्था का निदान करना और व्यवहार्यता की पुष्टि करना। (2) गर्भावस्था की आयु का अनुमान (दिनांक)।

(3) भ्रूणों की संख्या और उनकी कोरियोनिसिटी का पता लगाना।

(4) आई. यू. सी. डी. के साथ संदिग्ध गर्भावस्था या गर्भनिरोधक विफलता/एम. टी. पी. विफलता के बाद संदिग्ध गर्भावस्था।

(5) योनि से रक्तस्राव/रिसाव।

(6) गर्भपात के मामलों का अनुवर्ती कार्रवाई।

(7) सर्वाइकल कैनाल और आंतरिक ओएस के व्यास का आकलन।

(8) गर्भाशय के आकार और अमेनोरिया की अवधि के बीच विसंगति।

(9) कोई भी संदिग्ध एडेनेक्सल या गर्भाशय विकृति/असामान्यता।

(10) गुणसूत्र संबंधी असामान्यताओं, भ्रूण संरचनात्मक दोषों और अन्य असामान्यताओं का पता लगाना और उनका पालन करना।

(11) भ्रूण की प्रस्तुति और स्थिति का मूल्यांकन करना।

(12) शराब अम्नी का आकलन।

(13) समय से पहले प्रसव/समय से पहले झिल्ली का टूटना।

(14) प्लेसेंटल स्थिति, मोटाई, ग्रेडिंग और असामान्यताओं (प्लेसेंटा प्रिविया, रेट्रोप्लेसेंटल रक्तस्राव, असामान्य पालन आदि) का मूल्यांकन। (15) नाभि का मूल्यांकन-प्रस्तुति, सम्मिलन, नासिका घेराबंदी, वाहिकाओं की संख्या और वास्तविक गाँठ की उपस्थिति।

ऑब्स्टेट्रिक्स और गाइनेकोलोजिकल का संघ भारत के समाज बनाम। भारत संघ [अरुण मिश्रा, जे.]

(16) पिछले सिजेरियन सेक्शन के निशान का मूल्यांकन।

(17) भ्रूण के विकास मानकों, भ्रूण के वजन और भ्रूण के कल्याण का मूल्यांकन।

(18) रंग प्रवाह मानचित्रण और डुप्लेक्स डॉपलर अध्ययन। (19) अल्ट्रासाउंड निर्देशित प्रक्रियाएँ जैसे गर्भावस्था की चिकित्सा समाप्ति, बाहरी सेफालिक संस्करण आदि और उनका अनुवर्ती कार्रवाई।

(20) नैदानिक और चिकित्सीय आक्रामक हस्तक्षेपों के लिए सहायक

जैसे कोरियोनिक विलस सैंपलिंग (सी. वी. एस.), एम्नियोसेंटीस, भ्रूण रक्त सैंपलिंग, भ्रूण त्वचा बायोप्सी, एम्नियोइनफ्यूजन, अंतर्गर्भाशयी

जलसेक, शंटों की स्थापना आदि।

(21) अंतर्गर्भाशयी घटनाओं का अवलोकन।

(22) गर्भावस्था को जटिल बनाने वाली चिकित्सा/शल्य चिकित्सा स्थितियाँ।

(23) मान्यता प्राप्त संस्थानों में अनुसंधान/वैज्ञानिक अध्ययन।

गर्भवती महिला पर अल्ट्रासोनोग्राफी करने वाला व्यक्ति फॉर्म एफ में क्लिनिक/केंद्र में इसका पूरा रिकॉर्ड रखेगा और उसमें कोई भी कमी या अशुद्धि पाई जाएगी

अधिनियम की धारा 5 या धारा 6 के प्रावधानों का उल्लंघन,

जब तक कि ऐसा करने वाले व्यक्ति द्वारा इसके विपरीत साबित नहीं किया जाता है

अल्ट्रासोनोग्राफी "।

53. अधिनियम और नियम एकमात्र नियामक ढांचा नहीं हैं जिसके लिए चिकित्सा बिरादरी को उचित रिकॉर्ड रखने की आवश्यकता होती है। चिकित्सा पेशे की प्रकृति अत्यधिक विशिष्ट है और चिकित्सा पेशेवरों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की प्रकृति को देखते हुए, अभिलेखों का उचित रखरखाव चिकित्सा सेवाओं का एक अभिन्न अंग है। इसकी ओर से प्रतिवाद किया जाता है

भारतीय चिकित्सा परिषद ने भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 की धारा 33 के तहत भारतीय चिकित्सा परिषद (व्यावसायिक आचरण, शिष्टाचार और नैतिकता) विनियम बनाए हैं।

2002 , जिसने चिकित्सकों पर देश के कानून का पालन करने का बोझ भी डाला। उक्त विनियमों के अनुसार, प्रत्येक चिकित्सक के लिए यह अनिवार्य है कि वह उन रोगियों का रिकॉर्ड बनाए रखे जिनका उसके द्वारा इलाज किया गया था और जिनका इलाज नहीं किया गया था। अभिलेखों को बनाए रखना एक दुराचार है। एमसीआई विनियमन 1.3 चिकित्सा अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित है, जो इस प्रकार हैः

" 1.3 चिकित्सा अभिलेखों का रखरखावः

1.3. 1 प्रत्येक चिकित्सक को [2019] 7 एस. सी. आर. की तारीख से 3 साल की अवधि के लिए अपने इनडोर रोगियों से संबंधित चिकित्सा रिकॉर्ड रखना होगा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

निर्धारित मानक रूप में उपचार की शुरुआत

भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा और परिशिष्ट 3 के रूप में संलग्न।

1.3. 2 . यदि चिकित्सा अभिलेखों के लिए कोई अनुरोध किया जाता है तो

इसे विधिवत स्वीकार किया जा सकता है और दस्तावेज जारी किए जाएंगे। 72 घंटे की अवधि के भीतर।

1.3. 3 एक पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी एक रजिस्टर बनाए रखेगा।

चिकित्सा प्रमाण पत्र जारी करते समय वह हमेशा रोगी की पहचान के निशान और प्रमाण पत्र की एक प्रति रखें।

रोगी का पता और कम से कम एक पहचान चिह्न चिकित्सा प्रमाण पत्र या रिपोर्ट। चिकित्सा प्रमाण पत्र होगा

परिशिष्ट 2 के अनुसार तैयार किया गया।

1.3. 4 चिकित्सा अभिलेखों को कम्प्यूटरीकृत करने का प्रयास किया जाएगा।

त्वरित पुनर्प्राप्ति। ”

(जोर दिया गया)

54. अध्याय 7 के तहत विनियमन 7.1 कदाचार से संबंधित है।

किसी चिकित्सक द्वारा विनियमों के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करके,

ई. एस. विनियमन 7.2 में यह प्रावधान है कि चिकित्सा को बनाए रखने में विफलता

तीन साल की अवधि के लिए इनडोर रोगी का डी. एस. और प्रदान करने से इनकार

72 घंटों के भीतर अनुरोध पर एक रोगी को शैक्षिक रिकॉर्ड एक कदाचार है।

धारा 7.6 लिंग निर्धारण से संबंधित दुराचार से संबंधित है और

गर्भावस्था का राष्ट्र। विनियम 7 का प्रासंगिक भाग है -

यहाँ नीचे लिखा हैः

" 7. गलती

एक की ओर से कमीशन या चूक के निम्नलिखित कार्य

चिकित्सक पेशेवर कदाचार का गठन करेगा जिससे वह /

वह अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी है।

7.1 नियमों का उल्लंघनः यदि वह कोई उल्लंघन करता है

इन नियमों में से।

7.2 यदि वह अपने मेडिकल रिकॉर्ड नहीं रखता है

विनियमन 1.3 के अनुसार तीन साल की अवधि के लिए घर के अंदर रहने वाले रोगी

और 72 घंटों के भीतर इसे प्रदान करने से इनकार कर देता है जब रोगी भारत के प्रसूति और स्त्री रोग संबंधी रोगों का उन्मूलन करता है।

या उसका अधिकृत प्रतिनिधि इसके लिए अनुरोध करता है विनियमन 1.3। 2 .

***

***

***

7.6 लिंग निर्धारण परीक्षणः बिना किसी कारण के लिंग निर्धारण

परीक्षण एक के जीवन को समाप्त करने के इरादे से किया जाएगा

माँ के गर्भ में विकसित होने वाला भ्रूण, जब तक कि

निर्दिष्ट गर्भावस्था की समाप्ति के लिए अन्य पूर्ण संकेत

चिकित्सा गर्भपात अधिनियम, 1971। का कोई भी कार्य

सामान्य महिला भ्रूण की गर्भावस्था की समाप्ति की राशि

चिकित्सक का हिस्सा जो प्रतिपादन के अलावा दंडात्मक उन्मूलन की ओर ले जाता है वह इसके प्रावधानों के अनुसार आपराधिक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी है।

अधिनियम "।

55. एम. सी. आई. विनियम का विनियम 8 दंड से संबंधित है।

एक डॉक्टर द्वारा किए गए दुराचार के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई। प्रासंगिक

विनियम 8 इस प्रकार हैः

" 8. सजा और विवेचनात्मक कार्रवाई

8.1 यह स्पष्ट रूप से समझा जाना चाहिए कि अपराधों के मामले

और पेशेवर दुराचार जो ऊपर दिए गए हैं, नहीं करते हैं एक पूर्ण सूची का गठन और गठन करने का इरादा नहीं है

कुख्यात कार्य जो अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग करते हैं, और जो जारी करके

यह सूचना भारतीय चिकित्सा परिषद और या राज्य चिकित्सा परिषद को दी जाती है

परिषदें किसी भी तरह से विचार करने और व्यवहार करने से वंचित नहीं हैं।

एक की ओर से पेशेवर कदाचार के किसी अन्य रूप के साथ

पंजीकृत व्यवसायी। परिस्थितियाँ समय के साथ उत्पन्न हो सकती हैं और हो सकती हैं। जिस समय के संबंध में प्रश्न हो सकते हैं

पेशेवर कदाचार जो इनमें से किसी के भीतर नहीं आता है

श्रेणियाँ। इस बात का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए कि संहिता का उल्लंघन न हो

अक्षर या आत्मा में। ऐसे मामलों में जैसे कि अन्य सभी में, चिकित्सा

भारतीय परिषद और/या राज्य चिकित्सा परिषदों को विचार करना होगा

और चिकित्सा परिषद के समक्ष लाए गए तथ्यों पर निर्णय लें

भारत और/या राज्य चिकित्सा परिषदें।

8.2 यह स्पष्ट किया जाता है कि पेशेवर के संबंध में कोई भी शिकायत कदाचार को उपयुक्त चिकित्सा परिषद के समक्ष लाया जा सकता है।

अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए। किसी भी शिकायत के प्राप्त होने पर

पेशेवर कदाचार, उपयुक्त चिकित्सा परिषद [2019] 7 एस. सी. आर.

जाँच करें और पंजीकृत चिकित्सक को व्यक्तिगत रूप से या वकील द्वारा सुने जाने का अवसर दें। यदि चिकित्सक पेशेवर होने का दोषी पाया जाता है

कदाचार, उपयुक्त चिकित्सा परिषद इस तरह का पुरस्कार दे सकती है

अपराधी पंजीकृत व्यवसायी के नाम के रजिस्टर से पूरी तरह से या एक निर्दिष्ट अवधि के लिए। रजिस्टर से हटाने का व्यापक प्रचार स्थानीय प्रेस के साथ-साथ प्रकाशनों में भी किया जाएगा। विभिन्न चिकित्सा संघों/समितियों/निकायों से।

56. यह आगे बताया गया है कि फार्मेसी अभ्यास विनियमों में भी फार्मासिस्टों को रिकॉर्ड बनाए रखने की आवश्यकता होती है। संबंधित भाग ई विनियमों को नीचे निकाला गया हैः

" 6.2 रोगी अभिलेखों का रखरखाव।

(क) प्रत्येक पंजीकृत फार्मासिस्ट चिकित्सा/रखरखाव करेगा।

उपचार शुरू होने की तारीख से 5 साल की अवधि के लिए उसके रोगियों से संबंधित प्रिस्क्रिप्शन रिकॉर्ड

भारतीय फार्मेसी परिषद द्वारा परिशिष्ट II में नीचे।

(बी) यदि रोगियों/अधिकृत परिचर या कानूनी अधिकारियों द्वारा चिकित्सा रिकॉर्ड के लिए कोई अनुरोध किया जाता है, तो वे शामिल हो सकते हैं। विधिवत स्वीकार किया जाएगा और दस्तावेजों को इसके भीतर जारी किया जाएगा

72 घंटे की अवधि।

(ग) चिकित्सा/प्रिस्क्रिप्शन को कम्प्यूटरीकृत करने का प्रयास किया जाएगा।

त्वरित पुनर्प्राप्ति के लिए रिकॉर्ड "।

57. के प्रावधानों का भी संदर्भ दिया गया है

मानव अंग और ऊतक अधिनियम, 1994 और नियमों के विभाजन में ऐसे प्रावधान हैं जो अधिनियम के समान हैं। मानव अंग और ऊतक विभाजन अधिनियम, 1994 की धारा 20 इस प्रकार हैः

" 20. किसी अन्य प्रावधान के उल्लंघन के लिए दंड

इस अधिनियम का-जो कोई भी इस अधिनियम के किसी प्रावधान का उल्लंघन करता है या

बनाया गया कोई नियम, या उसके तहत दिए गए पंजीकरण की कोई शर्त, जिसके लिए इसमें अलग से कोई सजा का प्रावधान नहीं है।

अधिनियम, पाँच वर्ष तक की अवधि के कारावास या बीस लाख तक के जुर्माने से दंडनीय होगा।

रुपये "। भारत के ऑब्स्टेट्रिक्स और स्त्री-पारिस्थितिक समाजों का संघ v. भारत संघ [अरुण मिश्रा, जे.]

58. मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट, 1971 का भी उल्लेख किया गया है, जो चिकित्सा पर भी एक दायित्व रखता है।

उचित अभिलेख रखने के लिए पेशेवर। 59. जब हम अधिनियम/नियमों के प्रावधानों के साथ प्रपत्र 'एफ' की जांच करते हैं और क्रमिक Nos.1 और 2 के संबंध में कोई विवाद नहीं हो सकता है जिसमें आनुवंशिक प्रयोगशाला का नाम और पता और इसकी पंजीकरण संख्या का प्रपत्र में उल्लेख किया जाना आवश्यक है क्योंकि यह आवश्यक है

अधिनियम की धारा 18 के तहत पंजीकरण हो। इसे लिपिकीय आवश्यकता नहीं कहा जा सकता है। रोगी का नाम और क्रम संख्या 3 पर उसकी उम्र भी बिल्कुल आवश्यक है ताकि उस व्यक्ति की पहचान की जा सके जो परीक्षण से गुजर रहा है और 35 वर्ष की आयु से पहले, इसे प्रदान किए गए अनुसार आयोजित नहीं किया जा सकता है। धारा 4 (3) (i) के तहत। यही धारा 4 की अनिवार्य आवश्यकता के अनुसार है। कानूनी प्रावधानों के अनुसार पति/पिता का नाम भी आवश्यक है।

जैसा कि धारा 4 (2) और 4 (3) में उल्लेख किया गया है, ऐसे कोई परीक्षण/प्रक्रियाएं नहीं की जा सकती हैं। इस प्रकार, धाराओं द्वारा और नियम 9 में क्या अनिवार्य है फॉर्म 'एफ' में उल्लेख किया गया है। चाहे आक्रामक हो या गैर-आक्रामक प्रक्रिया का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए और यदि किसी भी प्रयोगशाला परीक्षण की सिफारिश की गई है तो परिणाम के साथ इसका उल्लेख किया जाना चाहिए। फॉर्म 'एफ' के साथ संलग्न नोट में संकेतों की प्रतिनिधि सूची भी है जब गर्भावस्था के दौरान अल्ट्रासाउंड किया जा सकता है।

इस प्रकार, हालांकि यह प्रस्तुत करना कि फॉर्म 'एफ' लिपिकीय आवश्यकता है, याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा आग्रह किया गया है-सोसाइटी में दिखाई देता है

सबसे पहले दोष को जांच के योग्य माना जाता है, लेकिन बारीकी से जांच करने पर यह पाया जाता है कि यदि प्रपत्र में किसी भी जानकारी से बचा जाता है, तो इसके परिणामस्वरूप धारा 4 के प्रावधानों का घोर उल्लंघन होगा और परिणाम हो सकता है जो धारा 6 के तहत निषिद्ध है। इसे लिपिक [2019] 7 एस. सी. आर. का मामला नहीं कहा जा सकता है।

त्रुटि के रूप में डॉक्टर को प्रक्रिया शुरू करने के लिए पूर्व-आवश्यकताओं को पूरा करना पड़ता है यदि प्रसव पूर्व नैदानिक परीक्षण करने के लिए पूर्ववर्ती शर्तों का विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया जाता है, तो यह धारा 4 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन होगा। फॉर्म 'एफ' तैयार और हस्ताक्षरित होना चाहिए या तो स्त्री रोग विशेषज्ञ/चिकित्सा आनुवंशिकीविद्/रेडियोलॉजिस्ट/बाल रोग विशेषज्ञ/क्लिनिक/केंद्र/प्रयोगशाला के निदेशक। यदि फॉर्म 'एफ' में दिए गए संकेत और जानकारी प्रस्तुत नहीं की जाती है, तो यह मान लिया जाएगा कि परीक्षण/प्रक्रिया शुरू करने के लिए पूर्ववर्ती शर्त अनुपस्थित है। नैदानिक परीक्षण/प्रक्रिया क्यों की गई, यह पता लगाने के लिए फॉर्म 'एफ' के अलावा कोई अन्य बैरोमीटर नहीं है। यदि अन्य के अलावा ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी को प्रपत्र से अस्पष्ट या गायब रखा जाता है, तो यह अधिनियम के उद्देश्य और उसके तहत प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों को विफल कर देगा और

अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन की जांच करना असंभव हो जाएगा। प्रपत्र भरना लिपिकीय कार्य नहीं है, यह परीक्षण/प्रक्रिया शुरू करने के लिए पूर्ववर्ती शर्त है। याचिकाकर्ता की ओर से प्रस्तुत निवेदन के सभी उचित सम्मान के साथ-समाज कि यह एक लिपिकीय नौकरी है, पूरी तरह से आधारहीन है, लेकिन यह उस व्यक्ति का एक जिम्मेदार काम है जो है

अपेक्षित जानकारी भरने के लिए स्त्री रोग विशेषज्ञ/चिकित्सा आनुवंशिकीविद्/रेडियोलॉजिस्ट/बाल रोग विशेषज्ञ/क्लिनिक/केंद्र/प्रयोगशाला के निदेशक के रूप में ऐसा परीक्षण करना। यदि वह इसे अस्पष्ट रखता है, तो वह पूरी तरह से जानता है कि वह अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन कर रहा है और पूर्ववर्ती शर्तों के अस्तित्व के बिना परीक्षण कर रहा है जो मौजूद होने के लिए अनिवार्य हैं, वह प्रपत्र में ऐसी जानकारी भरे बिना परीक्षण/प्रक्रिया नहीं कर सकता है। यह सुनिश्चित करने का कोई अन्य तरीका नहीं है कि निर्धारित शर्तों को पूरा करने पर परीक्षण किया जाए। रिकॉर्ड के अलावा और कुछ नहीं है जिसे बनाए रखने की आवश्यकता है और जिसके आधार पर काउंटर चेक किया जा सकता है। अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन का पता लगाने के लिए कोई अन्य बैरोमीटर या मानदंड नहीं है। नियम 9 (4) में यह भी कहा गया है कि प्रत्येक आनुवंशिक क्लिनिक को फॉर्म 'एफ' भरना होगा जिसमें रोगी के विवरण के संबंध में जानकारी, संकेत के साथ रेफरल नोट्स और मामले के कागजात होंगे।

रोगी को भरने और संरक्षित करने की आवश्यकता होती है। फॉर्म 'एफ' गर्भावस्था के दौरान अल्ट्रासोनोग्राफी करने के लिए सूचक सूची देता है। फॉर्म ' एफ 'तकनीकी प्रकृति का होने के कारण अल्ट्रासोनोग्राफी के संचालन के कारणों में अंतर्दृष्टि देता है और अपूर्ण फॉर्म' एफ 'चिकित्सा व्यवसायी के खिलाफ संदेह की धारणा को बढ़ाता है। प्रपत्र 'एफ' के अभाव में, उपयुक्त अधिकारियों के पास उपयोग की निगरानी के लिए कोई उपकरण नहीं होगा।

अल्ट्रासाउंड मशीन और उस तकनीक के उपयोग को विनियमित करने में सक्षम नहीं होगा जो अधिनियम का उद्देश्य है।

60. उत्तरदाताओं की ओर से यह उचित रूप से तर्क दिया गया है कि अधिनियम के तहत निर्धारित रिकॉर्ड रखने के लिए अलग-अलग फॉर्म हैं और नियम वे महत्वपूर्ण और आपस में जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। इन अभिलेखों को केवल तभी बनाए रखना होता है जब गर्भवती महिला पर प्रक्रिया या परीक्षण किए जाते हैं या जब रोगी को बच्चे को गर्भ धारण करने के लिए गर्भधारण से पहले के नैदानिक उपकरणों का उपयोग करने की सलाह दी गई हो। भ्रूण के लिंग का पता लगाने या निर्धारित करने की क्षमता के साथ प्रक्रिया/परीक्षण की सलाह देने वाले आनुवंशिक परामर्श केंद्र के लिए यह आवश्यक है और किसी व्यक्ति को आनुवंशिक क्लिनिक/इमेजिंग सेंटर/अल्ट्रासाउंड क्लिनिक में भेजा जाता है।

रोग निदान के विवरण और व्यक्ति के प्रासंगिक चिकित्सा विवरण के साथ आनुवंशिक चिकित्सालय का विवरण दर्ज करना जिसमें रोगी को फॉर्म 'डी' के बिंदु 15 पर भेजा जाता है। तदनुसार, उपरोक्त संदर्भित प्रक्रिया का संचालन करने वाले आनुवंशिक क्लिनिक/इमेजिंग सेंटर/अल्ट्रासाउंड क्लिनिक को उस व्यक्ति के प्रासंगिक चिकित्सा रिकॉर्ड के साथ रेफरल पर्ची के साथ आनुवंशिक परामर्श केंद्र का नाम और पता दर्ज करना होगा, जिस पर प्रक्रिया/परीक्षण/तकनीक आयोजित की जाती है। उपरोक्त

61. सुश्री पिंकी आनंद, विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने एक कार्यान्वयन उपकरण के रूप में रिकॉर्ड रखने पर एक मामले के अध्ययन पर भरोसा किया है पानीपत में प्रभाकर अस्पताल। इस मामले में अस्पताल ने अपने केंद्र में किए गए आई. वी. एफ. की रिपोर्ट 10.10.2013 और उसके बाद के अनुस्मारकों पर आयोजित बैठक के बावजूद उपयुक्त प्राधिकरण को नहीं भेजी थी। तेरहवें अनुस्मारक दिनांक 27.11.2014 के बाद, 2.2.2015 पर अस्पताल को कारण बताएँ नोटिस जारी किया गया था। उपरोक्त केस स्टडी इस प्रकार हैः

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" इस अस्पताल के मामले में केंद्र में की गई आई. वी. एफ. की रिपोर्ट उपयुक्त प्राधिकरण को नहीं भेजी गई थी, बावजूद इसके कि 10.10.2013 पर बैठकें हुईं और 6.3.2014,14.3.2014,20.3.2014,21.3.2014,25.3.2014,28.3.2014,31.3.2014 और अंत में 27.11.2014 पर तेरहवें अनुस्मारक के साथ अनुस्मारक भेजे गए।

निरीक्षण के दौरान निम्नलिखित विसंगतियाँ पाई गईं

फॉर्म नं. 9338 , इन-विट्रो निषेचन (आई. वी. एफ.) किया गया था

ए।

बार-बार होने वाले इतिहास वाले 2 महिला बच्चों के साथ रोगी

4 गर्भपात।

बी। फॉर्म नं. 9700 , 8 बच्चियों के साथ महिला मिली

आईवीएफ।

सी। फॉर्म नं. 10385 , 7 बालिकाओं के साथ रोगी संतोष को आई. वी. एफ. प्राप्त हुआ लेकिन उसने एफ-फॉर्म में अनुभाग सी नहीं भरा। फॉर्म एफ में धारा सी आक्रामक प्रक्रियाओं के रिकॉर्ड से संबंधित है जिसके लिए सभी नैदानिक रिकॉर्ड की आवश्यकता होती है।

पुरुषों और महिलाओं पर की जाने वाली प्रक्रियाएँ जिनमें लिंग निर्धारण/चयन की क्षमता दर्ज की जानी चाहिए।

डी। फॉर्म नं. 10389 , 3 बच्चियों के साथ महिला मिली

आईवीएफ, फॉर्म एफ सेक्शन सी भरा नहीं गया है।

ई. फॉर्म नं. 9338 , महिला के 2 कन्याएँ और 6 बच्चे थे।

गर्भपात, और आईवीएफ प्राप्त किया।

एफ. फॉर्म नं. 9700 , 8 कन्याओं के साथ एक महिला प्राप्त हुई

आईवीएफ।

अस्पताल से पूछा गया था कि जिन रोगियों की बेटियाँ थीं, उन्हें आई. वी. एफ. क्यों कराया गया, जैसा कि अभिलेखों से स्पष्ट है। कई मामलों में यह स्पष्ट नहीं है कि नमूने दिल्ली और बॉम्बे क्यों भेजे गए थे। कई एफ रूपों में गलत फोन नंबर वाली कई महिला रोगियों का उल्लेख किया गया था। इसी तरह अन्य फॉर्म एफ में, गलत पहचान प्रमाण, पते का प्रमाण और कोई पहचान प्रमाण नहीं पाए गए। फॉर्म एफ के एक अन्य सेट में गलत प्रसूति और गर्भपात के इतिहास का उल्लेख किया गया था जैसा कि रोगियों से पुष्टि हुई थी।

रेफरल पर्ची और फॉर्म एफ पर अंतर इतिहास देखा गया। सहमति पत्र में कई रूपों में रोगी के हस्ताक्षर गायब पाए गए।

साक्षी डॉक्टर/काउंसलर फेडरेशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजिकल सोसाइटीज ऑफ इंडिया का हस्ताक्षर v. भारत संघ [अरुण मिश्रा, जे.]

आई. वी. एफ. रोगियों के सभी सहमति रूपों में गायब था। तदनुसार ए

अदालत में शिकायत दर्ज कराई गई है।

(जोर दिया गया)

62. यह प्रस्तुत किया जाता है कि अभिलेख रखने पर जानकारी प्रदान की जाती है

व्यक्तिगत रोगी जो संभावित रूप से लिंग चयन/निर्धारण तकनीकों से गुजर सकते थे, जो इस अधिनियम के तहत एक अपराध है। यदि अभिलेख रखने को अधिनियम की अनिवार्य आवश्यकता से कम या छूट दी जाती है, तो निदान तकनीकों के उपयोग की आड़ में लिंग निर्धारण और लिंग चयन में संभावित भागीदारी बेरोकटोक जारी रहेगी।

63. जिस तरह से अभिलेख के गैर-रखरखाव का उपयोग किया जा सकता है

अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए, उपरोक्त उदाहरण से स्पष्ट है। उपरोक्त तथ्यों का उल्लेख कारण बताओ नोटिस में किया गया है जो जारी किया गया था। कई फॉर्म 'एफ' में गलत फोन नंबर वाली महिला रोगियों का उल्लेख किया गया था। अन्य फॉर्म 'एफ' में गलत पहचान वाले मरीज, पते का प्रमाण और कोई पहचान प्रमाण नहीं मिला। फॉर्म 'एफ' के एक अन्य सेट में गलत प्रसूति और गर्भपात का इतिहास था

उल्लेख किया है। सहमति में रोगी का हस्ताक्षर भी गायब पाया गया। रूप। इस प्रकार, सूचना न भरने को लिपिकीय त्रुटि नहीं कहा जा सकता है, लेकिन यदि इसे अस्पष्ट रखा जाता है तो यह स्वयं ही अपराध को सुविधाजनक बनाता है। यह.

निश्चित रूप से अधिनियम के प्रावधानों का एक स्पष्ट और जानबूझकर उल्लंघन होगा ताकि उस शरारत को रोका जा सके जिसका उद्देश्य अभिलेख का रखरखाव करना है, धारा 4 और 5 द्वारा प्रपत्रों का विवरण भरना अनिवार्य है। यदि प्रपत्र नहीं भरा जाता है जो परीक्षण/प्रक्रियाएं शुरू करने के लिए अनिवार्य है, यदि ऐसी स्थिति मौजूद नहीं है, तो ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं की जा सकती है और प्रावधानों को कमजोर करना लैंगिक न्याय के खिलाफ होगा। यह समानता पैदा करने के लिए है कि प्रावधानों को लागू किया गया है न कि असमान लोगों के साथ समान व्यवहार किया जा रहा है। फॉर्म का रखरखाव न करना/सही चिकित्सा स्थिति को प्रतिबिंबित न करना अपराध है, इसका उल्लेख न करना भी अपराध होगा या इसे अस्पष्ट रखना होगा।

64. यह याचिकाकर्ता की ओर से इंगित किया गया था-सोसाइटी ने कुछ फाइल करके

उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा उनके विरुद्ध दायर आपराधिक मामलों के संबंध में शिकायतें उठाने वाले चिकित्सा व्यवसायियों के शपथ पत्र कुछ आधार। बेदखली भी दर्ज की गई है, लेकिन वे अधिनियम की कमी के कारण नहीं हैं। [2019] 7 एस. सी. आर. में शक्ति के इस तरह के प्रयोग के आरोप के आधार पर कानून के प्रावधान को निरस्त नहीं किया जा सकता है।

और तरीके से, विशेष रूप से जब 40 लाख 60 हजार लड़कियों को कहा गया था

लिंग चयनात्मक गर्भपात के परिणामस्वरूप जन्म के समय एनजी।

65. स्वैच्छिक स्वास्थ्य संगठन पंजाब बनाम। संघ का

, (2016) 10 एस. सी. सी. 265, इस न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी कीः

" 46. अब हम रिट याचिका (सिविल) में प्रार्थनाओं का विज्ञापन करेंगे।

एसोसिएशन (आई. एम. ए.)। यह तर्क दिया जाता है कि अधिनियम की धारा 3-ए, 4,5,6,7,16,17,20,23,25,27 और 30 और नियम 9 (4), 10 और फॉर्म "एफ" (फुट-नोट सहित), जो चिंता का विषय है। तत्काल रिट याचिका में, दुरुपयोग और गलत तरीके से किया जा रहा है

संबंधित अधिकारियों द्वारा व्याख्या की गई जिससे अनुचित कारण बनता है

पूरे देश में बड़े पैमाने पर और बहुत सारी विसंगतियां पाई गईं देश भर में डॉक्टरों द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड। हालांकि यह

यहाँ यह उल्लेख करना उचित है कि अधिकांश चूक किसके थे

तकनीकी प्रकृति के कारण वे केवल मामूली और लिपिकीय त्रुटियाँ थीं

प्रपत्र दाखिल करते समय कभी-कभी और अनजाने में किया गया कार्य

" एफ "। यह भी कहा गया है कि अधिनियम अपराधों को वर्गीकृत नहीं करता है।

और अधिनियम में प्रयुक्त उदार और अस्पष्ट शब्दावली के कारण, यह कार्यान्वयन अधिकारियों द्वारा दुरुपयोग के लिए खुला छोड़ दिया जाता है

डॉक्टरों के खिलाफ भी जमानती (तीन साल से दंडनीय) अपराध लिपिकीय त्रुटियों के मामलों में, उदाहरण के लिए एन. ए. का उल्लेख न करना।

(लागू नहीं) या फॉर्म "एफ" में किसी भी कॉलम को छोड़ना

खाली के रूप में चिंतित। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि उक्त निरंकुश

कार्यान्वयन प्राधिकरण के हाथों में शक्तियों के परिणामस्वरूप

इस कल्याणकारी कानून को एक कठोर नए तरीके में बदलना

रिश्वत की मांगों को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ कोई पूर्व मांग नहीं है धारा 17 के तहत अनिवार्य रूप से स्वतंत्र जांच

केवल यह कि के किसी भी प्रावधान के साथ कोई उल्लंघन अधिनियम की धारा 23 (1) के तहत दंडनीय अपराध होगा।

गैर-जमानती और गैर-शमनीय और इसके दुरुपयोग का ध्यान केवल यह सुनिश्चित करके रखा जा सकता है कि उपयुक्त प्राधिकरण प्रत्येक मामले/शिकायत के तथ्य पर अपना ध्यान केंद्रित करे और केवल एक प्रथम दृष्टया मामले की संतुष्टि, एक शिकायत दर्ज की जानी चाहिए बजाय प्रसूति और स्त्री रोग के उन्मूलन के

प्रत्येक मामले में यांत्रिक रूप से अभियोजन शुरू करना। इनके साथ

अनुमानों के अनुसार, यह उचित दिशानिर्देश तैयार करने के लिए प्रार्थना की गई है और सुरक्षा मानदंड, अपराधों के वर्गीकरण के लिए प्रावधान

साथ ही पी. सी. पी. एन. डी. टी. अधिनियम के दुरुपयोग को रोकने के लिए

कार्यान्वयन और इस धारा 6,23,27 को पढ़ने के लिए

पीसीपीएनडीटी अधिनियम। इसके अलावा, यह कुछ जोड़ने के लिए प्रार्थना की गई है

नियमों की धारा 7,17,23 और नियम 9 के प्रावधान/अपवाद।

कानून की प्रक्रिया में, व्यक्ति हमेशा कानूनी उपचार का लाभ उठा सकता है। जैसा कि हम पाते हैं, न तो अधिनियम की वैधता हुई है और न ही नियमों की।

विशेष रूप से रिट याचिका में हमला किया गया। जो प्रार्थना की गई है वह है

कुछ प्रावधानों को पढ़ना और कुछ अपवाद जोड़ना। हम.

आश्वस्त हैं कि वर्तमान प्रकृति के कथन

इस तरह की प्रार्थनाओं के साथ मनोरंजन नहीं किया जा सकता है और तदनुसार, हम

हस्तक्षेप करने से इनकार करें। "

(जोर दिया गया)

66. इस न्यायालय का जोर उचित रखरखाव पर है

डी. एस. सेंटर फॉर इन्क्वायरी इनटू हेल्थ एंड एलाइड थीम्स (सी. ई. एच. ए. टी.) आयन ऑफ इंडिया, (2001) 5 एस. सी. सी. 577 में, इस न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी कीः

" 3. यह स्पष्ट है कि काफी हद तक पी. एन. डी. टी. अधिनियम नहीं है।

केंद्र सरकार या राज्य द्वारा लागू किया गया सरकारें। इसलिए, याचिकाकर्ताओं को संपर्क करने की आवश्यकता है

भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत यह न्यायालय। प्रथम

ऐसा प्रतीत होता है कि पी. एन. डी. टी. अधिनियम द्वारा अधिनियमित किए जाने के बावजूद पाँच साल पहले संसद में न तो राज्य सरकारें थीं और न ही

केंद्र सरकार ने इसके लिए उचित कार्रवाई की है

कार्यान्वयन। इसलिए, संबंधित पर विचार करने के बाद

इस मामले की सुनवाई के समय की गई प्रस्तुतियाँ, जैसा कि सुझाव दिया गया है भारत के विद्वान महान्यायवादी श्री सोली जे. सोराबजी द्वारा,

निम्नलिखित निर्देश विभिन्न प्रावधानों के आधार पर जारी किए जाते हैं।

पी. एन. डी. टी. अधिनियम के उचित कार्यान्वयन के लिएः II. केंद्रीय पर्यवेक्षी बोर्ड (सी. एस. बी.) को निर्देश

1. *** *

2. ***

3. सी. एस. बी. सभी राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के उपयुक्त प्राधिकरणों को निर्देश जारी करेगा।

[2019] 7 एस. सी. आर. पर रिपोर्ट देते हुए सी. एस. बी. को त्रैमासिक विवरणी प्रस्तुत करना।

अधिनियम का कार्यान्वयन और कार्यकरण। ये रिटर्न आपस में मिलने चाहिए।

अन्य में इस बारे में विशिष्ट जानकारी होती हैः ((i) अधिनियम की धारा 3 में निर्दिष्ट निकायों का सर्वेक्षण;

((iv) उपयुक्त प्राधिकारियों द्वारा प्राप्त शिकायतें अधिनियम और उसके अनुसार की गई कार्रवाई;

(v) आयोजित जागरूकता अभियानों की संख्या और प्रकृति और परिणाम वहाँ से बहते हैं। "

67. स्वैच्छिक स्वास्थ्य संगठन पंजाब बनाम। संघ का

, (2013) 4 एस. सी. सी. 1, न्यायालय ने डी के रखरखाव के मुद्दे पर विचार किया और निम्नलिखित निर्देश जारी किएः

केंद्र, आनुवंशिक प्रयोगशालाएं और आनुवंशिक चिकित्सालय, बांझपन चिकित्सालय, गर्भाधान पूर्व और प्रसव पूर्व निदान का उपयोग करते हुए स्कैन केंद्र आदि

तकनीकों और प्रक्रियाओं को सभी रिकॉर्ड और सभी को बनाए रखना चाहिए।

उसी की डुप्लिकेट प्रतियां जिला अधिकारियों को भेजी जाएं संबंधित, नियमों के नियम 9 (8) के अनुसार।

नियमों के तहत प्रदान किए गए अन्य वैधानिक प्रपत्र और यदि ये प्रपत्र ठीक से रखरखाव नहीं किया जाता है, उचित कार्रवाई की जानी चाहिए

संबंधित अधिकारियों द्वारा "।

68. गुजरात उच्च न्यायालय ने सुओ मोटू बनाम. गुजरात राज्य,

9) 1 गुजरात लॉ रिपोर्टर 64 ने इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की

अभिलेख का रखरखाव और निम्नानुसार अवलोकन किया गयाः

" 5. उपरोक्त प्रावधानों को एक साथ पढ़ने से स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है

सख्त और सतर्क व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए एक अच्छी तरह से बुनी हुई विधायी योजना

महिलाओं के खिलाफ निर्देशित अधिनियम के प्रावधानों का प्रवर्तन

भ्रूण हत्या और प्रसव पूर्व नैदानिक तकनीकों का दुरुपयोग।

***

***

*** भारत के ऑब्स्टेट्रिक्स और स्त्री-पारिस्थितिकीय आई. ई. टी. आई. का युग v. भारत संघ [अरुण मिश्रा, जे.]

7. जैसा कि पहले देखा गया है, अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियम प्रासंगिक कानूनी प्रावधानों के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए एक विस्तृत योजना प्रदान करते हैं और अभिलेखों के रखरखाव और संरक्षण के लिए विस्तृत प्रावधानों द्वारा सख्त और पूर्ण अनुपालन में संभावित खामियों को दूर करने की मांग की जाती है। अधिनियम में निहित प्रतिबंधों और निषेधाज्ञाओं को सामान्य रूप से और धाराओं में पूरी तरह से लागू करने के लिए। 4 , 5 और 6 विशेष रूप से, प्रसव पूर्व नैदानिक तकनीक के उपयोग को विनियमित करने के लिए, गर्भवती महिला और प्रसव पूर्व नैदानिक परीक्षण और प्रक्रियाओं का संचालन करने वाले व्यक्ति को कानूनी और अन्य परिणामों के बारे में जागरूक करने के लिए और लिंग निर्धारण को प्रतिबंधित करने के लिए, नियम विस्तृत प्रपत्रों को निर्धारित करते हैं जिनमें रिकॉर्ड बनाए रखना होता है। इस प्रकार, नियम बनाए जाते हैं और प्रपत्र अधिनियम की सहायता के लिए निर्धारित किए जाते हैं और वे अधिनियम के कार्यान्वयन और अपराधियों के अभियोजन के लिए इतने महत्वपूर्ण हैं कि ऐसे रिकॉर्ड का कोई भी अनुचित रखरखाव स्वयं किया जाता है।

धाराओं के प्रावधानों के उल्लंघन के बराबर। 5 और 6, उप-धारा के परंतुक के आधार पर। (3) सेक. 4 अधिनियम से। हालाँकि, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि परंतुक केवल अति संक्रमण के मामलों में लागू होगा।

एक गर्भवती महिला पर सोनोग्राफी की गई। और निर्धारित अभिलेख में किसी भी कमी या अशुद्धि के बराबर होगी

निर्धारित अभिलेख को बनाए रखना भी धारा द्वारा लगाए गए निषेध का उल्लंघन होगा। 6 आनुवंशिक परामर्श केंद्र, आनुवंशिक प्रयोगशाला या आनुवंशिक चिकित्सालय के खिलाफ और इस तरह का खुलासा करें एस. सी. के तहत कार्यवाही के लिए क्लिनिक। 20 अधिनियम से। जहाँ, उप-धारा के परंतुक के मानित प्रावधानों के आधार पर। (3) सेक. 4 , धाराओं के प्रावधानों का उल्लंघन। 5 या 6 कानूनी रूप से [2019] 7 एस. सी. आर. माना जाता है।

और धारा के तहत कार्रवाई करने का प्रस्ताव है। 20 , गर्भवती महिला पर अल्ट्रासोनोग्राफी करने वाले व्यक्ति को भी यह साबित करने का अवसर दिया जाना चाहिए कि अनुभाग के प्रावधान हैं। 5 या प्रक्रिया के संचालन में उनके द्वारा 6 का उल्लंघन नहीं किया गया था। इस प्रकार, किसी भी अशुद्धि या कमी के स्थापित होने के बाद, निर्धारित रिकॉर्ड को बनाए नहीं रखने का आरोप उस व्यक्ति पर पड़ता है, और उसे यह साबित करने का अवसर मिलता है कि सेक के प्रावधान हैं। 5 और 6 का किसी भी मामले में उल्लंघन नहीं किया गया था। हालाँकि यह स्पष्ट रूप से एक भारी बोझ है, लेकिन निर्धारित प्रपत्रों में अभिलेख के रखरखाव के संबंध में नियमों के महत्व और यदि प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं का उल्लंघन किया गया तो अधिनियम और इसके उद्देश्य की संभावित विफलता को देखते हुए यह कानूनी, उचित और उचित है। उप-धारा का परंतुक। (3) सेक. 4 निर्धारित तरीके से अभिलेख के रखरखाव के बारे में स्पष्ट है कि यह एक स्वतंत्र अपराध है जो धाराओं के उल्लंघन के बराबर है। 5 या 6 और इसलिए, शिकायत में आवश्यक रूप से धाराओं के प्रावधानों के उल्लंघन का आरोप लगाने की भी आवश्यकता नहीं है। 5 या अधिनियम के 6. धाराओं के प्रावधानों के उल्लंघन का एक खंडन योग्य अनुमान। 5 या 6 में कमी या अशुद्धता के प्रमाण पर उत्पन्न होगा

निर्धारित तरीके से अभिलेख को बनाए रखना और उन प्रावधानों के साथ समानता दंड के साथ-साथ अभियुक्त व्यक्ति द्वारा उनके उल्लंघन को गलत साबित करने के लिए उत्पन्न होगी। कि इन प्रावधानों की योजना होने के नाते, रखरखाव में अशुद्धता या कमी के आधार पर शिकायत को रद्द करना पूरी तरह से अनुचित होगा। केवल इस आधार पर कि अनुच्छेदों का उल्लंघन किया गया है, निर्धारित अभिलेख का। 5 या अधिनियम के 6 को शिकायत में आरोपित या बनाया नहीं गया था। यह अपेक्षा करना या अनुमति देना भी अनुचित और समय से पहले होगा

धाराओं के प्रावधानों को दिखाने या साबित करने के लिए प्रासंगिक रिकॉर्ड। 5 या 6 का उसके द्वारा उल्लंघन नहीं किया गया था, इससे पहले कि अभियोजन एजेंसी द्वारा अदालत में या उससे पहले कमी या अशुद्धि स्थापित की गई थी अन्य कार्यवाहियों में संबंधित प्राधिकारी।

69. इस अधिनियम को संवैधानिकता का अनुमान प्राप्त है। हम संवैधानिक सिद्धांतों का कोई संबंध नहीं पाते हैं। महिला भ्रूण हत्या की समस्या और सामान्य ज्ञान, रिपोर्ट और इतिहास के मामले

उस विधान का आधार, जिसके प्रावधानों को किसी भी तरह से समान या मनमाना नहीं कहा जा सकता है। नमित शर्मा बनाम। संघ, (2013) 1 एस. सी. सी. 745, इस न्यायालय ने निम्नानुसार निर्धारित किया है:

ऑब्स्टेट्रिक्स और गाइनेकोलोजिकल का संघ भारत के समाज बनाम। भारत संघ [अरुण मिश्रा, जे.]

" 18. इस न्यायालय द्वारा अपने विभिन्न निर्णयों में किसी प्रावधान की संवैधानिकता पर निर्णय लेने के सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। इन निर्णयों का उल्लेख करते हुए और विशेष रूप से राम कृष्ण डालमिया बनाम। न्यायमूर्ति एस. आर. तेंदुलकर, ए. आई. आर. 1958 एस. सी. 538 और बुधन चौधरी बनाम। बिहार राज्य, ए. आई. आर. 1955 एस. सी. 191, लेखक जगदीश स्वरूप ने अपनी पुस्तक भारतीय संविधान (दूसरा संस्करण, 2006) में अदालतों द्वारा ध्यान में रखे जाने वाले सिद्धांतों का उल्लेख किया है और उन्हें निम्नानुसार विस्तृत किया है: (राम कृष्ण डालमिया मामला, आकाशवाणी पीपी। 547-48 , पैरा 11)

" (अ) * *

(ख) कि हमेशा के पक्ष में एक धारणा है

किसी अधिनियम की संवैधानिकता और भार उस पर है जो यह दिखाने के लिए उस पर हमला करता है कि संवैधानिक सिद्धांतों का स्पष्ट उल्लंघन हुआ है।

(ग) यह मान लेना चाहिए कि विधायिका अपने लोगों की आवश्यकता को समझती है और सही ढंग से समझती है, कि उसके कानून अनुभव द्वारा प्रकट की गई समस्याओं के लिए निर्देशित हैं और यह कि

भेदभाव पर्याप्त आधारों पर आधारित होते हैं;

(घ) * *

(ङ) संवैधानिकता की धारणा को बनाए रखने के लिए न्यायालय सामान्य ज्ञान के मामलों, सामान्य रिपोर्ट के मामलों, समय के इतिहास पर विचार कर सकता है और उन तथ्यों की हर स्थिति को ग्रहण कर सकता है जिनकी उस समय कल्पना की जा सकती है।

कानून बनाना; और

***

70. याचिकाकर्ता ने यह नहीं दिखाया है कि फॉर्म में कौन सी प्रविष्टि अनिवार्य नहीं है। चूँकि प्रविष्टियाँ अनिवार्य हैं और एक परीक्षण/प्रक्रिया शुरू करने के लिए अनिवार्य हैं, यह दावा कि आवश्यक जानकारी प्रदान नहीं करके उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है, स्पष्ट नहीं है और इसमें कोई सार नहीं है।

71. इस अधिनियम का उद्देश्य भारत में कन्या भ्रूण हत्या की शरारत और घटते लिंग अनुपात को रोकना है। जब अधिनियम और नियमों और शरारत का उद्देश्य ऐसा है जिसे वह रोकना चाहता है, तो संविधान के भाग III के तहत अधिकारों का उल्लंघन नहीं पाया जाता है। यह न्यायालय हमरद दावा बनाम। भारत संघ, ए. आई. आर. 1960 एस. सी. 554 ने निम्नलिखित सिद्धांत निर्धारित किए हैं:

19] 7 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

भाग में किसी भी लेख के उल्लंघन के आधार पर चुनौती दी गई संविधान का तीसरा, इसकी वास्तविक प्रकृति और चरित्र का पता लगाना आवश्यक हो जाता है, यानी इसकी विषय वस्तु, जिस क्षेत्र में इसे संचालित करने का इरादा है, उसके उद्देश्य और इरादे को निर्धारित करना होगा। ऐसा करने के लिए इसे लेना वैध है।

सभी कारकों पर विचार करें जैसे कि विधान का इतिहास, उसका उद्देश्य, आसपास की परिस्थितियाँ और स्थितियाँ, जिस शरारत को वह दबाने का इरादा रखता था, उसके लिए उपाय

बीमारी जिसे विधायिका ने ठीक करने का संकल्प लिया और उपचार का सही कारण; बंगाल इम्युनिटी कंपनी। लिमिटेड वी. बिहार राज्य, 1955 2 एस. सी. आर. 603 पीपी. 632 , 633 ((एस) ए. आई. आर. 1955 एस. सी. 661 पी. 674) ; आर. एम. डी. चमरबागवाला बनाम भारत संघ, 1957 एस. सी. आर. 930 पी. 936 : ((एस) ए. आई. आर. 1957 एस. सी. 628 पी. 631) ; महांत मोती दास बनाम। एस. पी. साही, ए. आई. आर. 1959 एस. सी. 942 पी. 948 . 9. एक अन्य सिद्धांत जिसे किसी कानून की संवैधानिकता की जांच करते समय ध्यान में रखना पड़ता है, वह यह है कि यह माना जाना चाहिए कि विधायिका लोगों की आवश्यकता को समझती है और उसकी सराहना करती है और उसके द्वारा अधिनियमित कानून उन समस्याओं के लिए निर्देशित होते हैं जो अनुभव से प्रकट होती हैं और विधायिका में इकट्ठे हुए निर्वाचित प्रतिनिधि ऐसे कानून बनाते हैं जिन्हें वे उस उद्देश्य के लिए उचित मानते हैं जिसके लिए उन्हें अधिनियमित किया जाता है।

इसलिए, अनुमान किसी अधिनियम की संवैधानिकता के पक्ष में है। चरणजीत लाल बनाम। भारत संघ, 1950 एस. सी. आर. 869: (ए. आई. आर. 1951 एस. सी. 41); बॉम्बे राज्य बनाम। एफ. एन. बुलसारा, 1951 एस. सी. आर. 682 पी. 708 : (ए. आई. आर. 1951 एस. सी. 318 पी. 326); ए. आई. आर 1959 एस. सी. 942 "।

72. जिस शरारत को दूर करने की मांग की गई है वह गंभीर है और लड़की के जन्म को रोकने की चुनौती का सामना करने का प्रयास किया जा रहा है।

समाज को पुरुष बच्चे को प्राथमिकता देनी चाहिए या नहीं, यह गंभीर चिंता का विषय है। यह अनुच्छेद 39 ए का उल्लंघन है और अनुच्छेद 51 ए (ई) के जनादेश की अनदेखी करता है जो नागरिकों पर महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं को त्यागने का कर्तव्य डालता है। लिंग चयन कब होता है धारा 6 के प्रावधानों के आधार पर निषिद्ध, अधिनियमों में अन्य अंतर्निहित प्रावधान शरारत को रोकने के लिए स्पष्ट रूप से उनके

संवैधानिकता को बरकरार रखा जाना चाहिए।

73. एम. टी. पी. अधिनियम के प्रावधान राज बोकारिया बनाम में दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष विचार के लिए सामने आए। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया

(डब्ल्यू. पी. (सी) 2010 का No.795), यह देखा गयाः

ऑब्स्टेट्रिक्स और गाइनेकोलॉजिकल का युगआई. ई. टी. आई. एस. ऑफ इंडिया बनाम भारत संघ [अरुण मिश्रा, जे.]

" 11. एम. टी. पी. अधिनियम की धारा 5 को पढ़ने पर ऐसा प्रतीत होता है कि

अदालत ने कहा कि चिकित्सा व्यवसायी द्वारा बनाई गई राय

निर्धारित प्रारूप। वहाँ कोई होने का सवाल ही नहीं था चिकित्सा की ऐसी राय बनाने के बारे में जो कुछ भी हो, उसे दर्ज करें।

अभ्यासी। सुश्री आचार्य द्वारा दिया गया तर्क कि

आपात स्थिति की स्थिति में ऐसी रिकॉर्डिंग के लिए कोई समय नहीं हो सकता है

कार्यकाल से पहले जाने का बहुत सचेत निर्णय लिया गया था 6 अक्टूबर 2003 के आसपास श्रम का प्रलोभन जब

मृतक को प्रतिवादी संख्या 3 अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यहाँ तक कि

उस समय याचिकाकर्ता की राय होनी चाहिए थी रिकॉर्ड किया गया। प्री-टर्म इंड्यूस्ड डिलीवरी 8 अक्टूबर को हुई थी

2003. इसलिए, याचिकाकर्ता के लिए पर्याप्त समय था धारा 5 (1) द्वारा अनिवार्य रूप से अपेक्षित उसकी राय दर्ज करें। संदर्भों में

विनियम, 2003 चिकित्सा व्यवसायी को अपनी राय दर्ज करनी होती है प्रपत्र I में आधार दिखाने के लिए अभिलेखों का गैर-रखरखाव

जिसे एक पूर्व-अवधि प्रलोभन के लिए जाने के लिए एक राय बनाई गई थी

एक मामले में जहां गर्भावस्था वास्तव में 20 वें सप्ताह से परे है

एक बहुत ही गंभीर चूक। इसके लिए कोई बहाना नहीं हो सकता है

संदर्भ के साथ खुद का बचाव करने की मांग करने वाला चिकित्सक

एम. टी. पी. अधिनियम की धारा 5 का कोई रिकॉर्ड नहीं रखना

धारा 5 (1) के संदर्भ में राय का गठन

केवल उपरोक्त कारक ही घोर लापरवाही को प्रदर्शित करने के लिए पर्याप्त है। याचिकाकर्ता की ओर से "।

(जोर दिया गया)

74. याचिकाकर्ता की ओर से-सोसायटी, निर्भरता रखी गई है

डिंग मेन्स रिया ऑन अरुण भंडारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (2013) सी. 801, जिसमें न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी कीः

" 22. जी. वी. राव बनाम एल. एच. वी. प्रसाद, (2000) 3 एस. सी. सी. 693, यह न्यायालय

उन्होंने इस प्रकार कहा हैः (एससीसी पीपी। 696-97 , पैरा 7)

" 7. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, धारा 415 के दो भाग हैं। जबकि

पहला भाग, व्यक्ति को 'बेईमानी से' या 'धोखाधड़ी से' करना चाहिए

शिकायतकर्ता को किसी भी संपत्ति को देने के लिए प्रेरित करें; दूसरे [2019] 7 एस. सी. आर. में।

भाग, व्यक्ति को जानबूझकर शिकायतकर्ता को प्रेरित करना चाहिए

किसी काम को करें या छोड़ दें। इसका मतलब है, पहले भाग में, प्रलोभन

बेईमानी या धोखाधड़ी होनी चाहिए। दूसरे भाग में,

प्रलोभन जानबूझकर होना चाहिए। जैसा कि इस न्यायालय ने कहा है कि

जसवंतराई मणिलाल अखाने बनाम। बॉम्बे राज्य, ए. आई. आर. 1956

एस. सी. 575, एक दोषी इरादा धोखाधड़ी के अपराध का एक अनिवार्य घटक है। इसलिए, धोखाधड़ी के अपराध के लिए किसी व्यक्ति को दोषी ठहराने के लिए, उस व्यक्ति की ओर से 'पुरुष अधिकार' स्थापित किया जाना चाहिए। यह महादेव में भी देखा गया था।

प्रसाद वी. डब्ल्यू. बी. राज्य, ए. आई. आर. 1954 एस. सी. 724, कि

धोखा देने का अपराध, धोखा देने का इरादा उस समय अस्तित्व में होना चाहिए जब प्रलोभन दिया गया था।

उपरोक्त निर्णय से कोई पोषण नहीं लिया जा सकता है क्योंकि

जानकारी को खाली रखना निश्चित रूप से अधिनियम का उल्लंघन है और परीक्षण करने के लिए बहुत बुनियादी बुनियादी आवश्यकता है। इस प्रकार, जब फॉर्म नहीं भरा गया है, तो जाहिर है कि यह कृत्य बेईमान, धोखाधड़ी है और इसे जानबूझकर भी कहा जा सकता है। इस तरह के मामले को लिपिक में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है।

त्रुटि।

75. डॉ. सुभाष काशीनाथ महाजन बनाम में इस न्यायालय के निर्णय पर भी रिलायंस को रखा गया है। महाराष्ट्र राज्य, (2018) 6 एस. सी. सी. 454, जिसमें इस न्यायालय ने कहा कि न्यायालय को अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत अभियुक्त की स्वतंत्रता के अधिकार को संतुलित करना है, जिसे केवल न्यायपूर्ण, निष्पक्ष और उचित प्रक्रिया द्वारा लिया जा सकता है और पुलिस द्वारा शक्ति के दुरुपयोग और एक नागरिक के साथ अन्याय को रोका जा सकता है। इस प्रकार, अनुच्छेद 14 और 21 के अधिदेश को पूरा करने के लिए कुछ फिल्टरों को शामिल करने की आवश्यकता थी। मूल और साथ ही प्रक्रियात्मक कानूनों को अनुच्छेद 14 और 21 के अनुरूप होना चाहिए। अनुच्छेद 21 के तहत कानून द्वारा स्थापित अभिव्यक्ति प्रक्रिया का तात्पर्य न्यायपूर्ण, निष्पक्ष और उचित प्रक्रिया से है। न्यायालय उद्देश्यपूर्ण व्याख्या करे और आनुपातिकता के सिद्धांत पर विचार करे। इस न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी की हैः

" 12. विद्वान न्यायमित्र ने प्रस्तुत किया कि अत्याचार अधिनियम की योजना के तहत, कई अपराध पूरी तरह से इस पर निर्भर हो सकते हैं -

हो सकता है कि कोई अन्य मूर्त सामग्री न हो। एक तरफा संस्करण, मुकदमे से पहले, निर्दोषता की धारणा को विस्थापित नहीं कर सकता है। इस तरह संस्करण कभी-कभी स्व-सेवारत और बाहरी कारण से हो सकता है। एक अप्रमाणित एकतरफा संस्करण पर एक व्यक्ति की स्वतंत्रता को खतरे में डालना, ऑब्स्टेट्रिक्स और स्त्री-पारिस्थितिक का युग

आई. ई. टी. आई. एस. ऑफ इंडिया बनाम भारत संघ [अरुण मिश्रा, जे.]

बिना किसी सत्यापन या ठोस सामग्री के, संविधान के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों के खिलाफ है। किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता छीनने से पहले, निष्पक्ष, उचित और न्यायपूर्ण प्रक्रिया होनी चाहिए। सी. आर. पी. सी. की धारा 41 (1) (बी) का उल्लेख करते हुए यह प्रस्तुत किया गया था कि गिरफ्तारी केवल तभी की जा सकती है जब "विश्वसनीय" जानकारी हो और केवल तभी जब पुलिस अधिकारी के पास "विश्वास करने का कारण" हो कि अपराध किया गया था और ऐसी गिरफ्तारी आवश्यक थी। अतः गिरफ्तारी की शक्ति का प्रयोग केवल किया जाना चाहिए। धारा 41 और 41-ए सी. आर. पी. सी. के तहत अभिप्रेत सुरक्षा उपायों का पालन करने के बाद। यह प्रस्तुत किया गया था कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 में "विश्वास करने का कारण" अभिव्यक्ति को आई. पी. सी. की धारा 26 और उक्त अभिव्यक्ति की व्याख्या करने वाले निर्णयों के आलोक में पढ़ा जाना चाहिए। उक्त अभिव्यक्ति संदेह के बराबर नहीं थी। इस संबंध में ज्योति प्रसाद बनाम का संदर्भ दिया गया है। हरियाणा राज्य, 1993 पूरक (2) एस. सी. सी. 497, बदन सिंह बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य, 2001 एस. सी. सी. ऑनलाइन ऑल 973, आद्री धरण दास बनाम। राज्य डब्ल्यू. बी., (2005) 4 एस. सी. सी. 303, टाटा केमिकल्स लिमिटेड बनाम। कॉम. सीमा शुल्क विभाग, (2015) 11 एस. सी. सी. 628 और गंगा सरन एंड संस (पी) लिमिटेड बनाम। सी. आई. टी. (1981) 3 एस. सी. सी. 143। वर्तमान संदर्भ में, अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत अभियुक्त की स्वतंत्रता के अधिकार को संतुलित करने के लिए, जिसे केवल न्यायपूर्ण, निष्पक्ष और उचित प्रक्रिया द्वारा छीन लिया जा सकता है और पुलिस द्वारा शक्ति के दुरुपयोग और एक नागरिक के साथ अन्याय को रोकने के लिए, गिरफ्तारी के अधिकार का प्रयोग संविधान के अनुच्छेद 141 के साथ पठित अनुच्छेद 32 के तहत इस न्यायालय द्वारा दिशानिर्देशों के माध्यम से उपयुक्त रूप से विनियमित किया जाना आवश्यक था। कानून के शासन को मजबूत करने के लिए अनुच्छेद 14 और 21 के अधिदेश को पूरा करने के लिए कुछ फिल्टरों को शामिल करने की आवश्यकता थी।

***

***

**

*

31. हम, शुरुआत में, इस न्यायालय के उस अधिकार क्षेत्र को लागू करने के लिए उचित आदेश या निर्देश जारी करने के लिए देख सकते हैं।

मौलिक अधिकार संविधान की एक बुनियादी विशेषता है। संविधान के अंतिम व्याख्याकार के रूप में इस न्यायालय को संवैधानिक अधिकारों और मूल्यों को बनाए रखना है। अनुच्छेद 14,19 और 21 का प्रतिनिधित्व करते हैं

मूलभूत मूल्य जो कानून के शासन का आधार बनते हैं। उक्त अधिकारों की सामग्री की व्याख्या इस तरह से की जानी चाहिए जो नागरिकों को उक्त अधिकारों का आनंद लेने में सक्षम बनाता है। समानता और जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार को किसी भी अनुचित प्रक्रिया से संरक्षित किया जाना चाहिए, भले ही वह विधायिका द्वारा अधिनियमित हो। मूल और साथ ही प्रक्रियात्मक कानूनों को अनुच्छेद 14 और 21 के अनुरूप होना चाहिए।

19] 7 एस सी आर।

उक्त अधिकारों के किसी भी निरसन को इस न्यायालय द्वारा निरस्त किया जाना चाहिए। उचित आदेशों या निर्देशों द्वारा। विधायिका की शक्ति है

मौलिक अधिकारों के अनुरूप प्रयोग किया जाए।

किसी कानून का प्रवर्तन भी इसके अनुरूप होना चाहिए मौलिक अधिकार। निस्संदेह, इस न्यायालय का अधिकार क्षेत्र है -

किसी के खिलाफ जीवन और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों को लागू करना

कार्यकारी या विधायी कार्रवाई। अभिव्यक्ति "प्रक्रिया"

अनुच्छेद 21 के तहत "कानून द्वारा स्थापित" का तात्पर्य न्यायपूर्ण, निष्पक्ष और उचित है।

प्रक्रिया।

***

***

***

53. यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि एक क़ानून के संदर्भ में पढ़ा जाना है

पृष्ठभूमि और उसका उद्देश्य। शाब्दिक व्याख्या के बजाय,

न्यायालय, वर्तमान संदर्भ में, उद्देश्यपूर्ण व्याख्या को प्राथमिकता दे सकता है।

कानून के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए। आनुपातिकता का सिद्धांत अच्छा है

अनुच्छेद 14 और 21 के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए जाना जाता है। एक प्रक्रियात्मक

नागरिक की स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाले दंडात्मक प्रावधान को सुसंगत रूप से पढ़ा जाना चाहिए।

निष्पक्षता और तर्कसंगतता की अवधारणा के साथ।

(जोर दिया गया)

उपरोक्त निर्णय से कोई पोषण नहीं लिया जा सकता है क्योंकि

अधिनियम के तहत प्रक्रिया न केवल धारा 21 और नियम 19 के तहत अपीलों की सुरक्षा के साथ कानून की उचित प्रक्रिया है, बल्कि धारा 16 ए में एक राज्य पर्यवेक्षी बोर्ड है। बहु-सदस्य का संविधान

धारा 17 (3) (ए) और सलाहकार समिति में उपयुक्त प्राधिकरण प्रदान किया गया है जैसा कि धारा 17 (6) में प्रदान किया गया है जो फिर से एक बहु-सदस्य समिति भी है। सलाहकार समिति को अपने कार्यों के निर्वहन में उपयुक्त प्राधिकरण की सहायता और सलाह देनी होती है। इस प्रकार, अधिनियम और नियमों में आंतरिक सुरक्षा उपाय प्रदान किए गए हैं जो इसके अनुरूप हैं - अनुच्छेद 14 और 21।

76. रिलायंस को ज्ञान कौर बनाम पर भी रखा गया है। की स्थिति

पंजाब, (1996) 2 एस. सी. सी. 648, जिसमें इस न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के दायरे में मरने के अधिकार के प्रावधानों पर विचार किया। चर्चा करते हुए

उपरोक्त, इस न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी की हैः

" 43. चिकित्सक-सहायता प्राप्त आत्महत्या के मामलों में भी यह सावधानी है

यह इंगित करने के लिए पर्याप्त है कि उस श्रेणी के बाहर सहायता प्राप्त आत्महत्याएँ

मौलिक के बहिष्कार का दावा करने का कोई तर्कसंगत आधार नहीं है जीवन की पवित्रता के सिद्धांत।

ओब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजिकल के विघटन पर हमला करने के लिए दिए गए कारणभारत के शहर बनाम। भारत संघ [अरुण मिश्रा, जे.]

आत्महत्या के प्रयास को दंडित करने वाला प्रावधान उपलब्ध नहीं है आत्महत्या या आत्महत्या का प्रयास करने वाला। आत्महत्या के लिए उकसाना

या आत्महत्या का प्रयास एक विशिष्ट अपराध है जो अधिनियमित पाया जाता है।

यहां तक कि उन देशों के कानून में भी जहां आत्महत्या का प्रयास नहीं किया गया है

दंडनीय बनाया गया। आई. पी. सी. की धारा 376 एक विशिष्ट अपराध को अधिनियमित करती है जो

आई. पी. सी. की धारा 309 से स्वतंत्र रह सकते हैं। विद्वान। महान्यायवादी के साथ-साथ दोनों विद्वान न्यायमित्र ठीक कहते हैं।

आई. पी. सी. की धारा306 की संवैधानिक वैधता का समर्थन किया।

(जोर दिया गया)

77. सुब्रमण्यम स्वामी बनाम। भारत संघ (2016) 7 एस. सी. सी.

यह देखा गया कि प्रतिबंध जो आवश्यकता से परे है

एल. आई. सी. ब्याज को उचित प्रतिबंध नहीं माना जा सकता है और

रूढ़िवादी। समान तर्कसंगतता एक स्थिर अवधारणा नहीं है। लेख

और 19 अनुच्छेद 21 का हिस्सा हैं। किसी प्रावधान का दुरुपयोग या इसकी संभावना आई. पी. सी. की धारा 499 को असंवैधानिक घोषित करने का कोई आधार नहीं है। अगर

कानून के प्रावधान का दुरुपयोग या दुरुपयोग किया जाता है, यह विधानमंडल के लिए है

इसे समाप्त करें, संशोधित करें या निरस्त करें।न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी की है:

" 9.3 . आई. पी. सी. की धारा 499 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन करती है। अनुच्छेद द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार पर गंभीर अवरोध

19 (1) (ए) और इसलिए, एक उचित प्रतिबंध के रूप में नहीं माना जा सकता है

एक लोकतांत्रिक गणराज्य में। एक प्रतिबंध जो इससे परे जाता है

जनहित की आवश्यकता को उचित नहीं माना जा सकता है।

प्रतिबंध और मनमाना होगा। इसके अलावा, जब प्रावधान यहाँ तक कि एक अपराध के रूप में सच बोलने की हद तक जाता है

कारावास से दंडनीय, यह घोषित किए जाने के योग्य है

अनुच्छेद 51-ए (बी) के तहत जो राष्ट्रीय संघर्ष से जुड़ा है आज़ादी के लिए।
अभियुक्त की अतिरिक्त आवश्यकता

साबित करें कि उनके द्वारा दिया गया बयान जनता की भलाई के लिए था

अनुचित और तर्कसंगतता की सीमाओं से परे यात्रा करता है

क्योंकि "सार्वजनिक भलाई" शब्द काफी अस्पष्ट हैं क्योंकि वे नहीं हैं।

किसी भी उद्देश्य मानक या मानक या मार्गदर्शन के रूप में प्रदान करें परिणामस्वरूप प्रावधान उचित की कसौटी पर खरे नहीं उतरते हैं।

प्रतिबंध और अंततः उन पर ठंडक प्रभाव पड़ता है

बोलने की स्वतंत्रता।

9.4 . " तर्कसंगतता "एक स्थिर अवधारणा नहीं है, और यह समय-समय पर भिन्न हो सकती है। जिसे एक समय पर उचित माना जाता है वह बाद के समय में मनमाना और अनुचित हो सकता है। स्वतंत्र भारत, जो एक संप्रभु, लोकतांत्रिक गणराज्य है, में औपनिवेशिक कानून अनुचित और मनमाना हो गया है और यह एक सर्वविदित अवधारणा है कि प्रावधान एक बार उचित माने जाते थे, समय के साथ अनुचित हो जाते हैं।

***

***

***

10.3 . उचित प्रतिबंध के सिद्धांत पर आधारित है

तर्कसंगतता जो संवैधानिक कानून का एक अनिवार्य पहलू है और संविधान के संरचनात्मक सिद्धांतों में से एक है, वह यह है कि यदि प्रतिबंध मौलिक अधिकार पर आक्रमण करता है और उसका उल्लंघन करता है। अत्यधिक तरीके से, इस तरह के प्रतिबंध को तर्कसंगतता की परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं माना जा सकता है। आई. पी. सी. की धारा 499 और 500 में प्रयुक्त भाषा स्पष्ट रूप से उल्लंघन का प्रदर्शन करती है।

अधिकता और इसलिए, प्रावधानों को संविधान के अनुच्छेद 19 (2) का संरक्षण नहीं दिया जा सकता है। स्वतंत्रता

अभिव्यक्ति लोकतंत्र के निर्वाह के लिए सर्वोपरि है जिसके लिए बहस, पारदर्शिता और आलोचना और लोकतंत्र के प्रसार की आवश्यकता होती है।

मानहानि से संबंधित आपराधिक कानून में सूचना और अभियोजन लोकतंत्र की जड़ पर हमला करता है, क्योंकि यह लोगों को अपना बुद्धिमान निर्णय लेने की अनुमति नहीं देता है। मानहानि से संबंधित आपराधिक कानून का इरादा प्रावधानों की संवैधानिकता का निर्णय करने के लिए एकमात्र परीक्षण नहीं हो सकता है और बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर इसके प्रभाव को समझने के उद्देश्य से "प्रभाव सिद्धांत" को लागू करना बिल्कुल अनिवार्य है, और यदि यह अंतिम स्थिति में, स्वतंत्रता के पवित्र अधिकार को प्रभावित करता है, तो यह अधिकार से बाहर है। "प्रभाव सिद्धांत" की मूल अवधारणा व्यायाम की श्रेणी में नहीं आएगी।

शक्ति का, अर्थात शक्ति का उपयोग या दुरुपयोग, लेकिन प्रत्यक्ष प्रभाव और कानून के अपरिहार्य परिणाम के डिब्बे में जो कम करता है

मौलिक अधिकार।

***

***

***

17.2 . अनुच्छेद 14 और 19 को अब अनुच्छेद 21 का हिस्सा माना गया है और इसलिए, अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की कोई भी व्याख्या जो अनुच्छेद 21 के तहत प्रतिष्ठा के अधिकार को पराजित करती है, असमर्थनीय है। बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत अनुच्छेद 19 (1) (ए) निरपेक्ष नहीं है, लेकिन भारत के ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजिकल आई. ई. टी. आई. के तहत प्रतिबंधों के अधीन है।

अनुच्छेद 19 (2)। अनुच्छेद 19 (2) के तहत समुदाय के व्यापक हित में प्रतिबंध लगाए गए हैं ताकि अनुच्छेद 19 (2) के तहत गारंटीकृत स्वतंत्रता और सामाजिक हितों के बीच उचित संतुलन बनाया जा सके। अपने अधिकार का प्रयोग किया जाना चाहिए ताकि दूसरे नागरिक के अधिकार के साथ सीधा टकराव न हो। याचिकाकर्ताओं का यह तर्क कि मानहानि के आपराधिक कानून को अनुच्छेद 21 के तहत प्रतिष्ठा के अधिकार द्वारा उचित नहीं ठहराया जा सकता है क्योंकि एक मौलिक अधिकार को दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए निरस्त नहीं किया जा सकता है, टिकाऊ नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि (i) प्रतिष्ठा का अधिकार केवल अनुच्छेद 21 में सन्निहित नहीं है, बल्कि इसे अनुच्छेद 19 (1) (ए) में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अनुच्छेद 19 (2) में लगाए गए प्रतिबंध के रूप में भी बनाया गया है; और (ii) प्रतिष्ठा का अधिकार कम महत्वपूर्ण नहीं है।

बोलने की स्वतंत्रता का अधिकार।

***

***

***

18.2 . किसी प्रावधान का दुरुपयोग या इसके दुरुपयोग की संभावना आई. पी. सी. की धारा 499 को असंवैधानिक घोषित करने का कोई आधार नहीं है। यदि कानून के किसी प्रावधान का दुरुपयोग या दुरुपयोग किया जाता है, तो यदि आवश्यक समझा जाए तो इसे संशोधित करना, संशोधित करना या निरस्त करना विधायिका का काम है। किसी प्रावधान के दुरुपयोग की केवल संभावना किसी प्रावधान को प्रक्रियात्मक या मूल रूप से अनुचित घोषित करने का आधार नहीं हो सकती है।

***

***

***

76. निवेदन यह है कि आई. पी. सी. की धारा 499 और 500 राज्य या उसके घटकों की मानहानि तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि इसमें किसी अन्य निजी व्यक्ति द्वारा किसी भी निजी व्यक्ति की मानहानि पूरी तरह से शामिल है।

राज्य से असंबद्ध। संक्षेप में, प्रस्ताव यह है कि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति की मानहानि एक नागरिक गलत हो सकती है, लेकिन इसे मौलिक अधिकार के नाम पर अपराध नहीं बनाया जा सकता है क्योंकि निजी अधिकारों की सुरक्षा निजी व्यक्तियों द्वारा नहीं की जा सकती है।

मौलिक अधिकारों का दर्जा दिया जाए। विद्वान वकील ने तर्क दिया कि यदि ऐसा आधार दिया जाता है, तो यह संविधान के भाग III के दायरे से बाहर होगा और संविधान के अनुच्छेद 14,19 और 21 के विपरीत होगा। यह आग्रह किया जाता है कि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा एक निजी व्यक्ति की मानहानि मौलिक से असंबद्ध है अनुच्छेद 19 (1) (ए) द्वारा लोक हित में प्रदत्त अधिकार; और एक मौलिक अधिकार राज्य के खिलाफ प्रवर्तनीय है लेकिन किसी व्यक्ति के निजी हित की पूर्ति के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता

है। उसी को स्पष्ट करते हुए, यह प्रस्तावित किया गया है कि एक निजी व्यक्ति की मानहानि [2019] 7 एस. सी. आर.

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा संवैधानिक ढांचे के तहत एक "अपराध" के रूप में नहीं माना जा सकता है और इसलिए, जो अनुमेय है वह नागरिक गलत है और नागरिक कानून के तहत उपचार है। आई. पी. सी. की धारा 499, जो किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी निजी व्यक्ति की मानहानि का प्रावधान करती है। व्यक्ति, जिसका संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत प्रदत्त मौलिक अधिकार के साथ कोई संबंध नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद 19 (2) का उद्देश्य सार्वजनिक हित को शामिल करना है न कि किसी व्यक्ति का और,

(i) सामान्य धागा जो विभिन्न मैदानों से होकर गुजरता है। अनुच्छेद 19 (2) के तहत तैयार किया गया शब्द राज्य और आम जनता के हितों की रक्षा से संबंधित है।

" मानहानि "को उक्त संदर्भ में समझा जाना चाहिए, और (ii) समाज को बदनाम करने का सिद्धांत, जब लागू किया जाता है, तो" मानहानि "दूर से लोक हित या समाज के हित के चरित्र को नहीं मान सकती है।

इस तरह के अपराध का उससे कोई लेना-देना नहीं है।

***

***

***

90. आर. साई भारती बनाम। जे. जयललीता, (2004) 2 एस. सी. सी. 9, अपराध के बारे में राय देते हुए, यह निम्नानुसार देखा गया हैः (एससीसी पीपी। 54 55, पैरा 56)

" 56. अपराध उन कृत्यों पर लागू होता है, जो सामाजिक कृत्यों के खिलाफ हैं।

आदेश देते हैं और गंभीर निंदा के योग्य हैं। गराफालो, एक

प्रख्यात क्रिमिनोलॉजिस्ट, अनैतिक के संदर्भ में "अपराध" को परिभाषित करते हैं और

असामाजिक कृत्य। वह कहता है किः

' अपराध एक अनैतिक और हानिकारक कार्य है जिसे आपराधिक माना जाता है।

जनमत द्वारा क्योंकि यह इतना नुकसान है

नैतिक भावना जो एक समुदाय के पास होती है-एक उपाय

जो व्यक्ति के अनुकूलन के लिए अपरिहार्य है

समाज '।

भारतीय दंड संहिता के लेखकों ने कहा किः

' ..... हम यह स्वीकार नहीं कर सकते कि दंड संहिता किसी भी तरह से होनी चाहिए।

नैतिकता के एक निकाय के रूप में माना जाता है, कि विधायिका को

कृत्यों को केवल इसलिए दंडित करें क्योंकि वे कार्य अनैतिक हैं, या कि,

क्योंकि एक अधिनियम को बिल्कुल भी दंडित नहीं किया जाता है, यह इस प्रकार है कि विधायिका

उस कृत्य को निर्दोष मानता है। बहुत सी चीजें जो नहीं हैं

दंडनीय कई चीजों से नैतिक रूप से बदतर हैं जो हैं

दंडनीय। वह व्यक्ति जो एक उदार परोपकारी के साथ प्रसूति और स्त्री रोग के युग के साथ व्यवहार करता है

आई. ई. टी. आई. एस. ऑफ इंडिया बनाम भारत संघ [अरुण मिश्रा, जे.]

घोर कृतघ्नता और अपमान अधिक गंभीर होने के योग्य है।

उस व्यक्ति की तुलना में निंदा जो जुनून में एक प्रहार का लक्ष्य रखता है, या एक मस्ती में एक खिड़की तोड़ता है; फिर भी हमारे पास हमले के लिए सजा है

और शरारत, और कृतघ्नता के लिए कोई नहीं। अमीर आदमी जो

एक साथी प्राणी को मौत से बचाने के लिए मुँह से चावल लेने से मना कर देता है

छीनने वाले भूखे दुष्ट से कहीं बदतर आदमी हो सकता है

और चावल खा जाता है; फिर भी हम उसे चोरी की सजा देते हैं, और हम

पहले वाले को कठोरता के लिए दंडित न करें।

***

***

**

*

96. हमने इस पहलू का उल्लेख केवल यह दिखाने के लिए किया है कि याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील द्वारा इस बात का इतनी चतुराई से प्रचार किया गया है कि मानहानि को आपराधिक अपराध के रूप में मानने से कोई सार्वजनिक हित नहीं हो सकता है और इस तरह यह किसी भी सामाजिक हित या सामूहिक मूल्य की पूर्ति नहीं करता है। हम जल्दबाजी में यह स्पष्ट कर सकते हैं कि अपराध का सृजन किसी अलग कारण से घोषित किया जा सकता है।

असंवैधानिक लेकिन यह नहीं कहा जा सकता है कि विधायिका के पास किसी व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य या चूक का गठन करने के लिए कोई कानून नहीं हो सकता है।

एक अपराध के रूप में दूसरे के खिलाफ। यह विधायी विवेक पर निर्भर करता है। कहने की जरूरत नहीं है कि इस तरह का विवेक संवैधानिक विवेक के अनुरूप होना चाहिए और संवैधानिक चुनौती की कसौटी पर खरा उतरना चाहिए। यदि अधिनियमित कानून संवैधानिक प्रावधानों के साथ असंगत है, तो यह न्यायालय का कर्तव्य है कि वह संविधान की कसौटी पर कानून का परीक्षण करे।

***

***

***

122. मद्रास राज्य बनाम। वी. जी. रो, ए. आई. आर. 1952 एस. सी. 196, न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि जहां भी निर्धारित किया गया है, तर्कसंगतता का परीक्षण, प्रत्येक व्यक्तिगत क़ानून पर लागू किया जाना चाहिए और सभी मामलों में लागू होने के रूप में कोई अमूर्त मानक या तर्कसंगतता का सामान्य

पैटर्न निर्धारित नहीं किया जा सकता है। कथित रूप से उल्लंघन किए गए अधिकार की प्रकृति, के अंतर्निहित उद्देश्य

लगाए गए प्रतिबंधों, बुराई की सीमा और तात्कालिकता को सुधारने की मांग, अधिरोपण का अनुपात, उस समय की प्रचलित स्थितियों, सभी को न्यायिक निर्णय में प्रवेश करना चाहिए।

***

***

***

127. सहारा इंडिया रियल एस्टेट कार्पोरेशन में। लिमिटेड वी. एस. ई. बी. आई. (2012) 10 एस. सी. सी. 603, इस न्यायालय ने [2019] 7 एस. सी. आर. में सामाजिक हित के सिद्धांत को दोहराया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उचित प्रतिबंध के एक पहलू के रूप में अनुच्छेद 19 (2) का संदर्भ।

द्वारका प्रसाद लक्ष्मी नारायण बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य, ए. आई. आर. 1954

एससी 224 ने "उचित प्रतिबंध" पर विचार-विमर्श करते हुए कहा

कि यह इंगित करता है कि किसी व्यक्ति पर लगाई गई सीमा

किसी अधिकार का लाभ मनमाना या अत्यधिक नहीं होना चाहिए। प्रकृति जनता के हित में आवश्यकता से परे है। यह था।

यह भी देखा गया कि तर्कसंगतता की गुणवत्ता प्राप्त करने के लिए एक उचित

अनुच्छेद 19 (1) (जी) के तहत गारंटीकृत स्वतंत्रता के बीच संतुलन

और अनुच्छेद 19 के खंड (6) द्वारा अनुमत सामाजिक नियंत्रण को

मारा जाए "।

(जोर दिया गया)

जब हम उपरोक्त उक्ति पर विचार करते हैं और अधिनियम पर लागू होते हैं,

कन्या भ्रूण हत्या की अनुमति देने वाला इससे अधिक भयावह, अनैतिक और असामाजिक कार्य कुछ भी नहीं हो सकता है। आर. साई भारती बनाम। जे. जयललीता (ऊपर) ने कहा है कि यह देखा गया कि अपराध सामाजिक व्यवस्था, अनैतिक और हानिकारक कृत्य के खिलाफ है। इस न्यायालय द्वारा यह भी कहा गया है कि विधायिका के पास एक व्यक्ति द्वारा दूसरे के खिलाफ किए गए कार्य या चूक को अपराध के रूप में गठित करने के लिए एक कानून हो सकता है। जिन बुराइयों को दूर करने की मांग की गई है, उन्हें ध्यान में रखते हुए यह नहीं कहा जा सकता है कि विचाराधीन अधिनियम में अधिरोपण असमान है। द.

प्रतिबंधों और सजा के प्रावधानों का उस उद्देश्य के साथ घनिष्ठ संबंध है जिसे प्राप्त करने की मांग की गई है। कार्रवाई को केवल लिपिकीय कहना संभव नहीं है क्योंकि यह परीक्षण/प्रक्रिया के लिए पूर्व-आवश्यक है और अधिनियम का यही उद्देश्य है, यदि इसे लिपिकीय त्रुटि की आड़ में मंजूरी दी जाती है, तो अधिनियम को वैकल्पिक माना जाएगा। प्रतिबंधों को अत्यधिक नहीं कहा जा सकता है और जनहित में जो आवश्यक है उससे परे, वे समाज की महसूस की गई आवश्यकता और लोगों के सामने आने वाले जटिल मुद्दों को पूरा करते हैं जिन्हें विधायिका हल करने का इरादा रखती है।

78. श्रेया सिंघल बनाम। भारत संघ, (2015) 5 एस. सी. सी. 1,

न्यायालय ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66-ए के प्रावधानों पर विचार किया। इस न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी की हैः

55. अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय ने बार-बार एक श्रृंखला में कहा है

निर्णय जहाँ कोई उचित मानक निर्धारित नहीं किए गए हैं

अपराध को उस धारा में परिभाषित करें जो अपराध पैदा करती है, और जहां नहीं

कानून का पालन करने वाले नागरिकों या अधिकारियों को स्पष्ट मार्गदर्शन दिया जाता है।

और अदालतें, एक धारा जो एक अपराध पैदा करती है और जो अस्पष्ट है

इसे मनमाना और अनुचित होने के रूप में खारिज किया जाना चाहिए। इस प्रकार, मुसेर वी।

यूटा, 92 एल. एड. 562 एक यूटा क़ानून जिसने भारत के ऑब्स्टेट्रिक्स और गाइनेकोलॉजिकल ईटीज के उन्मूलन को गैरकानूनी घोषित कर दिया। भारत संघ [अरुण मिश्रा, जे.]

सार्वजनिक नैतिकता के लिए हानिकारक कार्य करने की साजिश को खारिज कर दिया गया था।

***

***

**

*

59. यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि एक दंडात्मक कानून अस्पष्टता के लिए शून्य है यदि यह पर्याप्त निश्चितता के साथ आपराधिक अपराध को परिभाषित करने में विफल रहता है। साधारण लोगों को यह समझने में सक्षम होना चाहिए कि कौन सा आचरण निषिद्ध है और किसकी अनुमति है। इसके अलावा, जो प्रशासन करते हैं कानून को पता होना चाहिए कि कौन सा अपराध किया गया है ताकि कानून का मनमाना और भेदभावपूर्ण प्रवर्तन न हो।

***

***

***

66. संघीय संचार आयोग बनाम। फॉक्स टेलीविजन स्टेशन इंक., 132 एस सीटी 2307 यह आयोजित किया गया थाः (एस सी टी पी। 2317)

" हमारी कानूनी प्रणाली में एक मौलिक सिद्धांत वह कानून है जो

विनियमित व्यक्तियों या संस्थाओं को आचरण की उचित सूचना देनी चाहिए।

यह वर्जित या आवश्यक है। कॉनली वी. देखें। जनरल

निर्माण कंपनी, 269 यू. एस. 385, यू. एस. 391 ("[ए] क़ानून जो

या तो निषेध करता है या इतने अस्पष्ट शब्दों में किसी कार्य को करने की आवश्यकता होती है

कि सामान्य बुद्धि के पुरुषों को अनिवार्य रूप से इसका अनुमान लगाना चाहिए इसके अनुप्रयोग के रूप में अर्थ और भिन्नता, पहले आवश्यक का उल्लंघन करती है

कानून की उचित प्रक्रिया "); पापाचिस्टौ वी। जैक्सनविल, 405

यू. एस. 156, यू. एस. 162 {"कानून के शासन के तहत रहने के लिए विभिन्न आवश्यकताएँ होती हैं।

अनुमान, जिनमें से एक यह है कि '[सभी व्यक्ति] के हकदार हैं

यह सूचित किया जाए कि राज्य क्या आदेश देता है या क्या मना करता है।

मूल में)]}। विनियमन में स्पष्टता की यह आवश्यकता है नियत प्रक्रिया खंड द्वारा प्रदान की गई सुरक्षा के लिए आवश्यक

यूएस 285, यूएस 304। इसके लिए कानूनों को अमान्य करने की आवश्यकता है जो हैं अपरिहार्य रूप से अस्पष्ट। दोषसिद्धि या सजा पालन करने में विफल रहती है।

उचित प्रक्रिया के साथ यदि वह क़ानून या विनियम जिसके तहत यह है प्राप्त "सामान्य खुफिया मेले के व्यक्ति को प्रदान करने में विफल रहता है

क्या निषिद्ध है, या इतना मानकीकृत है कि यह

तथ्य को दोष देना, बल्कि इसलिए कि यह स्पष्ट नहीं है कि क्या तथ्य को साबित करना होगा। आईडी देखें। , 305 पर।

19] 7 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

यहां तक कि जब भाषण मुद्दा नहीं है, अस्पष्टता के लिए शून्य

सिद्धांत कम से कम दो जुड़े हुए लेकिन असतत देय को संबोधित करता है

प्रक्रिया संबंधी चिंताएँ: सबसे पहले, कि विनियमित पक्षों को पता होना चाहिए कि क्या उनकी आवश्यकता है ताकि वे तदनुसार कार्य कर सकें; दूसरा,

सटीकता और मार्गदर्शन आवश्यक है ताकि लागू करने वाले

कानून मनमाने या भेदभावपूर्ण तरीके से कार्य नहीं करता है। देखें।

ग्रेनड वी. रॉकफोर्ड, 33 एल एड 2 डी 222, यूएस 108-109। कब

भाषण शामिल है, उन आवश्यकताओं का कठोर पालन

यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि अस्पष्टता सुरक्षित न रहे भाषण "। "

(जोर दिया गया)

श्रेया सिंघल में उपरोक्त चर्चा से यह स्पष्ट है।

(उपर्युक्त) ऐसे मामले में जहां अपराध पैदा करने वाली धारा में अपराध को परिभाषित करने के लिए कोई उचित मानक निर्धारित नहीं किए गए हैं, यह मनमाना और असंवैधानिक होगा। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि विचाराधीन अधिनियम के प्रावधानों को मनमाना या अवैध या अनुचित नहीं कहा जा सकता है। प्रावधान अस्पष्ट नहीं हैं। एक जिम्मेदार डॉक्टर को पता होना चाहिए

इस तरह के प्रसव पूर्व नैदानिक परीक्षण आदि करने से पहले वह क्या कर रहा है और उसकी जिम्मेदारियां क्या हैं। यदि वह उस प्रपत्र को नहीं समझ सकता है जिसे उसे भरने की आवश्यकता है और चिकित्सा निष्कर्षों के प्रभाव और इसके परिणाम जो एक परीक्षण करने के लिए लगभग पूर्व-आवश्यक हैं, तो वह एक महान चिकित्सा पेशे का सदस्य होने के योग्य नहीं है। इस तरह के दोषी

डॉक्टर की ओर से लापरवाही की आवश्यकता नहीं है। अधिनियम के प्रावधानों से यह स्पष्ट है कि एक सामान्य बुद्धिमान व्यक्ति द्वारा एकत्र किया जा सकता है और उन्हें इस बात की उचित सूचना मिल सकती है कि क्या निषिद्ध है और उन्हें क्या चूक नहीं करनी चाहिए। श्रेया सिंघल (ऊपर) में विचार-विमर्श किए गए सिद्धांत अधिनियम की संवैधानिकता का समर्थन करते हैं और

इसके तहत नियम बनाए गए हैं।

79. याचिकाकर्ता द्वारा निकेश में भी निर्भरता रखी गई है

ताराचंद शाह बनाम। भारत संघ, (2018) 11 एस. सी. सी. 1, जिसमें न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी कीः

" 10. दूसरी ओर, विद्वान महान्यायवादी श्री के. के.

वेणुगोपाल ने हमें इस तथ्य से प्रभावित किया कि संसद

धन शोधन के लिए कानून संसद द्वारा एक प्रयास है

विद्वान महान्यायवादी के अनुसार, अनुसूचित अपराध और 2002 के अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत अपराधों को भारत के उद्देश्यों और स्त्री-पारिस्थितिकीय कारणों का उन्मूलन होना चाहिए।

भारत संघ [अरुण मिश्रा, जे.]

एक साथ पढ़ें और उक्त अधिनियम, इसलिए, एक पूर्ण संहिता बनाता है जिसे स्वयं ही देखा जाना चाहिए। विद्वान महान्यायवादी के अनुसार, यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि वर्गीकरण जो सजा केंद्रित है, को कई निर्णयों द्वारा बरकरार रखा गया है और इसी तरह दोहरे शर्तों को विभिन्न निर्णयों द्वारा बरकरार रखा गया है जो थे उसका उल्लेख किया। उनके अनुसार, धारा 45 (1) (ii) में "कोई भी अपराध" का अर्थ समान प्रकृति का अपराध होगा न कि कोई अपराध, जिसमें यातायात अपराध भी शामिल होगा।

विद्वान महान्यायवादी के अनुसार, धारा 45 को दो तरीकों से संवैधानिक बनाने के लिए आसानी से पढ़ा जा सकता है। सबसे पहले, "यह विश्वास करने के लिए उचित आधार हैं कि वह इस तरह के अपराध का दोषी नहीं है" अभिव्यक्ति को अदालत द्वारा उचित अपराध के प्रथम दृष्टया मूल्यांकन के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। दूसरा,

विद्वान महान्यायवादी के अनुसार, किसी भी मामले में धारा 45 (1) (ii) में निहित शर्तें एक अलग रूप में हैं जब जमानत सामान्य रूप से दी जाती है जहां तक आम तौर पर अपराधों का संबंध है और उन्होंने यू. पी. v. राज्य को संदर्भित किया है। अमरमणि

त्रिपाठी, (2005) 8 एस. सी. सी. 21 इस उद्देश्य के लिए। विद्वान महान्यायवादी के अनुसार, यदि बाकी के साथ सामंजस्यपूर्ण रूप से समझा जाता है

अधिनियम, धारा 45 अनुपलब्ध है। उन्होंने अधिनियम की धारा 24 पर भरोसा किया, जो सबूत के बोझ को उलट देती है, और दृढ़ता से गौतम कुंडू बनाम पर भरोसा किया। प्रवर्तन निदेशालय (2015) 16 एस. सी. सी. 1 और रोहित टंडन बनाम। प्रवर्तन निदेशालय (2018) 11 एस. सी. सी. 46. विद्वान महान्यायवादी के अनुसार, 2012 के संशोधन अधिनियम के उद्देश्य पर श्री रोहतगी के तर्क के जवाब में, यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि जहां अधिनियम की भाषा स्पष्ट है, वहां अधिनियम के उद्देश्य के लिए कोई सहारा नहीं लिया जा सकता है और उन्होंने कहा इस प्रस्ताव के लिए निर्णयों की संख्या उन्होंने हमें साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 106 का उल्लेख किया और तर्क दिया कि जब 2002 के अधिनियम की धारा 24 के साथ पढ़ा जाता है, तो यह स्पष्ट होगा कि धारा 45 में निहित दोहरी शर्तें केवल काले धन का पता लगाने के उद्देश्य को आगे बढ़ाने में हैं और इसलिए हमें उन व्यक्तियों को मुक्त करने में बहुत धीमी गति से काम लेना चाहिए जो धन शोधन के कैंसर के कथित अपराधी हैं। अंततः, विद्वान महान्यायवादी के अनुसार, धारा 45 को एक पूर्ण संहिता का हिस्सा होने के नाते बरकरार रखा जाना चाहिए ताकि 2002 का अधिनियम काम करे, ताकि जो धन शोधन किया जाता है वह अर्थव्यवस्था में वापस आ जाए और उसके लिए जिम्मेदार व्यक्तियों को कानून के दायरे में लाया जाए।

***

***

एक खंड का अनुप्रयोग जो इसमें भारी पैठ बनाता है अनुच्छेद 21 द्वारा प्रदत्त व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार

भारत के संविधान में, हमें दोगुना सुनिश्चित होना चाहिए कि ऐसा प्रावधान

धारा 45 के प्रावधानों को लागू करना निश्चित रूप से उल्लंघन करेगा। संविधान का अनुच्छेद 21। धारा 45 के समान प्रावधान हैं -

केवल इस आधार पर बरकरार रखा गया कि एक बाध्यकारी राज्य है

अत्यंत जघन्य प्रकृति के अपराधों से निपटने में रुचि।

***

***

***

49. विद्वान महान्यायवादी ने धारा 24 पर बहुत अधिक भरोसा किया

2002 अधिनियम यह दर्शाने के लिए कि किसी भी कार्यवाही में सबूत का बोझ

धनशोधन का अपराध, और किसी अन्य व्यक्ति के मामले में अर्थात्, एक व्यक्ति जिस पर इस तरह के अपराध का आरोप नहीं है, न्यायालय यह मान सकता है कि

कि इस तरह की आय धन शोधन में शामिल है। धारा 45

अधिनियम के भाग ए में केवल अनुसूचित अपराध की बात की गई है

अनुसूची, जबकि धारा 24 धन के अपराध की बात करती है

धारा 45 में उल्लिखित अनुसूचित अपराध के लिए आवेदन, और इसलिए, भारत संघ के मामले को आगे नहीं बढ़ा सकते।

(जोर दिया गया)

सम्मोहक सार्वजनिक हित और लिंग को ध्यान में रखते हुए

ई और घटते लिंग अनुपात, हमें बनाए रखने में कोई संकोच नहीं है

अधिनियम की धारा 23 (1) के प्रावधान।

एलियन्स को पी. रथिनम बनाम में भी रखा गया है। भारत संघ,

+) 3 एस. सी. सी. 394, इस न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी कीः

48. उपरोक्त से पता चलता है कि कानून को कई वादे पूरे करने हैं

जिसमें इतनी स्वतंत्रता देना शामिल है जो खतरे में नहीं पड़ेगी

दूसरे का हित या उसे प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा, अर्थात, अनुमति देना

हाथ को उस बिंदु तक फैलाना जहां दूसरे साथी की नाक भारत की ऑबस्टेट्रिक्स और स्त्री रोग संबंधी बीमारियों का कारण बनती है।

बाद में कहा जा रहा है, यदि आत्महत्या का प्रयास करने वाले व्यक्तियों के रूप में माना जाता है अपराधी और उन्हें दंडित करने के लिए मुकदमा चलाया जाता है, जबकि क्या

उन्हें मनोचिकित्सा उपचार की आवश्यकता है, क्योंकि आत्महत्या मूल रूप से एक

" मदद के लिए कॉल करें ", जैसा कि बॉम्बे के डॉ. (श्रीमती) दस्तूर ने कहा है। मनोचिकित्सक, जो "सुसाइड प्रिवेंट" नामक एक संगठन के प्रमुख हैं।

यह याद दिलाया जा सकता है कि एक क्रूर कानून अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करता है।

संविधान, ए ला, दीना बनाम। भारत संघ (1983) 4 एस. सी. सी.

645 .

***

***

**

*

रोकथाम की इच्छा; (2) रोकथाम के उपायों के बीच सजा की धमकी है; और (3) एक विशेष की कानूनी कार्यवाही

प्रकार को यह तय करने के लिए नियोजित किया जाता है कि क्या अभियुक्त व्यक्ति ने किया था

तथ्य नुकसान का कारण बनता है, और कानून के अनुसार, कानूनी रूप से माना जाता है

ऐसा करने के लिए दंडनीय। (पीपी देखें। 1 केनी की 5 रूपरेखाएँ

आपराधिक कानून, 19 वीं संस्करण। , उपरोक्त प्रस्तावों के लिए)।

(जोर दिया गया)

81. हम पाते हैं कि अधिनियम का उद्देश्य महिला भ्रूण को खतरे में डालना नहीं है।

इस तरह के उल्लंघन के कारण स्वतंत्रता में कटौती नहीं की जा सकती है

o असंगत होना।

82. रिलायंस को उत्तर प्रदेश राज्य बनाम पर भी रखा गया है।

हैदर (2019) 2 एस. सी. सी. 303, जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि

सीई को उचित संदेह से परे साबित करना होगा। प्रासंगिक भाग

ई निर्णय यहाँ नीचे निकाला गया है:

" 22. हमारे समक्ष तत्काल अपीलों में, अभियोजन पक्ष विफल रहा है

परिस्थितियों की श्रृंखला को जोड़ें ताकि संदेह के बादल को दूर किया जा सके प्रतिवादी-अभियुक्त की दोषसिद्धि के बारे में। यह एक अच्छी तरह से बसा हुआ है।

सिद्धांत कि एक संदेह, चाहे वह कितना भी गंभीर क्यों न हो, ले नहीं सकता

प्रमाण का स्थान अर्थात "हो सकता है" और के बीच एक लंबी दूरी है

" होना चाहिए ", जिसे साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा पार किया जाना चाहिए

इसका मामला उचित संदेह से परे है [नरेंद्र सिंह बनाम देखें। की स्थिति एम. पी., (2004) 10 एस. सी. सी. 699] ".

उपरोक्त प्रस्ताव पर कोई विवाद नहीं है, लेकिन हमारे सामने यह सवाल नहीं है। जब मुकदमा चलता है तो स्पष्ट रूप से आयोग

संबंधित लागू कानून के तहत अपराध को आवश्यकतानुसार साबित करना होगा। 83. लैंगिक न्याय से संबंधित विपरीत क्रम में सबूत का बोझ डालने के लिए एक विधायी प्रावधान हो सकता है। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ प्रचलित हिंसा के आलोक में, विधानमंडल ने विभिन्न अधिनियमों को लागू किया है, और सबूत के पारंपरिक बोझ को उलटते हुए मौजूदा कानूनों में संशोधन किया है। क़ानूनों में सबूत के उलट बोझ के कुछ उदाहरणों में यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की धारा 29 और 30 शामिल हैं जिसमें अधिनियम के तहत कुछ अपराधों को करने और उकसाने के बारे में अनुमान है, और आरोपी की मानसिक स्थिति का अनुमान है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113-ए और 113-बी में आत्महत्या और दहेज मृत्यु के लिए उकसाने के संबंध में अनुमान है, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 114-ए में बलात्कार के अपराध में अभियोजक की सहमति के अभाव का अनुमान है।

84. ये प्रावधान इस बात का स्पष्ट संकेत हैं कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों को किस गंभीरता के साथ देखा गया है।

विधायिका। इन प्रावधानों से यह भी स्पष्ट है कि इन अपराधों की व्यापक प्रकृति के कारण, विधानमंडल ने इन मामलों में सबूत के विपरीत बोझ को नियोजित करना उचित समझा है। अधिनियम की धारा 4 (3) के परंतुक में अनुमान को इसी दृष्टि से देखा जाना चाहिए।

85. यह अधिनियम एक सामाजिक कल्याण कानून है, जिसकी कल्पना भारत के विषम लिंग-अनुपात के आलोक में और इसके परिणामों से बचने के लिए की गई थी

उसी से। विषम लिंगानुपात महिलाओं के खिलाफ हिंसा की अधिक घटनाओं और तस्करी, 'दुल्हन खरीदने' आदि की प्रथाओं में वृद्धि का कारण बन सकता है। अधिनियम का कठोर कार्यान्वयन एक इमारत है जिस पर बालिका को बचाने का कार्य है।

86. उपरोक्त चर्चा को देखते हुए और हमारी राय में, कोई मामला नहीं है

रिकॉर्ड को अनिवार्य बनाए रखने में उस कमी को बनाए रखने के लिए बनाया गया है धारा 5,6 द्वारा और धारा 4 (3) के परंतुक को कमजोर नहीं किया जा सकता है क्योंकि उपरोक्त प्रावधान धारा के विभिन्न स्तंभों में शामिल किए गए हैं।

प्रपत्र 'एफ' और जैसा कि पहले से ही माना गया है कि यह एक केस क्लेरिकल गलती नहीं होगी, बल्कि नैदानिक परीक्षण/प्रक्रिया शुरू करने के लिए अनिवार्य नहीं होगी। इसे लिपिकीय या तकनीकी चूक का मामला नहीं कहा जा सकता है। धारा 23 (1) में अपराध के श्रेणीकरण के लिए प्रावधान करने की आवश्यकता नहीं है, एक बार अपराध रिकॉर्ड के गैर-रखरखाव का है, जिसका रखरखाव स्वयं भारत के उद्देश्यों और स्त्री-सांस्कृतिक समाजों के संघ का इरादा रखता है।

भारत संघ [अरुण मिश्रा, जे.]

कन्या भ्रूण हत्या को रोकें। इसमें अपराध को वर्गीकृत करने की आवश्यकता नहीं है और कोई भी अंतर इतना धुंधला है कि अपराध को रोकना संभव नहीं होगा। लिंग के वास्तविक निर्धारण और अभिलेख के गैर-रखरखाव के आधार पर अपराध का कोई वर्गीकरण करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि पूर्व-आवश्यकताओं के बिना परीक्षण करना अधिनियम के तहत पूरी तरह से निषिद्ध है। अभिलेख का गैर-रखरखाव अपराध का बहुत बड़ा आधार है। पहले और दूसरे अपराधों के लिए श्रेणीकरण किया गया है जो काफी उचित है।

87. धारा 23 (2) के प्रावधानों पर भी इस आधार पर हमला किया गया है कि आरोप तय करने पर निलंबन पर नहीं होना चाहिए

लिपिकीय गलती का आधार, अनजाने में लिपिकीय चूक। जैसा कि हमने पाया कि यह लिपिकीय या तकनीकी चूक नहीं है और न ही इसे अनजाने में हुई गलतियाँ कहा जा सकता है क्योंकि आयु आदि सहित धारा 4 और 5 द्वारा विशेष चिकित्सा स्थिति का अस्तित्व अनिवार्य है। इस प्रकार, निलंबन

आरोप तय करने को अनुचित नहीं कहा जा सकता है। वैसा ही।

जाँच और प्रक्रियाएँ। अधिनियम में अपील, पर्यवेक्षी बोर्ड के साथ-साथ उपयुक्त प्राधिकरण, इसकी सलाहकार समिति से संबंधित प्रावधानों के तहत आंतरिक सुरक्षा उपाय हैं और हम पाते हैं कि प्रावधानों को किसी भी दोष से ग्रस्त नहीं कहा जा सकता है क्योंकि आरोप तय करने का मतलब होगा कि न्यायालय द्वारा प्रथम दृष्टया मामला पाया गया है और उस मामले में निलंबन को अनुचित नहीं कहा जा सकता है।

88. यह भी प्रार्थना की गई कि कारणदर्शक नोटिस और सुनवाई के उचित अवसर के बाद धारा 20 के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए।

धारा 20 (1) में पहले से ही कारण बताने का प्रावधान है और धारा 20 (2) में सुनवाई के उचित अवसर का प्रावधान है। इस प्रकार, हम उपरोक्त प्रावधान में कोई कमजोरी नहीं पाते हैं।

89. वहां सलाहकार निकाय की मदद से प्रत्येक मामले पर गुण-दोष के आधार पर विचार करने के लिए उपयुक्त प्राधिकरण भी है जिसमें कानूनी विशेषज्ञ हैं। सलाहकार समिति में एक कानूनी विशेषज्ञ होता है जिसे सहायता करनी होती है और धारा 16 और 17 (5) (6) में दिए गए प्रावधानों के अनुसार उपयुक्त प्राधिकरण को सलाह दें। इस प्रकार, यह निवेदन कि प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए अभियोजन पक्ष के समक्ष कानूनी सलाह ली जानी चाहिए, का कोई आधार नहीं है।

19] 7 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

90. यह भी तर्क दिया गया कि अल्ट्रासोनोग्राफी की जब्ती की कार्रवाई

मशीन और परिसर को सील करना उचित नहीं कहा जा सकता है। प्रस्तुतिकरण बहुत कमजोर है और अस्वीकार किए जाने योग्य है। अधिनियम की धारा 30 में तलाशी और जब्ती की शक्ति का उल्लेख किया गया है और नियमों के नियम 11 और 12 में उपयुक्त प्राधिकरण को सील करने की शक्ति प्रदान की गई है

उपकरण, परिसर का निरीक्षण करें और तलाशी और जब्ती करें। उत्तरदाताओं द्वारा यह बताया गया कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा तलाशी और जब्ती की प्रक्रिया का विवरण देते हुए एक "मानक संचालन प्रक्रिया" विकसित की गई है। इसके अलावा, राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर उपयुक्त अधिकारियों का नियमित प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सभी राज्यों को अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए ऑनलाइन एम. आई. एस. विकसित करने का भी निर्देश दिया गया है। यह तय प्रस्ताव है कि जब अपराध किया गया पाया जाता है, तो मुकदमे के दौरान परिसर और उपकरणों को जब्त और सील किया जा सकता है क्योंकि कोई लाइसेंस नहीं दिया जा सकता है। अपराध करते रहने के लिए दिया गया। जब्ती/सीलिंग, लंबित मुकदमे के ऐसे प्रावधान निश्चित रूप से विभिन्न दंडात्मक कानूनों में पाए जाते हैं। अधिनियम में निहित विवादित प्रावधान किसी भी पेशे को चलाने के लिए उचित प्रतिबंधों का गठन करते हैं जिसे अनुच्छेद 14 के तहत निहित समानता के अधिकार या किसी भी पेशे का अभ्यास करने के अधिकार का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता है।

अनुच्छेद 19 (1) (जी) के तहत। अनुच्छेद 51 ए (ई) के तहत मौलिक कर्तव्यों को ध्यान में रखते हुए और यह देखते हुए कि कन्या भ्रूण हत्या सबसे अमानवीय कार्य है और इसके परिणामस्वरूप लिंग अनुपात में कमी आती है, ऐसे प्रावधानों को किसी भी तरह से अवैध और मनमाना नहीं कहा जा सकता है, इसके अलावा अधिनियम में मनमाने कार्यों को रोकने के लिए विभिन्न सुरक्षा उपाय प्रदान किए गए हैं, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है।

91. उन अपराधों की प्रकृति के आलोक में जिनके लिए अधिनियम को लागू करना आवश्यक था और जिसके गंभीर परिणाम सामने आने वाले थे

अन्यथा, अधिनियम की धारा 23 (2) के तहत पंजीकरण का निलंबन एक निवारक के रूप में कार्य करता है। याचिकाकर्ता द्वारा उद्धृत व्यक्तिगत मामले-समाज व्यापक निर्देश पारित करने का आधार नहीं हो सकता है, और व्यक्तियों के पास है कानून के तहत उपचार जिनका वे लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा, की अवधारणा

दोहरे खतरे का यहाँ कोई अनुप्रयोग नहीं होगा, क्योंकि इसमें प्रावधान है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए दो बार दोषी नहीं ठहराया जाएगा, जो है - स्पष्ट रूप से यहाँ मामला नहीं है। निलंबन कार्य के इरादे को आगे बढ़ाने के लिए एक कदम-इन-एड है। इसे दोहरी सजा नहीं कहा जा सकता है। यदि किसी कर्मचारी को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है, तो वह सेवा में बने नहीं रह सकता है जिसे दोहरा खतरा कहा जा सकता है।

92. अभिलेख का रखरखाव न करना भ्रूण हत्या के अपराध के लिए स्प्रिंग बोर्ड है, न कि केवल एक लिपिकीय त्रुटि के लिए। प्रभावी ढंग से करने के लिए

अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों को लागू करना, विस्तृत रूप जिसमें उद्देश्यों और स्त्री रोगों का संगठन

भारत के समाज बनाम। भारत संघ [अरुण मिश्रा, जे.] अभिलेखों को बनाए रखने के लिए नियमों द्वारा प्रावधान किया गया है।

ये नियम अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक हैं और इस तरह के अभिलेख का अनुचित रखरखाव अधिनियम की धारा 4 (3) के प्रावधान के आधार पर अधिनियम की धारा 5 और 6 के प्रावधानों का उल्लंघन है। इसके अलावा, अधिनियम या इसके नियमों के प्रावधानों का कोई भी उल्लंघन होगा अधिनियम की धारा 20 के तहत उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा आनुवंशिक परामर्श केंद्र, आनुवंशिक प्रयोगशाला या आनुवंशिक चिकित्सालय के पंजीकरण को रद्द या निलंबित करना।

गर्भवती महिला पर अल्ट्रासोनोग्राफी करने के लिए, निर्धारित तरीके से इसका पूरा रिकॉर्ड रखना आवश्यक है और इसमें कोई भी कमी या अशुद्धि अधिनियम की धारा 5 या धारा 6 के उल्लंघन के बराबर है, जब तक कि व्यक्ति द्वारा इसके विपरीत साबित नहीं किया जाता है। उक्त अल्ट्रासोनोग्राफी का संचालन करना। धारा 4 (3) का उपरोक्त प्रावधान ऐसे मामलों में अभिलेखों के महत्व को दर्शाता है, क्योंकि वे अक्सर यह सुनिश्चित करने के लिए एकमात्र स्रोत होते हैं कि कोई प्रतिष्ठान लिंग निर्धारण में संलग्न नहीं है।

94. अधिनियम की धारा 23, जो अपराधों के दंड का प्रावधान करती है, अधिनियम की अन्य धाराओं की सहायता में कार्य करती है, काफी उचित है। यह किसी भी चिकित्सा आनुवंशिकीविद्, स्त्री रोग विशेषज्ञ, पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी या आनुवंशिक परामर्श केंद्र, आनुवंशिक चिकित्सालय या आनुवंशिक प्रयोगशाला के मालिक व्यक्ति के लिए सजा का प्रावधान करता है और उक्त स्थान पर या वहां अपनी पेशेवर या तकनीकी सेवाएं प्रदान करता है, चाहे वह मानदेय के आधार पर हो या अन्यथा और अधिनियम या इसके तहत नियमों के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है।

95. इसलिए, अधिनियम या नियमों के प्रावधानों को कमजोर करने से केवल कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के अधिनियम के उद्देश्य को विफल कर दिया जाएगा। और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत बालिकाओं के जीवन के अधिकार को केवल औपचारिकता तक सीमित कर दिया।

96. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हड़ताल का कोई मामला नहीं बनाया गया है

धारा 4 (3) का परंतुक, धारा 23 (1), 23 (2) के प्रावधान या अधिनियम की धारा 20 या 30 को पढ़ना। फॉर्म 'एफ' की पूरी सामग्री इस प्रकार है -

अनिवार्य माना जाता है। इस प्रकार, रिट याचिका खारिज कर दी जाती है। कोई लागत नहीं।

अंकित ज्ञान

लिखित

याचिका खारिज कर दी गई।